खण्ड-144, अंक-2
बुधवार, 28 आश्विन, शक संवत् 1876
(20 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 144 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देववाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी , श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेर्तासिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंहराठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

टी०बी० सील्स की बिक्री द्वारा प्राप्त धन का उपयोग

*१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों १९५१-५२, ५२-५३, १९५३-५४ में क्रमशः T. B. Seals की बिक्री द्वारा प्रदेश में कुल कितना धन जिलेवार प्राप्त हुआ ?

*२--उक्त धन में से कितना अभी तक किस किस कार्य में लगाया जा चुका है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---सूचना संलग्न तालिका (क) और (ख) में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५३-१५५ पर)

*३--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या यह सही है कि उक्त धन का ७५ परसेंट सम्बन्धित जिले में क्षय रोग आदि के लिये ही लौटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--टी० बी० सील की बिक्री का ६० प्रतिशत धन तक संबंधित जिलों के क्षय रोग निवारण सम्बन्धी उन कार्यों के लिये दिया जाता है जिनको उत्तर प्रदेश क्षय निवारक संस्था स्वीकार करे। इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता क्योंकि उसका उत्तर प्रश्न १-२ में दे दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष में मुजफ्फरनगर जिले में केवल ५,८०० रुपये के करीब ही धनराशि एकत्रित होने का क्या कारण है जब कि यह रकम और साल से चौथाई से भी कम है ?

श्री बनारसीदास—यह तो स्थानीय प्रयत्नों की शिथिलता मालूम पड़ती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ४८ हजार रुपया मुजफ्फरनगर को दिया गया है,उसका कितना भाग दिया जा चुका है और वार्डों के लिये जो रुपया दिया गया है उस काम की क्या प्रगति है ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये कितना रुपया दिया गया है इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है लेकिन यह ४८ हजार रुपया जो स्वीकार किया गया है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है वह उनको दिया जाता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर से टी० बी० के लिये कितना धन एकत्रित हुआ है ?

श्री बनारसीदास—कुल ३ वर्षों में ६४,३९३ रुपया।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने क्या कोई ऐसे नियम बनाये हैं कि जितना रुपया किसी जिले से इकट्ठा हो उसका कुछ परसेंट उसी जिले में खर्च होगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर से कितना रुपया जमा हुआ ?

श्री बनारसीदास—वहां ३ सालों में १२,८२६ रुपया जमा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टी० बी० सील्स की बिक्री से प्राप्त रुपये को क्षयरोग से मुक्त पुराने रोगग्रस्त मरीजों को भी सहायता दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—टी० बी० एसोसियेशन की तरफ से क्षय निवारण के लिये कार्य होता है और बहुत सी क्षय निवारक संस्थाओं की ओर से भी क्लिनिक खोले गये हैं और कहीं कहीं पर वार्ड भी खोलने की व्यवस्था हुई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में टी० बी० वार्ड के लिये जो ४८,००० रुपया दिया गया था उस सम्बन्ध में उस निर्माण की क्या प्रगति है ?

श्री बनारसीदास—इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि उसके लिये यह रुपया स्वीकार हो गया है लेकिन उसमें कितनी प्रगति हुई है, वार्ड बने हैं, नहीं बने हैं, इसके लिये अगर वह जानना चाहें तो सूचना मंगा कर बताया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या टी बी० सील्स के फंड के रुपए को ऐसे व्यक्तियों के रिहेबिलिटेशन में खर्च किया जाता है जो टी० बी० की बीमारी से मुक्त हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो वह दे चुके हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस जिले से सब से अधिक धन प्राप्त हुआ और किससे सब से कम ?

श्री अध्यक्ष—आप ५१ जिले से तुलना कराना चाहते हैं। लिस्ट स्वयं ले लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में सब से अधिक ६४३९३ रुपया टी० बी० सील्स में एकत्रित हुआ है तो एक अच्छे पैमाने पर टी० बी० वार्ड बनाने के लिये ४८ हजार से अधिक रुपये देने का कष्ट करेंगे ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुजफ्फरनगर के लिये ? हां, कुछ रुपया अधिक देने का सरकार का और टी० बी० असोसियेशन का इरादा है।

*४-५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

विभिन्न म्युनिसिपल बोर्डों एवं टाउन एरियाओं के संबंधित बजट

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश के बहुत से म्यूनिसिपल बोर्डों तथा टाउन एरियाओं में अभी तक बजट पास नहीं हुआ है ? अगर हां, तो कहां कहां ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—सरकार को अभी तक जो सूचना मिली है उससे मालूम हुआ है कि १११ म्यूनिसिपल बोर्डों में बजट पास हो चुका है। केवल ९ बोर्डों के बारे में अभी तक यह सूचना नहीं मिली कि उनमें बजट पास हो चुके हैं या नहीं। इन बोर्डों के नाम ये हैं :—

१—ऋषीकेश
२—बरौत
३—गाजियाबाद
४—बांदा
५—महोबा
६—चरखारी
७—गाजीपुर
८—हल्द्वानी
९—बदायूं।

२६५ टाउन एरियाओं में से २८ टाउन एरियाओं में अभी बजट पास नहीं हुए। उनके नाम ये हैं :—

जिला		टाउन एरिया का नाम
१—मुजफ्फरनगर	..	१—सिसौली
		२—शाहपुर
२—मेरठ	..	१—बक्सरखेरा
		२—छपरौली
३—अलीगढ़	..	१—जलाली
		२—हरदुआगंज
		३—मुरसन
		४—मँड़
		५—खैर
		६—छर्रा

[श्री कृपाशंकर]

		७—बेसवां
		८—विजयगढ़
		९—हसेन
		१०—पीलखाना
		११—पुरदिलनगर
		१२—कीरायगंज
४—मथुरा	..	१—महाबन
५—बदायूं	..	१—उसीहट
		२—गावां
६—टेहरी गढ़वाल	..	१—कीर्तिनगर
७—इलाहाबाद	..	१—मऊऐमां
८—हमीरपुर	..	१—मौदहा
		२—सुमेरपुर
९—रायबरेली	..	१—महराजगंज
		२—जायस
१०—फैजाबाद	..	१—अकबरपुर
		२—जलालपुर
		३—भदरसा

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने उन ९ बोर्डों के सम्बन्ध में जिनकी अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वहां बजट पास हुआ या नहीं जिला अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है, अगर हां, तो वह क्या है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—इस सम्बन्ध में लगातार पत्र व्यवहार होता रहता है और कोशिश की जाती है कि वे जल्दी से बजट पास करें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन बोर्डों या टाउन एरियाओं में जहां बजट अभी तक पास नहीं हुये हैं जो अनियमित रूप से व्यय हो रहे हैं उनको नियमित करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक व्यय करने की इजाजत दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस आवश्यक व्यय, जिसकी इजाजत दी गई है, की लिमिट्स क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—लिमिट्स कोई नहीं है। हर एक के अलग अलग हैं। हर एक का अलग बजट है। आवश्यक के माने यह है कि जिसकी वजह से काम न रुके।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड का बजट अभी तक किन कारणों से पास नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। वैसे प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि प्रेसीडेंट साहब की मेजारिटी नहीं है।

जिला हमीरपुर की पंचायती अदालतों द्वारा किए हुए जुर्माने का वसूल न होना

*७—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला हमीरपुर में ऐसी कितनी पंचायत अदालतें हैं जिनके द्वारा अपराधियों पर किये हुये जर्माने १९५१-५२ व ५३ से वसूल नहीं हुये ? इनके वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री कृपाशंकर--सन् १९५१ में ९, सन् १९५२ में ११ तथा सन् १९५३ में २० पंचायती अदालतों के जुर्माने वसूल नहीं हो पाये थे। वसूली न होने के कारण ४ हैं :

(१) कुछ पंचायती अदालतों के निर्णयों की निगरानियां चल रही हैं।

(२) कुछ अपराधियों की चल तथा अचल सम्पत्ति का पता न लगने के कारण वारेन्ट की तामीली नहीं की जा सकी है।

(३) कुछ मुकदमें पंचायत राज अधिनियम की धारा ९४ के अन्तर्गत परगनाधीश के यहां विचाराधीन पड़े हैं।

(४) कुछ मुकदमों में वसूलयाबी न होने का कारण सरपंचों की उदासीनता है।

जिला गोंडा के ट्रांस राप्ती भाग में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

*८--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला अन्तर्गत ट्रांस राप्ती भाग में कोई जनाना अस्पताल नहीं है हालांकि वह भाग जिले का लगभग १/४ है ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

*९--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या स्वास्थ्य मंत्री को याद है कि अपने गत दौरे के अवसर पर उन्होंने लोगों की प्रार्थना पर तुलसीपुर नगर में एक जनाना अस्पताल खुलवाने का वचन दिया था जिसकी नाप जोख भी उसके उपरान्त हुई परन्तु फिर दो वर्ष से उसमें कुछ नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास--जनाने अस्पताल का तो नहीं पर एक जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने का वादा किया गया था। यह केन्द्र खुल गया है और ५ मई सन् १९५३ से काम कर रहा है।

*१०--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या स्वास्थ्य मंत्री जिला गोंडा में बलरामपुर राज्य के बलरामपुर नगर अस्पताल को सरकार द्वारा चलाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां, परन्तु अस्पताल अधिकारी अस्पताल के प्रान्तीयकरण के लिये सहमत नहीं है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती भाग में कोई जनाना अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है कि वहां कोई जनाना अस्पताल नहीं है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी को पता है तुलसीपुर में, जब माननीय मंत्री जी वहां गये थे, तो वहां पर उन्होंने एक जनाना अस्पताल खोलने का आश्वासन दिया था ?

श्री बनारसीदास---ऐसा आश्वासन जनाने अस्पताल के बारे में नहीं बल्कि वहां एक जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने के बारे में दिया था और वह वहां पर कायम भी किया जा चुका है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि तुलसीपुर के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र वहां पर एक जनाना अस्पताल बनवाने के बारे में आया हुआ था ?

श्री बनारसीदास---कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तो नहीं लेकिन यह सही है कि उस क्षेत्र में एक जनाने अस्पताल की आवश्यकता है और काफी लोगों ने इसकी मांग की है ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बलरामपुर नगर में कोई सरकारी अस्पताल भी है ?

श्री बनारसीदास---वहां पर कोई अस्पताल नहीं है, ट्रस्ट की तरफ से चलता है।

बाढ़ग्रस्त जिलों के ज़िला बोर्डों को स्कूलों एवं सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये सहायता

*११---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सन् ५३ की बाढ़ के कारण किन किन जिलों के जिला बोर्डों को सड़क एवं स्कूलों को पुनर्निर्माण के लिए कितना कितना रुपया दिया गया ?

श्री कृपाशंकर---यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---जल्द से जल्द इसमें आज्ञा जारी की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिन को सरकार सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उन जिलों के नाम इस प्रकार हैं:---गोरखपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस और प्रतापगढ़ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सन् ५४ में इन जिला बोर्डों को कोई सहायता नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्योंकि पिछले वर्ष कोई अनुदान इस प्रकार का नहीं था बजट में इसलिये पिछले साल कोई सहायता नहीं दी जा सकी और इस साल दी जा रही है ।

*१२-१३---श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

हाथरस के सिविल अस्पताल में आधुनिक सर्जिकल यंत्रों का अभाव

*१४---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल हाथरस (अलीगढ़) में आधुनिक सर्जिकल यंत्र के न होने के कारण स्थानीय जनता को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री बनारसीदास---जी हां, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

*१५---श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या सरकार को इस बात का पता है कि उक्त अस्पताल में एक्सरे (X-ray) मशीन बहुत ही रद्दी प्रकार की है जो अक्सर बन्द रहती है ?

श्री बनारसीदास---उसके बनवाने की बातचीत चल रही है ।

*१६---श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या सरकार के पास उक्त अस्पताल में हाथरस के सेठ श्री धन्सालाल लोहिया द्वारा अपने धन से एक टी० बी० का वार्ड खोलने का प्रस्ताव आया है ।

श्री बनारसीदास---विभाग के पास ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का कब तक प्रान्तीयकरण हो जायगा ?

श्री बनारसीदास---आशा करता हूं कि इस वर्ष नये शेड्यूलड आफ डिमांड्स में इसके लिये प्राविजन करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि आधुनिक यंत्रों की कमी के कारण बहुत से सीरियस केसेज भर्ती करने से मना कर दिये जाते हैं और जो कि यहां से आगरा और अलीगढ़ भेज दिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास---यह सही है कि वहां इक्विपमेंट की कमी है और यह अस्पताल जिला बोर्ड के अधीन है । उनको लिखा भी गया कि वह इसमें सुधार करें लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता धनाभाव के कारण प्रकट की है । इसलिये सरकार इसको लेना चाहती है ।

श्री रामदास आर्य---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ऐक्सरे मशीन इस अस्पताल को कब दी गई थी और कितने दिन इसने कार्य किया ?

श्री बनारसीदास---इस अस्पताल का सरकार से कोई संबंध नहीं है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही इसका इंतजाम करती है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ही इस मशीन को खरीदा होगा, प्रान्तीय सरकार ने इसको नहीं दिया ।

बस्ती जिले की पंचायतों के धन का निरीक्षण

*१७---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने वर्षों से पंचायतों का धन आडिट नहीं हुआ है ?

श्री कृपाशंकर---अब तक विधिवत कोई आडिट नहीं हुआ है परन्तु समय समय पर जिला पंचायत अधिकारी तथा सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने हिसाब किताब का निरीक्षण अवश्य किया है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले में कितनी पंचायतों का जिला पंचायत अधिकारी और कितनी पंचायतों का जिला सहायक पंचायत अधिकारी ने हिसाब किताब का निरीक्षण किया ।

श्री कृपाशंकर---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार कोई आडिटर मुकर्रर करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा कि इस सदन को मालूम है इस वर्ष के बजट में इसका प्रावीजन है और आडिट मशीनरी तय करने पर विचार हो रहा है कि किस तरह से उसका आडिट कराया जाय ।

*१८-१९---श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---[स्थगित किये गये ।]

*२०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[स्थगित किये गये ।]

जिला आजमगढ़ की मऊनाथ भंजन नगरपालिका द्वारा सरकार से आर्थिक सहायता की मांग

*२१---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मऊनाथ भंजन नगर पालिका जिला आजमगढ़ ने सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिये सरकार से सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने कितनी सहायता देने का विचार किया है और कब तक यह सहायता मिलेगी ?

श्री कृपाशंकर---जी हां ? नगरपालिका की मांग पर सरकार विचार कर रही है परन्तु कब तक या कितनी सहायता दी जा सकेगी इस संबंध में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष ने कितने रुपये की सहायता की मांग की है ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक लाख रुपये से अधिक की उन्होंने मांग की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सन् ५२ से आज तक मऊ नगरपालिका को कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह बिलकुल गलत है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय जो मऊ में रोड्स की मरम्मत हो रही है, उसमें सरकार ने कोई सहायता दी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। सन्० १९५३-५४ में ३० हजार रुपये की सहायता दी है जिसकी वजह से इस वक्त मरम्मत हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक इस पूरे प्रश्न पर सरकार फैसला न कर पाये तब तक कुछ थोड़ी सी रकम मऊ नगरपालिका को अपना काम चलाने के लिये देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह संभव नहीं है क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो रोड ग्रांट है वह हमको वर्ष के अन्त में मिलती है यू० पी० रोड फंड से, दूसरी बात यह है कि नगरपालिका मऊ को इसी वर्ष सन् ५४ के मार्च में २० हजार रुपये मिल चुके हैं। ख्याल यह है कि हर म्युनिसिपल बोर्ड को बाई रोटेशन यह मिले । इसलिये इस वर्ष इसके चांसेज बहुत कम है कि इस नगरपालिका को कोई ग्रांट मिले ।

*२२---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[स्थगित किया गया ।]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय तथा उनका संचालन

*२३---श्री जटाशंकर शुक्ल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूबे में आयुर्वेदिक तथा यूनानी डिस्पेंसरियां कितनी हैं और उनमें से कितनों के लिये सरकारी इमारतें निर्मित कराई गयीं हैं ।

*२४---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितनी आयुर्वेदिक तथा यूनानी डिस्पेंसरियों के लिये इमारतें निर्माण कराने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री बनारसीदास---इस समय उत्तर प्रदेश में कुल ५४४ राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं । सरकार ने धनाभाव के कारण कोई भवन निर्माण नहीं कराये हैं । इस परिस्थित में सरकार आशा करती है कि जनता की ओर से भवन निर्माण का कार्य हो सकेगा ।

*२५---श्री जटाशंकर शुक्ल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक विभाग का विभागाध्यक्ष कौन है और क्या उसका स्तर संचालक सार्वजनिक स्वास्थ्य (एलोपैथिक) के ही समान है ? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास---उपसंचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुर्वेद) आयुर्वेद विभाग के विभागाध्यक्ष हैं । उनको अपने क्षेत्र में कार्य का पूर्ण अधिकार है परन्तु विभाग के कार्य के उचित संचालन तथा समागम (Co-ordination) के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का एक ही संचालक होना ठीक समझा गया है

यू०पी० इंडियन मेडीसिन बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में पूछताछ

*२६---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० मेडिकल बोर्ड का कार्य काल कितनी अवधि का होता है ?

श्री बनारसीदास---यू० पी० मेडिकल बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है । यू० पी० इन्डियन मेडिसिन बोर्ड एक संस्था है जिसका कार्य काल ३ वर्ष का होता है ।

*२७---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त बोर्ड का पिछला चुनाव कब हुआ था ?

श्री बनारसी दास---उक्त बोर्ड का चुनाव १९५० के अन्त में हुआ था ।

*२८---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल बोर्ड का चुनाव कब करानेका उसका विचार है ?

श्री बनारसीदास---उक्त बोर्ड के चुनाव को स्थगित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मौजूदा मेडिसिन बोर्ड का कार्यकाल कब समाप्त हुआ और उसके बाद अब तक चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास---वह तो बताया गया कि तीन साल उसका कार्य-काल है और सन् १९५४ के शुरू में ही उसका चुनाव हो जाना चाहिये था लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा ।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या २३-२५ श्री हरदयालसिंह पिपल ने पूछे ।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि सरकार की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ था जिसके अनुसार फरवरी और जुलाई, १९५४ के बीच चुनाव हो जाना चाहिये था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, पहले इस प्रकार का नोटिफिकेशन हुआ था कि चुनाव जुलाई के अन्त तक खत्म हो जाना चाहिये । परन्तु अब इस चुनाव के सम्बन्ध में सरकार के विचार में कुछ परिवर्तन हुआ है । सरकार एक विधेयक इस सदन के सामने लाना चाहती है जिससे कि इस बोर्ड की जिन्दगी बढ़ा दी जाय और वह संशोधन विधेयक के द्वारा इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय जिसमें वे सिफारशें जिन्हें आयुर्वेदिक आर्गनाइजेशन कमेटी ने किया सम्मिलित कर ली जावें । क्योंकि अब उनकी आवश्यकता बहुत प्रतीत हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि इस मेडिसिन बोर्ड के चुनाव स्थगित किये जाने के कानूनी कारण जो उन्होंने बताये हैं वह क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कानूनी कारण तो समय के विषय से सम्बन्ध रखते थे । अब कानूनी कारण तो उस विधेयक से सम्बन्ध रखते हैं जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेगें कि जिस कमेटी की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है उस कमेटी की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? जिनको वह विधेयक में लाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं । वह विधेयक सदन के सामने आयेगा ही ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? उस कमेटी का नाम मैंने पूरा सुना नहीं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह आयुर्वेदिक रिआर्गनाइजेशन कमेटी थी । उसके सभापति माननीय खेर जी थे । उसकी सिफारिशें एक मोटी किताब में दी हुई हैं । उन सबका ब्योरेवार जिक्र तो नहीं किया जा सकता है ताहम मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस कमेटी की मुख्य सिफारिशें यह थीं कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन की स्थापना उसी तरह से होनी चाहिये और उसके अधिकार उसी प्रकार के होने चाहिये जो यू० पी० इण्डियन मेडिकल कौंसिल को प्राप्त हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विधेयक लाने का वह विचार रख रहे हैं, वह विधेयक कब तक आ जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो अभी ला डिपार्टमेंट में है । मेरा ख्याल है कि अगली दफा जब हम यहां फिर से बैठेगें तब वह इस सदन में उपस्थित किया जा सकेगा ।

रामपुर में जिला बोर्ड स्थापित करने का विचार

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार रामपुर में जिला बोर्ड कब तक स्थगित करने का है ।

श्री कृपाशंकर---यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*२९---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि कब तक इस प्रश्न पर निर्णय सरकार कर सकेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम––अधिक अच्छा यही होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का चुनाव हो उसी समय यहां का भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने और उसका चुनाव हो।

श्री कृष्णशरण आर्य––क्या यह सत्य है कि रामपुर में जिला बोर्ड न होने के कारण जिला बोर्ड के मद में से धन सरकार किसी और संस्था द्वारा खर्च कराती है ?

श्री मोहनलाल गौतम––डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वह है जो सरकार स्वयं करती है जैसे अस्पताल और स्कूल आदि और कार्यों के लिये वहां रुपया दिया जाता है और पिछले वर्ष १ लाख १५ हजार रुपया दिया गया था।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)––डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कब तक कराने का सरकार का इरादा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम––इसके लिये निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा सकती।

श्री गेंदासिंह––वहां कुछ कार्य तो सरकार करती है और कुछ कार्य और कौन संस्था करती है।

श्री कृपाशंकर––वहां के नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता हे।

होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करने वालों के रजिस्ट्रेशन

*३०––श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या होम्योपैथिक की प्रेक्टिस करने वालों से अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं ?

श्री बनारसीदास––जी हां। २१ जुलाई १९५४ को रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश, ने एक प्रेस नोट द्वारा होम्योपैथिक के रजिस्ट्रेशन के नियम जनता की सूचना के लिये छपवाये थे। इसमें यह भी सूचित किया गया था कि रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र का फार्म बोर्ड के कार्यालय से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है।

*३१––श्री लक्ष्मणराव कदम––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी उक्त रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यकीय है ?

श्री बनारसीदास––आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ की धारायें ३१,३२,३३ और ३४ और परिशिष्ट में तथा रजिस्ट्रेशन रूल में दी हुई है। अधिनियम की प्रति मेरी मेज पर सदस्य देख सकते है। रजिस्ट्रेशन रूल की प्रति उत्तर के साथ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५८––१६२ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम––क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फार्म की धारा ५ और १५ के अनुसार वह होम्योपैथ रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जावेगें जो ५ वर्ष से अधिक से धर्मार्थ पार्ट टाइम प्रैटिक्स कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास––जी हां, जैसा कि इस समय का नियम है उसके अनुसार जो उप नियम बनाये गये हैं उनसे यह सही है कि लोग पूर्णतया होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता।

श्री रतनलाल जैन--सरकार को क्या मालूम है कि इस प्रान्त में बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बड़ी अच्छी होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या सरकार को उनके रजिस्ट्रेशन में कोई रुकावट है ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है। कोई व्यक्ति रजिस्टर हो सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह पूर्णतया होम्योपैथी का ही कार्य करता हो।

श्री रतनलाल जैन--अगर वह सरकारी नौकर है और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है तो क्या वह रजिस्टर हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उत्तर से आपको प्रतीत हो जायगा।

प्रयाग नगर के व्यापार मंडल द्वारा चुंगी वापसी की सरकार से प्रार्थना

*३२--कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रयाग नगर का व्यापार मण्डल मुख्य मंत्री जी से चुंगी वापसी के सम्बन्ध में मिला था ?

श्री कृपाशंकर--जी हां।

३३--श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु--क्या सरकार चुंगी कर को शीघ्र हटाने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री कृपाशंकर--प्रशासक नगरपालिका इलाहाबाद ने बिना वापसी चुंगी लगाने का एक प्रस्ताव अभी हाल में भेजा है। इस सुझाव पर सरकार विचार कर रही है। यह कहना अभी कठिन है कि बोर्ड द्वारा प्रस्तावित चुंगी का अन्तिम रूप क्या होगा और यह कब से लागू होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु--क्या यह सही है कि चुंगी को हटाने का मामला तब से पेश है जब कि माननीय मंत्री जी इलाहाबाद बोर्ड के सदस्य थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--उस वक्त से लेकर अब तक नदी के नीचे से बहुत सा पानी बह गया और सरकारें बदल गई इसलिये उस वक्त की बात मुझे याद नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु--क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी तथा स्वशासन मंत्री जी ने इलाहाबाद के व्योपार मंडल को दो महीने के अन्दर चुंगी हटाने का आश्वासन दिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा मुझे याद नहीं है कि दो महीने के अन्दर चुंगी हटाने का आश्वासन दिया था लेकिन इस प्रश्न पर काफी वाद विवाद हो रहा है और बहुत सी कठिनाइयां हैं। कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला हो जाय।

*३४--श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु--[२२ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला मिर्जापुर की कर्मनाशा नदी पर पकरहट घाट पर पुल निर्माण का विचार

*३५--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या स्वशासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर की कर्मनाशा नदी पर पकरहट घाट पर पुल अथवा काजवे बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री कृपाशंकर--जिला बोर्ड मिर्जापुर, पकरहट घाटपर पुल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि पुल का निर्माण कब प्रारम्भ किया जा सकेगा।

*३६--**श्री रामस्वरूप**--क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में इस नदी पर पुल न होने से करीब ५० गावों का संबंध जिले के अन्य भागों से टूट जाता है ?

श्री कृपाशंकर--जी सां, यह सत्य है कि वर्षा ऋतु में इस नदी के दोनों ओर के ग्रामों का संबंध अस्थायी रूप से टूट जाता है।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल को बनाने का प्रश्न जिला बोर्ड के सामने कितने साल से है और तखमीना क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह हिदायत अभी दी गई है कि वह पुल बनाने के प्रश्न पर विचार करे और यह प्रश्न थोड़े दिनों से विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस पुल के न बनने से हर वर्ष बहुत से पशु और आदमी बह जाया करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--ठीक तो नहीं मालूम है लेकिन दिक्कत काफी है।

*३७-३९--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--[स्थगित किये गये।]

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, क्या मैं गृह मंत्री जी से जान सकता हूं कि सदन का कार्यक्रम क्या रहेगा। सदन के स्थगित होने के सम्बन्ध में और दोबारा मिलने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में मेरे पास माननीय नेता सदन के पास से सूचना आ चुकी है और मैं भी उससे सहमत हूं। सदन की बैठक २२ अक्तूबर की शाम को खत्म होगी और इसके बाद सदन १ दिसम्बर को फिर बैठेगा।

श्री राजनारायण द्वारा अपने विशेषाधिकार के प्रश्न तथा कार्यस्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैंने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दिया था और एक काम रोको प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष--वह मेरे पास ५ मिनट पहले आया है। मैंने माननीय सदस्य से कह दिया था कि मैं सब कागजात देख लूं जो उन्होंने दिये थे और कल उसके ऊपर फैसला दूंगा।

*इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा। माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन पर विवाद जारी होगा।

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† १५ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही का छपा है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, वर्मा जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। वर्मा जी ने जो शब्द संशोधन के रूप में रखने चाहते हैं वे इस प्रकार हैं, "an eminent educationist of high academic reputation and be" जिस लक्ष्य की वह पूर्ति करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि इन शब्दों से नहीं हो सकती है। यदि उनका संशोधन कुछ इस तरह का होता कि वाइस-चांसलर की क्या योग्यता हो, वह डी० फिल० हो, एल०-एल० डी० हो या कभी प्रोफेसर रह चुका हो या रीडर रह चुका हो तो सम्भव हो सकता था लेकिन उसका भी होना उचित नहीं था क्योंकि इस देश के किसी प्रदेश को किसी युनिवर्सिटी के ऐक्ट में वाइस चांसलर की योग्यता के लिए कोई वर्णन नहीं किया गया है। और यदि इस संशोधन को मान लिया जाय उसके बाद यह भी प्रश्न उठ सकता है कि एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और उसके बाद के जो शब्द हैं उसकी परिभाषा क्या होगी और यह तय करना ही मुश्किल हो जायगा कि एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आफ हाई एकेडेमिक रेपुटेशन किसको समझा जाय। अपने देश में ही क्या दूसरे देशों की युनिवर्सिटीज में भी और इंगलैण्ड की यूनिवर्सिटीज में भी, हालांकि वहां यह है कि आमतौर से युनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ही वाइस-चांसलर हुआ करते हैं लेकिन वहां भी दूसरे विभागों के जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है या किसी ऐसे विभाग में अपना जीवन व्यतीत किया है जिसके कारण विशेष रूप से वे इस पद के योग्य हो गये हों वे भी वाइस चांसलर हुआ करते हैं। फिर जैसा कि हमारे वर्मा जी ने राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट से बहुत से साक्षियों ने जो बयानात दिये थे उनको पढ़ कर सुनाया कि उस कमीशन की यह रिपोर्ट है, तो मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि साक्षियों के बयानात किसी कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट नहीं हुआ करती। यह भी नहीं है कि वह कमेटी या कमीशन उन साक्षियों के बयानात को माने ही। उसके बाद हम देखते हैं कि मूथम इनक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है। उसमें भी यह दिया हुआ है कि यह अच्छा और उचित ही है कि आम तौर से वाइस चांसलर्स एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होने चाहिये लेकिन वहां भी मिस्टर मूथम इन साक्षियों की राय से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह आवश्यकीय नहीं है कि एक एजुकेशनिस्ट अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। उनका यह कहना है---

"Nonetheless the opinion appears to be fairly generally held that any teacher is capable of being a good academic administrator. This is an opinion which we do not share."

इस तरह से अगर यह बन्धन रख दिया जाय कि एक प्रोफेसर या एक रीडर जो एजुकेशनिस्ट माना जाय उसी को ही रख दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह ठीक भी नहीं होगा हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरे विभागों में व्यतीत किया हो, अगर उन्हें बंचित कर दिया जाय तो युनिवर्सिटी का शासन अच्छी तरह नहीं चल सकता है। आम तौर से देखा गया है कि प्रोफेसर्स जो वाइसचांसलर के पद पर रहते हैं तो उनके जो सबार्डिनेट्स होते हैं उनसे ही उन्हें काम लेना पड़ता है और वहां उन्हें अपने गुट का भी विचार करना पड़ता है, तो वह इतनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकते जितनी स्वतन्त्रता और आजादी से दूसरे लोग कर सकते हैं। हमारे देश में अभी जैसा समाचार पत्रों में आया कि वाइसचांसलर कौन होगा, उस सम्बन्ध में जो हमारे चीफ जस्टिस एम० सी० महाजन हैं, उनका भी नाम आया। हम समझते हैं कि अगर मि० महाजन जैसे लोग इलाहाबाद युनीवर्सिटी या और दूसरी युनिवर्सिटियों के वाइसचांसलर नियुक्त कर दिये जायं तो मैं समझता हूं कि जो आज वाइसचांसलर्स हमारी युनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं उनसे १० गुना अच्छे तरीके से मि० महाजन जैसे लोग काम कर सकते हैं।

तो मैं समझता हूं कि जो संशोधन हमारे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह प्रैक्टिकल नहीं मालूम पड़ता। वह अस्पष्ट भी है और जो हालात हमारे देश में उनको देखते हुए, मैं समझता हूं कि यह युनिवर्सिटीज के हित में नहीं होगा कि इस संशोधन को माना जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं। कल दोपहर सवा बजे तक प्रस्तावों के ऊपर मैं सदन की राय ले लूंगा, सवा बजे तक; और उसके बाद सवा दो बजे से तृतीय वाचन शुरू होगा और चार बजे तक समाप्त हो जायगा। ऐसी अवस्था में यदि आज बहुत से संशोधन विचार के लिये बाकी रह गये तो मैं यह समझता हूं कि आज ४ बजे के बाद से मुझे एक दम से उन शेष संशोधनों को पढ़ना ही शुरू करना पड़ेगा और राय लेनी शुरू करनी पड़ेगी। इस प्रकार मत प्राप्त करने के लिये एक घंटा आज मिल जायगा और बाकी कल सवा घंटा मिलेगा, तो सवा दो घंटे में संशोधन पर राय लेना समाप्त हो पायेगा। तो अगर माननीय सदस्य, जो खास-खास संशोधन हैं उनके ऊपर वाद प्रतिवाद विवाद कर लें, बाकी छोड़ दें, तो उचित होगा।

दूसरी बात यह है कि जो तर्क उपस्थित करना है किसी संशोधन के सम्बन्ध में उन्हें एक दो सदस्य ही उपस्थित कर दें। एक ही प्रकार के तर्क अगर हर एक व्यक्ति हर एक संशोधन पर उपस्थित करेगा तो सदन का समय उसमें अधिक नष्ट हो जायगा।

ये मेरे सुझाव भाषण देने वालों के लिये हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—भाषण देने के लिये कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि मेरा जो यह संशोधन है वह बहुत ही निर्दोष है और माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि कोई भी पोस्ट, मैं समझता हूं, मंत्रिमंडल को छोड़ करके, एक चपरासी से लेकर गवर्नर जनरल तक, ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड न हो। वाइस-चांसलर, युनिवर्सिटी को शिक्षा जिसके अन्डर में संचारित होती है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन न रखना, मैं समझता हूं शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा था कि जहां तक भावना, या इस संशोधन का जो भाव है वह बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस संशोधन को रखने की भावना को तो पहिचाना है कम से कम उन्होंने मेरी जो भावना है उसको तो समझा है लेकिन पता नहीं क्या कठिनाई उनको इसे स्वीकार करने में आ गई कि उससे स्वीकार करने में इसे वह समर्थ न हो सके। इसके सम्बन्ध में केवल एक बात कही गई है वह यह कि एजुकेशनिस्ट कौन होगा, उसकी शिक्षा सम्बन्धी जांच के लिये कसौटी क्या होगी इसके लिये वहहै निश्चय नहीं कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह कम्पीटीटिव सर्विस नहीं लेकिन फिर भी यह बहुत साधारण सी बात है कि प्रत्येक स्थान की नियुक्त के लिये कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। विशेषकर वाइस-चांसलर के स्थान के लिये कोई ऐसा आदमी जिसने शैक्षिक सेवा की है, शिक्षा के सम्बन्ध में सेवा कार्य के लिये अपनी शैक्षिक शक्ति से साधन जुटाये हैं या शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त की है ऐसा व्यक्ति ही इसमें आ सकता है। मैं समझता हूं कि साधारण तौर से यही उसकी साधारण कसौटी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम यह मान भी

[श्री जोरावर वर्मा]

लें तो बहुत बड़ी बाधा वाइस चांसलर के सिलेक्शन में हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि क्वालिफिकेशन के रखने से उपकुलपति के चुनाव में यह बाधक नहीं बल्कि बहुत बड़ी साधक सिद्ध होगी। क्योंकि इससे तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये और भी सरल मार्ग हो जाता है वाइस चांसलर के लिये किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करना क्योंकि योग्यता रख देने से एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि उसे ऐसे लोगों को चुनना है जिनकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार की हो। इसके अलावा जो हमारे चांसलर महोदय हैं, उप-कुलपति की नियुक्ति के बारे में उनके लिये भी रास्ता सरल हो जाता है। यद्यपि एक्जीक्यूटिव कमेटी ने यदि पार्टीबन्दी से शिक्षा की अवहेलना करके किसी ऐसे आदमी का नाम रिकमेन्ड कर दिया है जो शिक्षा से कोई सम्बन्ध न रखता हो, और जिसने शिक्षा सम्बन्धी कोई ऐसी सेवा न की हो और शिक्षा क्षेत्र में जिसने कोई प्रसिद्धि प्राप्त न की हो तो चांसलर महोदय के लिये सरलता हो जायगी कि ऐसे आदमी को सेलेक्ट कर नियुक्ति कर लें जो उनमें बेहतर हो और यदि ऐसे नाम आये हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम न किया हो तो उनके लिये सरल हो जायगा तो वे नाम रिटर्न कर दें। मैंने पहले ही कहा था कि शिक्षा योग्यता सम्बन्धी कैद न रखने से चांसलर के लिये कठिन कार्य हो जायगा किस आधार पर वे नाम लौटाये जायं और जो नाम आयें उनमें से किसे नियुक्त किया जाय। अगर मेरे संशोधन को न रक्खा जायगा तो वे इससे लोग यह अर्थ लगा सकते हैं कि चांसलर महोदय किसी पार्टी पालिटिक्स की वजह से या मंत्रिमंडल के सुझाव या दबाव पर या किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रभाव के कारण नाम रिटर्न कर रहे हैं। अगर मेरे संशोधन को मान लिया जाता है तो उसके लिये सेलेक्शन कर नियुक्त करना या नाम रिटर्न करना बहुत सरल हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, चन्द्रसिंह रावत जी ने कहा है कि अगर ऐसा हो जायगा तो कोर्ट में मामला जायगा कि यह क्वालिफिकेशन नहीं है या यह होनी चाहिये। तो अब भी मैं समझता हूं कि तमाम केसेज कोर्ट में जाते हैं और माननीय सदन को भी मालूम ही होगा कि अभी एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य के विषय में डा० ईश्वर प्रसाद जी का एक रिट पैटिशन दाखिल है। यह संशोधन न रक्खा जायगा तो कोर्ट में न जाना होगा, मैं समझता हूं कि यह केवल एक बहाना मात्र है। उन्होंने यह भी कहा है कि बजाय इसके कि कोई एडजुकेशनिस्ट हो युनीवर्सिटी के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वह उपकुलपति एक एमिनिस्ट्रेटर हो। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके लिये निश्चित क्वालिफिकेशन यह रख दें कि एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, शासक की जरूरत है, ऐसे आदमी की आवश्यकता नहीं है जिसकी शिक्षा सम्बन्धी कोई योग्यता न हो। तो अधिक अच्छा होगा कि एक मिलीटरी कमीशंड आफीसर को वाइस चांसलर बना दें। अगर ऐसी ही कोई क्वालिफिकेशन रख दी जाय तो भी ठीक है।

माननीय शुक्ल जी ने कहा कि इस संशोधन का तथ्य तो समझ में नहीं आया। लेकिन इस संशोधन में एक झंकार सुनाई देती है। शब्दों से स्वर झंकरित होता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि उनको जो यह मालूम पड़ता है उससे मुझे यही पता चलता है कि वह सिनेमा डांसिग सोसायटी से ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि यह इससे प्रकट होता है कि उनको मेरे संशोधन में झंकार ही सुनाई पड़ती है। सम्भवतः उनमें ही वह ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता तो चिन्तामणि और टैगोर जैसे विद्वानों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह लोग वाइस चांसलर के चुनाव में नहीं आ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक चिन्तामणि साहब की

बात है वह अपने जमाने के बेस्ट एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियन थे और उनका मुकाबला उस समय कोई भी एकेडमिशियन नहीं कर सकता था। शुक्ल जी ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वर्मा जी कहीं पर किसी स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल रहे हैं इसलिये संभवतः उन्होंने यह संशोधन पेश किया है कि युनिवर्सिटी का वाइसचांसलर जो है प्रिंसिपल या हेड मास्टर ही हो सके। पता नहीं कि उन्होंने यह किस तरह से यह जज किया कि मैं ऐसा चाहता हूं। यह तो हेड मास्टर या प्रिन्सिपल के लिये नहीं रखा गया है। यह तो तमाम एजुकेशनिस्ट्स और एकेडमिशियन्स के लिये रखा गया है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि उसमें अगर यह जोड़ दिया जाय तो बहुत ही अच्छा और उपयुक्त होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जायगा और इन शब्दों को नहीं जोड़ा जायगा तो इससे कुछ बाधा चुनाव में जरूर हो जायगी। क्योंकि खासकर वकील लोगों के लिये यह निश्चय ही बहुत बड़ी बाधा हो जायगी कि वह वाइसचांसलर नहीं हो सकेंगे। इसलिये मैंने यह योग्यता वाइसचांसलर के चुनाव के लिये उनकी रख दी है और इससे किसी को भी कोई कठिनाई भी नहीं होगी। किन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी जो यह रख रहे हैं कि उसके लिये कोई क्वालिफिकेशन योग्यता न रखी जाय इससे यह होगा कि पार्टी पालिटिक्स के लोग इसमें आयेंगे जो कि एजुकेशनिस्ट या एकेडमिशियन नहीं होंगे और यह शिक्षा संस्था के लिये बहुत ही अहित की बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी और एन० के सरकार ने अपनी गवाही में राधाकृष्णन् कमीशन के सामने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिये वाइसचांसलर का एजुकेशनिस्ट होना बहुत ही आवश्यक है। जहां तक डाक्टर अमरनाथ झा जी का सम्बन्ध है उन्होंने . तो यह कहा था कि यह अर्ध शिक्षित लोग युनिवर्सिटी के शासन में दिन रात इन्टरफियर दखलन्दाजी करते हैं, यह अच्छा नहीं है। इस वजह से जो यह क्वालिफिकेशन नहीं रक्खी जा रही है इससे युनिवर्सिटी का भला नहीं होगा कोई हित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन पर फिर विचार करें और इसको स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि इससे चांसलर को वाइस चांसलर का चुनाव करने में बहुत आसानी होगी। मैं उनसे आशा करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)—तो मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "shall be" तथा शब्द "a" के बीच में शब्द "an eminent educationist of high academic reputation and be" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (2) की पंक्ति १ में शब्द "emoluments and" निकाल दिये जायं।

यह एक बहुत ही छोटा सा संशोधन है। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि उसके बाद श्री शिवकुमार जी ने एक संशोधन वायस चांसलर की पे के बारे में भी रखा है।

श्री हरगोविंदसिंह—यह मुझे मंजूर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह संशोधन जरा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर इमौल्यूमेंट्स शब्द निकल जाता है और इसके आगे अदर कंडीशन्स आफ सर्विस' रह जाता है तो इससे यह चीज कुछ समझ में नहीं आती अगर माननीय नवल किशोर जी उसको समझा देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—शायद उनका मंशा शब्द 'अदर' को भी निकाल देने का हो, जो कंडीशन्स हैं वे नम्बर १ में आ सकती हैं। मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (2) की पंक्ति १ में शब्द "emoluments and" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (2) के अन्त में शब्द "and shall not be varied to his disadvantage after his appointment" निकाल दिये जायं।

श्रीमन् यह जो अन्त में शब्द रखे गये हैं कि किसी वाइसचांसलर की तनख्वाह तथा सर्विस कंडीशन्स के बारे में जो स्टेट्यूट्स बनेंगे वे बदले नहीं जा सकेंगे। मान लीजिये कि किसी वाइस चांसलर का टर्म ५-६ साल का है तो उसका मतलब यह है कि उन ५-६ सालों में स्टेट्यूट्स नहीं बदले जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, वाइसचांसलर की नियुक्ति चांसलर के द्वारा तीन के पैनल में से की जाया करेगी। अब उसके अपौइंटमेंट के पीरियड में जो मीटिंग्स होंगी उनमें किसी प्रकार की तनख्वाह के बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पेश न हो सकेगा। मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वाइसचांसलर की तनख्वाह 'बेरी' भी कर सकती है। लेकिन अधिकतर किसी वाइसचांसलर की तनख्वाह कम करने या बढ़ाने की आवश्यकता बहुत कम ही हो सकती है। तो जिस प्रकार से वाइस-चांसलर की क्वालिफिकेशन्स का रक्खा जाना जैसे माननीय मंत्री जी के ख्याल में निरर्थक है उसी प्रकार इन शब्दों का भी इसमें रक्खा जाना निरर्थक मालूम होता है। इस डिटेल की बात को रक्खा जाना मेरे ख्याल में बिल्कुल निरर्थक है।

श्री हरगोविन्दसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी का एक अक्षर भी नहीं समझ सका। उनकी यह भी धारणा गलत है कि जब वाइसचांसलर का एक बार चुनाव हो जायगा तो उसके अवधिकाल में कोई स्टेट्यूट्स नहीं बन सकेंगे। इसका केवल मतलब यह है कि अगर किसी वाइसचांसलर का अवधिकाल ५ साल है तो तनख्वाह और सर्विस कंडीशन्स के बारे में जो स्टेट्यूट्स बनेंगे वह उस पर लागू न होंगे, आने वाले वाइस-चांसलर पर लागू होंगे। इसकी आवश्यकता इसलिये हुई कि अगर आप इलाहाबाद युनिवर्सिटी के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा वहां एक बार प्रस्ताव यह आया कि वाइस चांसलर की तनख्वाह एक रुपये घटा दी जाय इसलिये इसमें यह रक्खा गया कि ऐसे स्टेट्यूट्स उसको लागू न होंगे, इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, बड़े आश्चर्य का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने वही बात दोहरायी जो मैंने कही थी, फिर भी वे कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आ सकी। इसके बाद जहां तक वाइस चांसलर की तनख्वाह को घटाने-बढ़ाने का सवाल है कि एक रुपया कम कर दिया गया तो अगर माननीय मंत्री जी इसी सिद्धान्त को प्रोफेसरों के लिये, डीन के लिये, लेक्चरार के लिये भी स्वीकार करें कि उनका इमोलुमेंट्स कम नहीं किया जायगा। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर के लिये भी यह प्रिंसिपल लागू होना चाहिये। यह नहीं कि आपने यह सिद्धान्त वाइसचांसलर के लिये तो लागू कर दिया ताकि वे परेशान न हों और बाकी सब परेशान हों, चाहे वे प्रोफेसर हों, चाहे लेक्चरार हों, चाहे हेड आफ दि डिपार्टमेंट हों। इस डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रसन्द नहीं करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी का यह विश्वास है कि रिफार्म्ड युनिव-सिटी में भी यही हालत रहेगी और उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मेरा तो ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वास है कि उसमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हो जायगा, पुरानी हालत जरूर सुधरेगी। और इसीलिये मैं इस संशोधन को चाहता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, मुझे तो विश्वास है लेकिन उसमें थोड़ी आशंका लाल टोपी वाले आदमियों को हो जाती है कि शायद सुधार नहीं हो सके। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बिल के द्वारा युनिवर्सिटी में सुधार हो जायगा। बदकिस्मती है कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर वाइस-चांसलर को इस परेशानी से बचाया जायगा तो डीन को, प्रोफेसर को, लेक्चरार को क्यों नहीं बचाया जाय? मैं समझता हूं कि वाइसचांसलर और लेक्चरार और प्रोफेसर्स और डीन में बड़ा भारी फर्क है। उसके स्थान, उसके स्तर और उसके अधिकार में बड़ा फर्क है। वाइसचांसलर की तुलना में वे नहीं रखे जा सकते। इसीलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (2) के अन्त में शब्द "and shall not be varied to his disadvantage after his appointment" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (2-B) के बाद नई उपधारा (2-B) निम्न रूप में जोड़ दी जाय:—

"(2-B) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 1,500 per month and be provided furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs. 200 per month."

श्रीमन्, इस अमेंडमेंट का अभिप्राय यह है कि वाइसचान्सलर को जो पे है वह इस ऐक्ट के अन्दर प्रोवाइड होनी चाहिये। वह स्टेच्यूट के अनुसार गवर्न नहीं होना चाहिये। क्योंकि हमने देखा कि इसी यू० पी० के अन्दर रुड़की इंजीनियरिंग युनिवर्सिटी में यह प्राविजन था कि स्टेच्यूट से वहां के वाइसचान्सलर की पे गवर्न होगी और मुझे मालूम हुआ है कि उनको ३,५०० रु० से भी अधिक पे दी गई है।

श्री अध्यक्ष—आपको दोनों संशोधन एक ही साथ पेश करना चाहिये था। पहला संशोधन आपका यह था कि इमोलुमेंट्स स्टेच्यूट के जरिये तय होंगे। और इसमें १,५०० रु० से फिक्स किया गया है। तो ये दोनों संशोधन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं। इस तरह से जो पावर दी गयी थी स्टेच्यूट के जरिये वह बेकार हो जाती है। तो क्या आप इसको पेश करना चाहते हैं?

श्री नवलकिशोर—वैसे पेश तो मैंने कर ही दिया है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह कंट्राडिक्टरी है।

श्री नवलकिशोर—मेरी समझ में दोनों को साथ-साथ हो जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसको तो आपने लिया नहीं था। तो मैं इस पर सिर्फ वोट ले लेता हूं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह स्वीकार है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (2) के बाद नई उपधारा (2—B) निम्न रूप में जोड़ दी जाय---

"(2-B) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 1,500 per month and be provided furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs. 200 per month."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के भाग (b) की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में शब्द "names not more than three in number of persons Suitable" के स्थान पर शब्द "the names of not more than three persons." रख दिये जांय ।

श्री हरगोविन्दसिंह---मुझे यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के भाग (b) की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में शब्द "names not more than three in number of persons suitable" के स्थान पर शब्द "the names of not more than three persons." रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं---

खंड ८ में प्रस्ताविक नई धारा 11 की उपधारा (5) के भाग (b) की पंक्ति ४ में शब्द "Chancellor" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय तथा बाद का "proviso" निकाल दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस उपधारा में यह है कि अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल डिसाइड यूनानिमस तरीके पर न कर सके तो चान्सलर महोदय फिर एक्जिक्युटिव कौंसिल के पास फिर वाइसचान्सलर का नाम चुनने के लिये भेज सकते हैं और अगर फिर भी दस दिन के बाद वह यूनानिमसली कोई नाम न भेज सकें तो वह उसी मीटिंग में तीन नाम रिकमेन्ड करके चान्सलर के पास भेजेंगे । मैं चाहता हूं कि यह जो प्राविजो है इसके अनुसार चांसलर महोदय के लिये कोई लिमिट नहीं है कि वह कितनी बार इन नामों को लौटा देंगे । क्योंकि वह चाहते हैं कि प्रपोशनेल रिप्रिजेन्टेशन द्वारा सिंगिल ट्रान्सफिरेबिल वोट के जरिये से यह चुनाव होगा तो यह जो प्राविजो है यह मैं चाहता हूं कि इसे निकाल दिया जाय ताकि एक्जिक्यूटिव के सेलेक्ट करने का काम सरल हो जाय । यह प्राविजो जो मैं निकालना चाहता हूं इस प्रकार है :---

"Provided that if more than 3 names are proposed in that behalf it shall choose 3 out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The names so chosen shall then be recommended to the Chancellor."

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, यह संशोधन भी मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---शायद वह प्रोपोजल "more than 3 persons" का कहीं प्रश्न हो तब वह उठ सकता है । यह कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री हरगोविन्दसिंह---अगर ३ नाम तक होंगें तब तो कोई वोटिंग नहीं होगी और अगर ३ से अधिक हुये तो प्रोपोर्शनल वोटिंग से ३ नाम भेजे जायेगें। इतना ही इस में स्पष्ट है बाकी वर्मा जी युनिवर्सिटी के बारे में बहुत जानते हैं मैं और क्या कहूं।

श्री जोरावर वर्मा---अगर माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई बाधा है तो मैं इसको वापस लेता हूं

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री अब्दुल मुईज खां वाले प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं। खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (8) की पंक्ति ३ में शब्द " illness "निकाल दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

क्या आपके पास श्री मुईज खां की कोई अथारिटी है ?

श्री शिवनारायण---वे आये नहीं है लेकिन उन्होंने कह दिया था कि पेश कर देना।

श्री हरगोविन्दसिंह---यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित नई धारा ११ की उपधारा (8) की पंक्ति ३ में शब्द " illness " निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९---मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १२ का संशोधन।

Powers and duties of the Vice-Chancellor.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other Authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under Section 42, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline therein.

(5) The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit ;

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid he shall associate with himself two persons one of whom is or has been a judge of a High Court and the other is a person co-opted by them.

(6) In any case in which action has been taken under clause (*b*) of sub-section (5) the Vice-Chancellor shall upon the conclusion of the proceedings submit the report to the Executive Council. The Executive Council shall thereupon pass orders according to the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper.

(7) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, Authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (5) or (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(9) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, suspension and dismissal of officers and teachers of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के अन्त के शब्द "and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under section 42, possess all such powers as may be necessary in that behalf." निकाल दिये जायं ।

श्रीमन्, इसमें जो वाइस चान्सलर को ताकतें दी गई है उसके अनुसार :—

"It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances."

वाइस चान्सलर की ताकतें क्या हैं, श्रीमन्, यह लाइनें सारी उसके ताकत को स्पष्ट कर देती हैं और इसी प्रकार से मूल अधिनियम की उपधारा में भी लिखा हुआ है जो आगे चल कर बतलाया गया है कि वाइस चान्सलर चान्सलर की ताकत को प्रेजुडिस नहीं करेगा । इसलिये इसको एक तो रखना ही अनावश्यक है क्योंकि धारा ४२ के अनुसार जो चांसलर की ताकत है आर्डिनेंसेज, ऐक्ट और स्टैच्यूट में इंटरप्रिटेशन की, एक तो उससे मैं सहमत नहीं हूं और दूसरी बात यह है कि इसमें ही कहा गया है "to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances." और यही धारा ४२ में भी कहा गया है । "फेथफुल आवजरवेंस आफ दि प्राविजन्स आफ दिस ऐक्ट" तो फिर इससे यह नहीं हो सकता कि वाइस चांसलर चांसलर की पावर को कम कर देगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि वह ऐक्ट की धाराओं के अनुसार काम करेगा । तो इसमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन करना मैं समझता हूं गलत है । इस समय अब मैं कोई लम्बी चौड़ी बातें न करके केवल इन्हीं दो बातों के आधार पर यह समझता हूं कि यह क्लाज अनावश्यक है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें ।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इस संशोधन को बिलकुल अनावश्यक समझता हूं । इस लिये स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के अन्त के शब्द "and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under section 42, possess all such powers as may be necessary in that behalf" निकाल दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं ।

• खंड ९ के प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) और (6) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"(5). The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit ;

[श्री शुकदेवप्रसाद]

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons, appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been Judge of a High Court.

(6) In any case in which enquiry has been held under clause (*b*) of sub-section (5), the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the persons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5), regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive Council shall there upon pass orders according to the recommendations made in the the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper. An order passed by the Chancellor under this sub-section shall not be subject to arbitration under section 47".

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय शुकदेव प्रसाद जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। श्री मन् इस संशोधन के द्वारा तीन बदलाव विधेयक की धारा में किये गये हैं और पहिला परिवर्तन तो यह है कि जहां पहले वाइस चांसलर को इस बात का अधिकार था कि वह एक एक हाईकोर्ट के जज को नामिनेट करेगा और फिर हाईकोर्ट का जज और वाइस चांसलर मिल कर एक तीसरे व्यक्ति को नामिनेट करेंगे इसके स्थान पर बदल कर स्टेच्यूट के अनुसार अब दो व्यक्ति रखे जायेगें। इसमें एक हाईकोर्ट का जज रहा हुआ व्यक्ति या हाईकोर्ट का जज होगा। दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि अगर वाइस-चांसलर और जो दूसरा व्यक्ति उनकी स्वतंत्र जांच करेगा और उनमें कोई मत भेद हो तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को बहुमत की राय के रूप में रिपोर्ट भेजी जायगी और तीसरा परिवर्तन इसमें यह किया गया है कि अगर चांसलर ने किसी विरुद्धमत पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के और कमेटी की राय के विरोध होने पर कोई फैसला किया है तो ऐसा फैसला होने पर कोई भी अर्बीट्रेशन की अपील धारा ४७ के अनुसार नहीं हो सकती।

मैं समझता हूं कि यह जो नई धारा प्रस्तावित है यह विधेयक की वर्तमान धारा से भी एक माने में अधिक प्रतिक्रिया वादी है, क्योंकि यह अध्यापकों के अर्बिट्रेशन के अधिकार को जो कि अब तक इस विधेयक के द्वारा या मूल अधिनियम के द्वारा भी था सेलेक्ट कमेटी के अधिनियम में भी था उसको छीनती है। आप देखेंगे श्रीमन्, कि धारा ४७ मूल अधिनियम की इस प्रकार है:—

"47. Any dispute arising out of a contract between the University and any officer or teacher of the University shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the Officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor. The decision of the Tribunal shall be final, and no suit shall lie in any Civil Court in respect of the matters decided by the Tribunal. Every such request shall be deemed to be a submission to Arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Indian Arbitration Act,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1899 and all the provisions of that Act, with the exception of Sec. 2 thereof shall apply accordingly."

तो श्रीमन्, यह जो आर्बिट्रेशन की धारा है यह अध्यापकों के अधिकारों का एक मूल सिद्धांत है जिसको कि आज से नहीं बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में शुरू सन् १८८७ से माना गया है और यही आर्बिट्रेशन करने का अधिकार, जिसमें कि अध्यापकों का एक प्रतिनिधि रहता है और ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल का प्रतिनिधि रहता है और एक चांसलर का, निस्पक्ष अथारिटी होने के कारण, प्रतिनिधि रहता है। यह उसकी सरविस आफ कंडीशन में आस्था को मजबूत करने का नियम है और आज इस संशोधन को अगर स्वीकार करते हैं तो इससे पहला खतरा तो यह होता है कि अध्यापकों के हृदय में अस्थिरता आने वाली है। पहले यह कि आज तक चांसलर को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही चांसलर के हाथ में सीधी नहीं जाती थी असाधारण अवसर ऐसे आते थे तब चांसलर के पास इस प्रकार की कोई बात पहुंचती थी। लेकिन अब पहले तो इस संशोधन विधेयक में ही चांसलर को अधिकार दिया था कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में अंतिम निर्णय कर सकता था और दूसरी बात इसमें यह है कि अब अध्यापक वर्ग के प्रति एक डिस्क्रीमिनेशन किया जा रहा है। वह यह है कि ऐसे मामले जिन पर कि चांसलर महोदय ने अभी तक राय नहीं दी उनको तो आर्बिट्रेशन में भेजा जा सकेगा। लेकिन ऐसे मामले जिनमें चांसलर महोदय की राय हो चुकी है वह आर्बिट्रेशन में नहीं जायंगे। तो इससे दो खतरे पैदा होते हैं। एक तरफ तो डिस्क्रिमिनेशन का खतरा और दूसरी तरफ यह सब मामले फिर कोर्ट में जा सकते हैं। जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ था मूल अधिनियम की धारा ४७ में कि जो मामले आर्बिट्रेशन में जायंगे वह कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। लेकिन अब क्या होगा कि अब चांसलर फैसला करेंगे तो कोर्ट में जा सकेगा। तो यह दूसरी प्रकार से इंडाइरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। होना तो यह चाहिये था, जैसा कि मैंने नोट आफ डिसेंट में लिखा है कि चांसलर को इस प्रकार बीच में नहीं डालना चाहिये और अगर किसी प्रकार गलती से चांसलर को डाल दिया जाता है तो फिर आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में चांसलर का नौमिनी न होकर किसी दूसरे निस्पक्ष या ऐकेडेमिक कौंसिल का नौमिनी हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार अध्यापक के आर्बिट्रेशन का अधिकार छीन लेना मैं किसी प्रकार ठीक नहीं समझता हूं।

दूसरी बात सिद्धांत की यह आती है कि आखिर इस इंक्वायरी कमेटी की आवश्यकता क्या है? इस बात की आवश्यकता क्यों होती है कि वाइस चांसलर अपने साथ इंक्वायरी करते समय दो आदमियों को रखे। एक तरफ तो वाइस चांसलर के इतने अधिकार बढ़ाये जाना गलत है कि बिना ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय लिये इस बात को निश्चित करने का मौका दिया जाय कि कोई पनिशमेंट जरूरी है या नहीं। वाइस चांसलर सस्पेंड कर सकता है। लेकिन सस्पेंड करने के बाद उनको प्राइमा-फेसी का केस ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखना चाहिये कि इस कारण मैं समझता हूं कि इसको यह दंड देना जरूरी है। तो बिना ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय जाने एक इंक्वायरी कमेटी बिठवाना, मैं समझता हूं यह गलत है। ऐक्जी-क्यूटिव कौंसिल को इस बात का पूरा अधिकार इस संशोधन विधेयक के भी द्वारा है कि वह जितने युनीवर्सिटी के फंक्शंस हैं, उसका संचालक है, ऐक्जीक्यूटिव ऐडमिनिस्ट्रेटर है, इन सबके लिये ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल जिम्मेदार है। डिसिप्लिन के लिये भी, चाहे वह अध्यापक के खिलाफ हो और चाहे वह विद्यार्थियों के खिलाफ हो, वह जिम्मेदार है और ऐक्जी-क्यूटिव कौंसिल ही अपौइंटिंग अथारिटी है। श्रीमन्, यह बात सिद्धांततः आप जानते हैं कि जो अपौइंटिंग अथारिटी है उसी को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि पनिशमेंट भी, किसी प्रकार का हो तो वही अथारिटी पनिशमेंट दे। इस संशोधन के द्वारा और जिस धारा में संशोधन होने जा रहा है, इन दोनों के द्वारा हम इस सिद्धांत पर कुठाराघात करते हैं। इस सिद्धांत को अंगीकार नहीं करते हैं। तो इसलिये मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अध्यापकों के अधिकारों पर कुठाराघात न करें और मूथम कमेटी की रिपोर्ट को भी अगर वह मानते हैं तो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मूथम कमेटी ने भी पेज ५३ पर स्पष्टतः कहा है कि अध्यापकों पर किसी एग्जीक्यूटिव के जरिये रेस्ट्रिक्शन होना उचित नहीं।

"We are therefore, unable to view with favour the imposition of restrictions on the conduct of teachers by the Executive authority."

आग चलकर उन्होंने कहा है कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत भी है तो उसे क्या करना चाहिये—

"The solution to this part of the problem which we propose is, therefore, this : That a provision be inserted in the terms upon which a teacher of the University is engaged making that engagement terminable if he is guilty of conduct unbecoming a teacher of the University ; that the question whether in a particular instance the conduct complained of falls within the discription be determined by the Academic Council or by a Committee of that Council chosen by itself ; that the Academic Council will report to the Executive Council as to whether the charge has been established, and if so, whether the teacher's dconduct merits only an expression of the University's disapproval or is of so grave a character as to render the culprit unfit to remain a teacher. In the latter case it will be the duty of the Executive Council to terminate his agreement.

इसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि केवल एकेडेमिक कौंसिल को ही इस बात का अधिकार होना चाहिये या ऐकेडेमिक कौंसिल की कमेटी को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल को रिपोर्ट करे कि किसी भी अध्यापक का कांडक्ट, उसका व्यवहार या उसका कार्य इन पर आक्षेप आता है या नहीं आता है और अगर एकेडेमिक कौंसिल समझती है कि आक्षेप आता है .....

श्री अध्यक्ष—इस संशोधन से इससे संबंध क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—संबंध श्रीमन्, यह है कि संशोधन में वाइस चांसलर को एक अपनी कमेटी बनाने का, इन्क्वायरी कमेटी बनाने का, अधिकार दिया गया है और वह इंक्वायरी कमेटी फिर रिपोर्ट करेगी। तो मेरा कहना यह है कि अगर मूथम कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो कोई कमेटी यदि हो भी इसके लिये तो वह एकेडेमिक कौंसिल की कमेटी होनी चाहिये और वह कमेटी हम बना चुके हैं, एकेडेमिक कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी का प्राविजन है। तो अगर टीचर्स के लिये कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो इस प्रकार एक नये प्रकार की कमेटी बनाना मैं समझता हूं यह मूथम कमेटी की रिपोर्ट के भी खिलाफ है। मैं ज्यादा इस पर समय नहीं लेना चाहता। मोटी मोटी बातें सिद्धान्त के रूप में मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रख दीं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अस्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिये इट इज नेसेसरी कि हम वाइसचांसलर को फुल पावर दें और यह फुल पावर इसलिये दिया जाता है कि अनुशासन ठीक रहे। आज युनिवर्सिटीज का कुशासन देखकर, वहां की इंडिसिप्लिन देखकर ही सरकार को यह गरज पड़ी कि उसने इंटरफियर किया युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में और इसीलिये यह रखा गया है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट में जो बाबू शुकदेव प्रसाद जी ने रखा है, यह है कि अगर कोई मामला होगा तो वाइस चांसलर को पावर रहेगा, वह दो आदमियों को अप्वाइंट करेगा जिसमें एक हाईकोर्ट का जज होगा और फिर वह तीनों तय करेंगे कि यदि उनके फैसले में कोई डिफरेंस होगा, तो वह उसको रेफर कर देंगे एग्जीक्यूटिव कौंसिल को। यह इसलिये दिया गया कि सहूलियत काम में होगी यह नहीं होगा कि युनिवरसिटी के काम में हर्ज हो। आज वाइस चांसलर फुल पेड रहेगा। चौबीस घंटे वह वहां रहेगा। वह पूरे समय वहां निरीक्षक होगा। डिसिप्लिन मेनटेन करने के लिये यह पावर उसको देनी होगी। इससे

अध्यापक अंडर डिसिप्लिन रहेंगे और आध्यापक अंडर डिसिप्लिन जब रहेंगे तो विद्यार्थी भी अंडर डिसिप्लिन रहेंगे और आज जो खुराफात युनिवर्सिटी में दिखाई देती है वह खत्म हो जायगी। इससे हमारी आने वाली संतान सही रूप में शिक्षा ग्रहण कर सकेगी।

श्री हरगोबिन्दसिंह—श्रीमन्, यह संशोधन हमें स्वीकार है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि आया इस कमेटी की आवश्यकता है या नहीं। वास्तव में मूथम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के पश्चात् ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस युनिवर्सिटी में एक ऐसी कमेटी की भी आवश्यकता है। यों तो अखबारों में भी वहां के टीचरों और हेडों के बारे में लेख पढ़ा करता था, उनके खिलाफ या एप्वाइन्टमेंट वगैरह के बारे में। तो मैंने सोचा कि यह अवस्था असंतोषजनक है कि यह मनोमालिन्य युनिवर्सिटी में ही नहीं रह जाता बल्कि बाहर भी आता है और इस पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। मूथम कमेटी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह प्रवृत्तियां रोकी जावें। हां, यह जरूर है कि मूथम साहब की राय में यह आवश्यक था कि एकेडेमिक कौंसिल द्वारा यह कार्य किया जाय। मुझे दुख है कि मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि एकेडेमिक कौंसिल से कोई व्यवस्था होना शायद असंभव नहीं तो बहुत देर का अवश्य है। वहां की बहुत सी घटनायें मुझे मालूम हैं और मैंने उनके बारे में वाइस चांसलर से लिखा-पढ़ी भी की थी और उनमें बहुत देर हो रही है जिसके कारण मैं यहां बाताना आवश्यक नहीं समझता। मेरे ऊपर यह प्रभाव जरूर पड़ा कि एक तो एकेडेमिक कौंसिल को ऐसे अधिकार देने से मनोमालिन्य बढ़ेगा चूंकि वह युनिवर्सिटी के ही लोग हैं और दूसरे वे जल्दी से किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। इसलिये इस बात की खोज हुई कि इसका निर्णायक हो कौन। चूंकि वाइस-चांसलर एक ऐसा व्यक्ति रखने का प्रयत्न किया जा रहा है जो इन चीजों के ऊपर हो, उसे यह अधिकार दिया गया है। लेकिन किसी के साथ कोई ज्यादती न हो इसलिये उसमें यह प्रतिबन्ध अवश्य लगा दिया गया है कि एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो, वह उस कमेटी का सदस्य होगा। दूसरा किस प्रकार से होगा यह स्टैट्यूट में होगा और यह सब में जरूरी नहीं होगा। कुछ, जिनमें आवश्यक है कि किसी को युनिवर्सिटी से डिसमिस किया जाय या इनक्रीमेंट रोका जाय, थोड़े से जो सीरियस टाइप के आफेंसेज हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में वाइस चांसलर को अख्तियार दिया गया है कि वह एक कमेटी बना दें जिसमें कि एक हाई कोर्ट का जज या जो जज रह चुका हो ऐसा व्यक्ति हो और दूसरे की नियुक्ति स्टैट्यूट्स से प्रोवाइड होगी और फिर उनकी रिपोर्ट बहुमत से एग्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जाय और वह अगर उससे सहमत हो तो इसी प्रकार से उस टीचर को या एम्प्लाई को सजा दे दी जायगी। अगर एग्जीक्यूटिव कौंसिल उससे असहमत है तो वह चांसलर के यहां रैफर होगा और चांसलर का फैसला अंतिम माना जायगा। हां, यह जरूर रक्खा गया है कि चांसलर का जो अंतिम फैसला होगा वह फिर दुबारा किसी आरबीट्रेशन के सामने नहीं रखा जा सकता है। श्री नारायणदत्त जी ने आपके सामने श्रीमन्, धारा ४७ को पढ़ा है जिसमें यह है कि :—

"Any dispute arising out of a contract"

तो जहां तक कानून के जानने वालों की राय है वह यह है कि डिसिप्लीनरी ऐक्शन की बात इसमें नहीं आती है। यदि डिसिप्लिनरी ऐक्शन का कोई प्रश्न पैदा हो तो उसके लिये आरबीट्रेशन प्रोवाइडेड है। लेकिन उसका मतलब यह न लगा लिया जाय कि वह भी डिसिप्लीनरी ऐक्शन की तरह से आरबीट्रेशन के पास जा सकता है इसलिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि ऐसी बातें जो बाहस मुआहिदे से संबंध में हों वह आरबीट्रेशन के सम्मुख नहीं जायंगी जहां तक इस विधेयक की धारा है मूल अधिनियम में, उसका अर्थ यह है कि बाहम मुआहिदे के संबंध में अगर कोई झगड़ा नहीं है और कोई झगड़ा टीचर्स और युनीवर्सिटी के संबंध में है तब तो आरबीट्रेशन में वह जा सकता है। श्रीमन्, यह नहीं हो सकता है कि युनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करेंगे, यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका सरविस कांट्रेक्ट है, इसलिये यह निकाले नहीं जा सकते हैं। इसलिये इसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। यही इसका अर्थ है। मैं समझता

[श्री हरगोविन्दसिंह]

हूं कि जो भी चाहे किसी भी विभाग में नौकर है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। किसी नौकर को स्वच्छन्दता नहीं हो सकती है कि वह जो चाहे करे। अगर किसी युनिवर्सिटी में टीचर्स और इम्पलाइज डिसिप्लिंड हैं तब तो इस विधेयक की धारा का भी इस्तेमाल ही नहीं होगा और इसके बारे में किसी को कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिये क्योंकि डिसिप्लिन मेंनटेन करना हर एक का फर्ज है। यही नहीं कि वह स्वयं ही डिसिप्लिन मेंनटेन करे, बल्कि वह अपने विचार और व्यवहार से विद्यार्थियों को भी प्रभावित करे। श्रीमन्, अगर वह युनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय तब तो यह ठीक नहीं होगा। जो लोग यूनिवर्सिटी के अनुशासन में विश्वास करते हैं उनके लिये यह धारा कुछ भी नहीं है लेकिन जो लोग अनुशासन का उल्लंघन करते हैं और इस बात की स्वतंत्रता चाहते हैं कि हमें अधिकार हो कि युनिवर्सिटी में नौकर होने के कारण हम नियमों का उल्लंघन करें, उनसे मैं असहमत हूं और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये। इसलिये इस विधेयक में जो यह धारा रखी गई है वह बिलकुल ठीक है।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक शुकदेव प्रसाद जी का संशोधन है ५(ए) (बी), उससे तो मैं पूर्णतया सहमत हूं। जहां तक खंड (६) का संबंध है उसमें मुझे यह निवेदन करना था कि अगर इस इंक्वायरी कमेटी में सब एकमत हों तब तो ठीक है कि वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेज दिया जाय और आपस में मतभेद हो तो चांसलर के पास भेज दें। लेकिन अगर एकमत नहीं होते तो नारायण दत्त जी तिवारी ने जो बात कही है और इस वक्त जो ४७ धारा है आरबीट्रेशन की, उसका उन्हें अधिकार होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी तरह से मतभेद इंक्वायरी कमेटी में है जैसी कि संशोधन में ५ (बी) कांस्टीट्यूट की गई है तो अगर मतभेद है तो उसका कारण यही है। उसमें मान लीजिये कि दो सदस्य एकमत हैं और तीसरा उसको नहीं मानता है तो उस समय यदि पूरा अधिकार चांसलर को दे दिया जायगा तो उसका मतलब यह होगा कि टीचर को अपील करने का कोई मौका नहीं होगा तो उस वक्त टीचर्स को यह अधिकार होना चाहिये कि वह आरबिट्रेशन में अपना मामला ला सकें। अगर कमेटी यूनानिमस हो जाती है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह बात इसमें कही गयी है कि शायद मतभेद हो सकता है उस कमेटी में। तो उस मतभेद की शंका के लिये जो गुंजाइश है उसमें अवश्य यह प्रोवाइड किया जाय कि जो प्रतिबन्ध सेक्शन ३७ के अन्तर्गत लगाया गया है वह नहीं होना चाहिये। तो मैं अब आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम जब मतभेद हो तो टीचर्स को आर्बिट्रेशन का अधिकार जरूर देना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विशेषतया उस खंड का जिसका माननीय नेकराम जी ने विरोध किया है कि अभी तक अध्यापकों को यह अधिकार था कि वह अपना मामला आर्बिट्रेशन बोर्ड को सौंप सकते थे और उसके द्वारा यह आशा प्राप्त कर सकते थे कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन यह धारा ६ जो माननीय शुकदेश प्रसाद जी ने रखी है उसमें टीचर्स के वे अधिकार छीने जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कि यदि उस कमेटी के सभी सदस्य एक मत हों तो उसका निर्णय एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भेज दिया जायगा और अगर वे एक मत न हो सके तो यह मामला वाइस चांसलर के पास भेज दिया जायगा और उसमें यह कहा गया है कि फिर अध्यापक धारा ४७ के अनुसार आर्बिट्रेशन बोर्ड को अपील नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अध्यापकों के साथ और विशेषकर शिक्षित वर्ग के साथ जो कि संभवतः एक ऐसी गलती करेंगे ही नहीं और अगर करेंगे तो उनका यह मनुष्योचित अधिकार छीनना कि वे आर्बिट्रेशन बोर्ड के पास भी न जा सकें बहुत ही अनुचित और अनुपयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस खंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। अभी तक उनको अध्यापकों के ऊपर वही शक बना हुआ है जब कि उन्होंने चांसलर और वाइस चांसलर अपना बना लिया और जो अथारिटीज हैं उनमें नामिनेशन के द्वारा इतना बड़ा बहुमत स्थापित कर लिया है कि कोई भी टीचर किसी तरह की गड़बड़ी कर ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि शिक्षित वर्ग का इस तरह से एक्सप्लायटेशन (शोषण) करना बहुत बड़ा अन्याय होगा और इससे यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि जो इन्टेलीजेन्शिया (शिक्षित वर्ग) है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन पर पुनः विचार करें, क्योंकि यह संशोधन कांस्टीट्यूशन ने हमको जो अधिकार दिये हैं उनके बहुत ही विपरीत पड़ता है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को पढ़ा और माननीय जोरावर वर्मा के भाषण को भी सुना। फिर माननीय मंत्री जी की वह बात याद आयी कि जो लोग अनुशासन में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन रहे उन्हें इस संशोधन से किञ्चित मात्र भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि आज यूनिवर्सिटियों में अनुशासन लाना है, क्योंकि वहां अनुशासन नहीं है और यह बात भी अपनी जगह पर स्वयंसिद्ध है कि अनुशासन विश्वविद्यालय में तभी आ सकता है, या अनुशासन विश्वविद्यालयों का या किसी संस्था का तभी बिगड़ता है, जब उसके बिगड़ने में अध्यापक का हाथ रहता है और जब जब भी विश्वविद्यालय में अनुशासन बिगड़ा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि शुरू से उसका पता लगाया जाय तो उसके पीछे किसी न किसी अध्यापक का हाथ जरूर रहता है। तो माननीय जोरावर वर्मा क्या ऐसे प्रयत्नों के लिये कोई संरक्षण देंगे कि प्रयत्न करते रहें। यदि यह नहीं है तो इसके अतिरिक्त और कौन सी बात इस संशोधन में मांगी जा रही है। वाइस चांसलर को अधिकार दिया जा रहा है कि वे यदि इस बात से संतुष्ट हों कि किसी अध्यापक के विरुद्ध उन्हें कार्यवाही करनी है, उसके आगे फिर यह भी दिया जा रहा है कि वह उनको मौत्तिल करने के बाद एक हाईकोर्ट का जज चाहे पुराना हो या इस वक्त का हो, उसका रहना लाजमी है। इसके अलावा एक सदस्य और होंगे। इससे बढ़कर और कौन सा आर्बिट्रेशन बोर्ड हो सकता है। वाइस चांसलर उसमें मौजूद होंगे जोकि यूनिवर्सिटी की और अध्यापकों की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा न्याय को देखने के लिये कि कहीं कोई ज्यादती न हो जाय हाई कोर्ट के जज से बढ़ करके और कौन हो सकता है? फिर इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और ऐसा होगा जो कि इन्हीं दोनों व्यक्तियों के स्टैंडर्ड का, बराबर का होगा। मैं तो अध्यक्ष महोदय, इस से बड़ा आर्बिट्रेशन और कोई नहीं समझता हूं और अगर किसी व्यक्ति को कोई असंतोष हो सकता है ऐसी ऊंची किस्म की कमेटी से तो फिर उसे संतोष कहीं नहीं मिल सकता और इसलिये नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कार्य को अगर यह कमेटी गलत समझती है और सजा देती है तो वह उस अपने रास्ते में और आगे चलना चाहता होगा और इसीलिये आर्बिट्रेशन का बहाना लेकर आगे चलना चाहता होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस संशोधन को स्वीकार करके माननीय मंत्री जी यह भी चाहते हैं कि सस्पेंशन के कोई भी मामले वाइस चांसलर करें या डिस्मिसल, रिमूवेल, स्टापेज आफ इन्क्रीमेंट या रिडक्शन इन एमाल्यूमेंट्स जो कोई भी पनिशमेंट वह टीचर के लिये रखेंगे उसकी रिपोर्ट वह एग्जिक्यूटिव कौंसिल को नहीं करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, उसमें तो एग्जिक्यूटिव ही फाइनल अथारिटी होगी और वह एग्जिक्यूटिव के यहां जायगा और अगर वाइस चांसलर की सिफारिश एग्जिक्युटिव मानती है तो सजा उसको दी जायगी। लेकिन यह तो सिर्फ उन केसेज के लिये है जिसमें डिस्मिसल हो, स्टापेज आफ इन्क्रीमेंट हो। तो उन केसेज में अगर वाइस चांसलर किसी टीचर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

के प्रति यह समझता है कि दंडनीय है तो उसके लिये यह कमेटी प्रोवाइडेड है और यह बात गलत कही गयी। अभी तक मूल अधिनियम में जो टीचरों के अधिकार है उनसें तनिक भी कमी नहीं की गई हैं। जो आरबिट्रेशन का अधिकार उनको इस समय है वह है। उसमें कोई कमी नहीं की गयी है, केवल एक संरक्षण यह दिया गया है जिसमें गलतफहमी न हो जाय। क्योंकि जो दफा ४७ है उसमें जो कंट्रैक्ट की बिना पर आर्बिट्रेशन है वह ज्यों का त्यों अपनी जगह पर है, उसमें कोई कमी नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष---यह तो इन्फारमेशन आपसे मांगी गयी, भाषण का समय अभी नहीं है।

श्री शुकदेवप्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसको देखते हुये यह बहुत आवश्यक है कि यूनिवर्सिटियों में अनुशासन को कायम रखने के लिये और शिक्षा को ठीक ढंग से चलाने के लिये यह संशोधन स्वीकार किया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया है यह बड़े हर्ष की बात है।

श्री हरगोविन्दसिंह---मुझे अब कुछ अधिक नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) और (6) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:---

"(5). The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit ;

(b) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons, appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been judge of a High Court.

(6) In any case in which enquiry has been held under clause (b) of sub-section (5), the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the persons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5) regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive Council shall thereupon pass orders according to the recommendations made in the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper. An order passed by the Chancellor under this sub-section shall not be subject to arbitration under section 47."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो खंड ५ और ६ सदन ने पास किये हैं उनका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वे तो पास हो गये।

श्री तेजप्रतापसिंह—जो पास हो चुके वे इससे निकाल दिये जायं, यह मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वे तो मंजूर हो चुके सदन द्वारा। लिहाजा यह विरोध अब नहीं हो सकता।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 12 की उपधारा (8) की पंक्ति २ में शब्द "sub-section (5)" के स्थान पर शब्द "sub-section (5) (*a*)" रख दिये जायं।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—यदि वह इसको इस प्रकार से उपस्थित करें तो मुझे स्वीकार है :—

खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा १२ की उपधारा (8) की पंक्ति २ में शब्द "sub-section (5) or (7)" के स्थान पर शब्द "clause (*a*) of sub-section (5) or under sub-section (7)" रख दिये जायं।

श्री नवलकिशोर—जी हां, इसी प्रकार से पेश कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 12 की उपधारा (8) की पंक्ति २ में शब्द "sub-section (5) or (7)" के स्थान पर शब्द "clause (*a*) of sub-section (5) or under sub-section (7)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ में उपधारा (१) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १३ का संशोधन।

The Treasurer. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing—

(I-A) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer.

(I-B) Where the names proposed in the Executive Council for submission to the Chancellor under sub-section (1-A) do not exceed three in number, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(I-C) Where one name only has been submitted by the Executive Council, the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted. In other cases, the Chancellor may appoint any one of the persons whose names have been submitted by the Executive Council under sub- section (I-B).

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, other than emoluments, the filling of temproary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-section (2), (3), (8) and (9) of section 11 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment), and

(ii) to disallow any expenditure, which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित नई धारा 13 की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "shall be" तथा शब्द "appointed" के बीच में शब्द "a skilled financier and be" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने वाइस चांसलर के विषय में कहा था कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिये, उसी प्रकार से यह जो ट्रेजरार यूनिवर्सिटी में अप्वाइन्ट किया जायगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, वह फाइनेंस के विषय में कुछ जानता है या नहीं इसको किस प्रकार से निश्चय किया जायगा। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा है कि कम से कम जिसको फाइनेंस का ज्ञान प्राप्त हो वही इसमें रखा जाय। और मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

डाक्टर सीताराम—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, डा० सीताराम जी ने इस के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मुझे इसीलिये यह खतरा है कि कहीं कोई ऐसा अनजान आदमी तो वहां पर नहीं रख दिया जायगा, जो यूनिवर्सिटी के फाइनेंस को खराब कर दे और इससे यूनिवर्सिटी की फाइनेंस की हालत

और खराब हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, जो कारण मैंने वाइस चांसलर के विषय में बतलाये थे और जिसकी कई धारायें इस अधिनियम में दी हुई हैं वही इसके लिये भी लागू होगी। कौन आदमी इसकी चांज करेगा कि वह फाइनेंस को जानता है या नहीं जानता है। अभी तक जितने भी ट्रेजरार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुये हैं जैसे श्री कन्हैयालाल जी एडवोकेट जनरल या गोपाल स्वरूप पाठक जी यह सब अच्छे फाइनेंशियर हैं यह लोग बड़े-बड़े चोटी के वकील तो हैं लेकिन फाइनेंशियर नहीं रहे क्योंकि वहां इस पोस्ट पर किसी फाइनेंशियर की आवश्यकता नहीं मालूम होती। वह तो केवल इसलिये होता है कि किसी चीज का प्रावीजन बजट में है या नहीं, कहीं अधिक खर्चा तो नहीं कर लिया जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके लिये स्किल्ड फाइनेंशियर की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "shall be" तथा शब्द "appointed" के बीच में शब्द "a skilled finacier and be" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (1) के भाग (1—A) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that he shall not be a fully or partly paid employee of the Government or a member of the Cabinet."

अध्यक्ष महोदय, लोगों की ऐसी धारणा है कि यूनिवर्सिटी में जो ट्रेजरर हों वे गवर्नमेंट के एम्प्लाई अथवा केबीनेट के मेम्बर न हों। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक साल पहले आ गयी थी उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका मुख्य कारण यही था। स्टुडेंट्स और पब्लिक की यही मांग थी कि कैबिनेट का कोई मिनिस्टर यूनिवर्सिटी के मामलों में प्रवेश करके गड़बड़ घोटाला न करे और इसी के कारण से यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी को छोड़कर अन्यत्र शांति की कुटिया बनानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय राधाकृष्णन कमेटी के सामने भी यही प्रश्न आया था और उन्होंने माननीय गुप्ता जी से यही प्रश्न पूछा कि ऐसे किसी आदमी को जो गवर्नमेंट का ऐम्प्लाई हो या कैबीनेट का मेम्बर हो उसको यह अधिकार होना चाहिये या नहीं तो उन्होंने भी यही भावना प्रकट की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिये, वह इस प्रकार है

"There is a feeling that minister of government should not be on the Executive Council of the University. It would effect the autonomy of the University it is said."

इस प्रकार से माननीय गुप्ता जी ने जो जनता की भावना है उसको अपनी गवाही द्वारा प्रकट कर दिया है। आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह एक बहुत सरल सा संशोधन है।

श्री हरगोविंदसिंह—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह झारखंडेराय जी के नाम पर जो संशोधन था यह बड़ा निर्दोष और माननीय मंत्री जी जिन भावनाओं को प्रकट करते हैं, उनका वह पूरक है मैं समझता था कि इसपर मुझे बोलने की आवश्यकता न होगी और मंत्री जी इसको स्वीकार

[श्री राजनारायण]

कर लेंगे (मंत्री जी के कहने पर कि वे समझते थे कि श्री राज नारायण अवश्य बोलेंगे) वे कहते हैं कि वे समझते थे कि हम जरूर बोलेंगे, इसलिये उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसा करके उन्होंने अपनी हठवादिता का ही परिचय दिया। मैं उनकी बुद्धि का अधिक परिचय नहीं देना चाहता क्योंकि वे इस तरह की बातें किया ही करते हैं। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर रिपोर्ट्स को पढ़ा जाय तथा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू कि उस गश्ती चिट्ठी को देखा जाय अथवा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन को देखा जाय, जिसमें यह साफ तौर से कहा गया है कि सरकारी मिनिस्टर्स को यूनिवर्सिटी में ट्रेजरर का पद नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जो पेपर आपके सामने नहीं है आप उसका जिक्र न करें।

श्री राजनारायण---मैं केवल रिफरेंस के तौर पर उन चीजों को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा था। कि इस समय जितने लोग शिक्षा की प्रगति में कोई साधु सम्मति रखते हैं और जितने लोग चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो वे सब लोग इस पर सर्व सम्मति हैं कि मंत्रियों का हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी के रूप में न हो और उसी भाव से ओत-प्रोत होकर इस संशोधन को श्री झारखंडेराय ने जिसको श्री जोरावर वर्मा ने पेश किया है, रखा है। मैं तो समझता था कि ऐसा संशोधन अपने दल के किसी सदस्य से ही सरकार रखवा देगी लेकिन जब इस तरह का संशोधन सरकार की ओर से नहीं आया तब इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने इसको अपनी तरफ से पेश कर दिया तो इसमें सरकार को हीनभाव ग्रस्त नहीं होना चाहिये। मैं ऐसा देखता हूंकि इस सदन में हमारे मंत्रिगण हीन भावग्रस्त रहते हैं और वे सोचते हैं कि विरोधी दल की ओर से या किसी स्वतंत्र सदस्य की ओर से कोई अच्छा से अच्छा संशोधन भी पेश हो तो उसको वे न मानें। उसी भाव से ग्रस्त होकर माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को भी देखते हैं। शिक्षा में आज जिस तरह की बातें और जिस तरह के भाव प्रकट होते रहते हैं, और जिस तरह की आशंकायें प्रकट होती रहती हैं जिनका निराकरण करने के लिये शिक्षामंत्री जी और सरकार के दूसरे मंत्रिगण बराबर बयानात निकाला करते हैं कि शिक्षा में कोई हस्तक्षेप करने की हमारी नीति नहीं है, उन भावों की पूर्ति नहीं होती है। इसलिये मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ जोर देकर निवेदन करूंगा और सादर साग्रह निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि इस संशोधन को मानने में कोई दोष नहीं है और न तो आज की जिस मनोवृत्ति को सामने रख कर यह विधेयक लाया जा रहा है उसे यह पीछे ले जा रहा है और न यह प्रतिक्रियावादी ही है। क्योंकि संशोधन में यह कहा गया है :—

"Provided that he shall not be a fully or partly paid employee of the Government or a member of the Cabinet."

मैं तो श्रीमन्, यह चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन और भी लादूं कि वह केवल कैबिनेट के मेम्बर के लिये ही नहीं बल्कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये भी लाए हों।

श्री अध्यक्ष---क्या आप कोई संशोधन उपस्थित कर रहे हैं?

श्री राजनारायण---जी हां, मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी उससे मुक्त हों।

श्री अध्यक्ष---अब यह इस तरह से हो जायगा।

"Provided that he shall not be a fully or partly paid employee of the Government or a member of the Cabinet, or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

श्री राजनारायण---मेरा ख़याल है कि सरकार इनको गवर्नमेंट सरवेंट नहीं मानेगी। अगर आपकी कोई व्यवस्था हो कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लामेंटरी सेक्रेटरीज गवर्नमेंट के पेड सरवेंट्स हैं तो.....

श्री अध्यक्ष—मैं कोई व्यवस्था देने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि वे गवर्नमेंट सरवेंट्स नहीं माने जायेंगे। इसलिये मैंने इस संशोधन के जरिये से सुझाव दिया है।

श्री शिवनारायण—आप अपना नाम भी जुड़वा लें।

श्री राजनारायण—वे चाहते हैं कि इसमें अपोजीशन के लीडर को भी रख दिया जाय यह भी उनके अज्ञान का ही द्योतक है क्योंकि हाउस की जो फाइनेंस कमेटी होती है उसमें भी चैयरमैन अपोजीशन का ही आदमी होता है। तो अपोजीशन का लीडर तो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करता ही है और उसको रहना ही चाहिये। यों मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि यदि वे अपने संशोधन में रख दें तो कोई हर्ज नहीं है। मगर जिस भाव से वे कहते हैं उस भाव को उस तर्क के ऊपर मैं काट देना चाहता हूं क्योंकि मैं हमेशा के लिये अपोजीशन का लीडर रहूंगा नहीं। यह हो सकता है कि इस समय वे जिस रूप में हैं उस रूप में अपोजीशन के लीडर के महत्व को न समझते हों लेकिन मैं आपके द्वारा उनको बतला देना चाहता हूं श्रीमन्, कि मैं या हमारा दल सही माने में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में यकीन करता है और वह अपोजीशन को रखेगा और वह अपोजीशन पार्टी के लीडर को जिस तरह और जहां अर्थ व्यवस्था है जहां तक सरकार की कमियों और खामियों की काफी चर्चा हो, ऐसे मामले उनके हाथ में सुपुर्द करते रहेंगे ताकि वे हमारे ऊपर अंकुश रख सकें। मैं तो श्रीमन् यह बराबर कहता हूं और यह पुरानी सम्मति है कि "निन्दक दूर न कीजिये, दीजै आदर मान, तन मन को निर्मल करे, बक-बक आन ही आन" यहां निन्दक शब्द कहा गया है लेकिन उसका मतलब समालोचक से है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को सरकारी कार्य में फंसे रहने की वजह से पढ़ने लिखने की तो फुरसत ही नहीं मिलती मगर मैं उनको कहूंगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र भी पढ़ें जो अपने यहां का बहुत मान्य ग्रन्थ है। उसमें भी चाणक्य ने विरोधियों की काफी प्रशंसा की है और उसने इस बात को माना है कि जब तक समालोचक नहीं होंगे तब तक अंकुश नहीं रहता। इसलिये बहुत जरूरी होता है कि विरोधी दल स्वस्थ हो और उसको स्वस्थ बनाने की प्रेरणा से प्रभावित होकर जो बहुमत दल हो वह भी चले और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह डेमोक्रेटिक ट्रेडीशंस (जनतांत्रिक परंपरा) को अपनाने का पक्षपाती नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आपने भी बिरोधीदल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और करेंगे। मैं इस समय अधिक इसके तर्क में नहीं निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी भी इस पर कोई विशेष तर्क लाने की कोशिश न करें और यह बात मान लें कि मैं कानून के जरिये से प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं कि मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री ट्रेजरर के पद पर न जायं और यदि मंत्री जी ऐसा कर देंगे तो जैसा कि मेरा निश्चित विश्वास है कि सन् १९५७ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और हमारे दल की निश्चित बनेगी उस समय उससे उनको ही फायदा होगा। उस समय उनको यद्यपि आज वह शिक्षा मंत्री महोदय हैं कल उन्हीं को फायदा होगा यह हम अपने से अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। कमिंग ईवेंट्स कास्ट देयर शैडो विफोर (आगे आने वाली बातें साया फेंकने लगती है) हम तो अपने से अपने ऊपर यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं क्योंकि जो सन् १९५७ तक ऐसी परिस्थिति हो जायगी इसमें दो राय नहीं है, यद्यपि यों तो सूझ जुआरिहि आपन दाऊं, अपना अपना दांव सभी चला लेते हैं परन्तु सारी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शासन का भ्रष्टाचार जो है उसको देखते हुये यह एक सहज स्वभाव का व्यक्ति भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि यदि यह सरकार दो वर्ष और रह गई तो यह देश जहन्नुम को चला जायगा। जनता अवश्य इस सरकार को बदलेगी और हमारे दल का राज्य बनेगा और अवश्य बनेगा क्योंकि उसके लिये इस देश में एक मात्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही ऐसी संस्था है जिससे यह आशा हो सकती है कि वह प्रजातांत्रिक सरकार बनावें। तो यह तो हमने अपने ऊपर ही प्रतिबन्ध लगाया है।

श्री अध्यक्ष—आप पार्टियों के विषयों में इस समय न जाइये। इसी संशोधन पर आ जाइये।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं एक प्रश्न श्री राजनारायण जी से पूछना चहता हूं क्या माननीय नेता विरोधी दल ने जो मद्रास में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव का फल है उसको देखा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री राजनारायण—तो रामनरेश जी शुक्ल को अध्यक्ष जी ने खुद ही कह दिया कि यह असंगत है। अध्यक्ष महोदय, यह लोग तो असंगत बातें करने के आदी ही हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेंगे।

श्री राजनारायण—जी हां।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं श्री झारखंडे राय के नाम पर जो संशोधन था जिसको कि श्री जोरावर वर्मा जी ने पेश किया था उसमें अपना संशोधन देते हुये उसके सपोर्ट (पक्ष) में बोल रहा था और माननीय जोरावर वर्मा का कहना था कि कैबिनेट के मंत्री लोग ट्रेजरर के पद पर न हों, हमने उसमें अपना संशोधन दिया कि उसमें डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी जोड़ दिये जायं। श्रीमन्, मैंने जो यह संशोधन दिया और जब अपने भाव को व्यक्त किया तो मैं यह सफ़ाई के साथ और ईमानदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि किसी वर्तमान मंत्री के प्रति मेरे किसी प्रकार के भाव या उद्गार नहीं हैं और न मैं यह चाहता हूं कि इस सदन में कोई हमारे इस संशोधन से और इस संशोधन के समर्थन में जो भाव प्रकट हुये हों उससे यह नतीजा निकाले कि हम किसी वर्तमान मंत्री के किसी कार्य को लेकर यह संशोधन पेश कर रहे हैं। मैं बुनियादी तौर से और मौलिक रूप से यह समझता हूं और चाहता हूं कि सरकारी मंत्रियों का हाथ प्रत्यक्ष रूप से यूनिवर्सिटी के किसी पद पर आसीन रह कर यूनिवर्सिटी के अफ्येर्स (कार्य) में न रहे, श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं तो इस दृष्टिकोण को सामने रख कर कहता हूं कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी भी और दूसरे मंत्रिगण भी समय-समय पर यूनिवर्सिटी विधेयक के सिलसिले में कह चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के अफेयर्स (कार्य) में सरकार का हस्तक्षेप का इरादा नहीं है और न सरकार हस्तक्षेप करना ही चाहती है। यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कल कह डाला कि जब माननीय नारायणदत्त तिवारी जी, जिनकी बड़ी ख्वाहिश है एजूकेशन मिनिस्टर बनने की, जब वह आयेंगे तब वह ऐसा संशोधन रख सकते हैं जिस तरह का संशोधन नारायणदत्त जी ने रखा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार की भी इच्छा नहीं है कि वह प्रत्यक्ष रूप से यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में हस्तक्षेप करे तो कानून में ऐसी धारा ही क्यों न रखी जाय जिस से मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी वंचित हो जायं। इस तरह से तो वह जिस पद पर चाहें जाकर यूनिवर्सिटी के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब यह संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हमारे सामने गत वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ या वहां जो घटनायें घटीं और दूसरी जगह जो बातें हुईं वह सब सामने आ जाती हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें काफी सफाई हो चुकी होगी कि यदि गत वर्ष यूनिवर्सिटी को सरकारी नियंत्रण और अंकुश में रखने की कोशिश न की गई होती तो न गोली चली होती और न विद्यार्थियों की जानें ही जातीं। यह ३१ तारीख को गयेन्द्र दिवस मनाने के लिये कोशिश न की जाती। यह भी कोशिश की गई कि हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही परिस्थिति संभाल लें, यूनिवर्सिटी के अधिकारी डाइरेक्ट डील कर लें और पुलिस को वहां न बुलावें लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैं चाहता हूं कि वह जानकारी गलत हो, उन्होंने

कहा कि नहीं, पुलिस वहां जायगी और वहां जाकर वह अपना प्रभाव रखेगी। श्रीमन्, मुझे वह दिन भी याद है १९४२ के जमाने का, उस आन्दोलन का और उस आन्दोलन जन्य परिस्थिति को याद कर आज भी हम सब इस सदन में गौरवान्वित होते हैं और कहते हैं कि हमने ब्रिटिश हुकूमत को हटाने में शान के साथ काम किया, हमारे विद्यार्थियों ने बड़ी शान से काम किया, उस समय पूज्य मदन मोहन मालवीय जीवित थे। काशी विश्वविद्यालय की एक बड़ी बिल्डिग में वह काफी अस्वस्थ थे, मगर जीवित थे। उनसे श्रीमन्, मेरी १८ अगस्त की शाम को जो बातचीत हुई उसमें उनका कहना था कि युनिवर्सिटी से हम सब लोग हट जायं क्योंकि ५ हजार की फौज उस समय हमारे पास थी युनिवर्सिटी के घेरे के अन्दर। कोई बाहरी आदमी बिना हमारी इजाजत के घेरे के अन्दर आ नहीं सकता था, बाकायदा हमारा पहरा पड़ता था। मालवीय जी ने कहा था कि तुम लोग यह यूनिवर्सिटी छोड़ कर बाहर चले जाओ। मैंने उस समय कहा था कि अंग्रेजी सरकार की कुदृष्टि इस युनिवर्सिटी पर लगी हुई है और वह जल्दी ही यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमायेगी, उस समय मालवीय जी ने कहा था कि I will be the first man to lie down at the gate अगर मिलिटरी आती है तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जिसके सीने पर चढ़ कर मिलिटरी आ सकती है। आप को वह दिन याद होगा १९ अगस्त, १९४२ का जब कि अंग्रेजी हुकूमत अपने देश में थी और उन्होंने युनिवर्सिटी के ताले को तोड़ डाला, तिरंगे को फाड़ दिया और कमरों के ताले तोड़-तोड़ कर विद्यार्थियों का सामान बाहर फेंक दिया गया। मैं जब उस दिन को याद करता हूं कि एक वाइस चांसलर एक उपकुलपति इस भावना से ओत-प्रोत था कि वह किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को युनिवर्सिटी के अन्दर बरदाश्त नहीं करेगा तो मैं नहीं समझ पाता कि आज क्या कहा जाय। अभी, श्रीमन्, हमें पूज्य आचार्य नरेन्द्र देव जी की भी, जब वह वाइस चांसलर काशी विश्वविद्यालय में रहे कुछ स्मृतियां हैं। कई बार ऐसे मौके आये जब कि पुलिस विश्वविद्यालय के घेरे के अन्दर जाना चाहती थी लेकिन आचार्य जी ने सफाई के साथ कह दिया कि नहीं, जब तक मैं वाइस चांसलर हूं मैं पुलिस को बिना अपनी आज्ञा लिये बिना युनिवर्सिटी में नहीं आने दे सकता। तो एक तरफ तो यह हाल और यहां हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस को नियंत्रण दिया गया, क्यों दिया गया इसका सीधा साधा कारण है कि कुछ मंत्री महोदय की इच्छा थी कि युनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी दल में कुछ आकांक्षायें बढ़ रही हैं, स्वतंत्र आकांक्षायें बढ़ रही हैं उनको दबाया जाय, कुचला जाय और जब कुचलने और दबाने की प्रवृत्ति पैदा हुई तो गड़बड़ी होने पर युनिवर्सिटी के एफेयर्स में हस्तक्षेप करने के लिये पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हमें फिर बुरे दिन देखने पड़ें इसलिये मैं चाहता हूं कि युनिवर्सिटी का ट्रेजरार न तो कोई मिनिस्टर हो, न कोई डिप्टी मिनिस्टर हो और न कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी। इसको मानने में माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं कौन सा हरज है, कौन सा एतराज है। यह कौन सा ऐसा संशोधन है कि जिसके मान लेने से विधेयक की स्प्रिट (मंशा) में फर्क आ जायगा? अगर सरकार सीधे-सीधे युनिवर्सिटी पर कंट्रोल नहीं करना चाहती है तो उसे यह संशोधन मान लेना चाहिये। श्रीमन् जब मैं इस पर जोर देने के लिये अपने तर्क को पेश करता हूं तो हमें वर्तमान शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री की भी बहुत सी बातें याद आती हैं। मैं सदन के समय को बचाने के लिये और माननीय शिक्षा मंत्री जी की भावनाओं को उत्तेजित न होने देने के लिये ही उन तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को आज सदन में नहीं रखना चाहता। मैं जरूर चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उन बातों को जान लें। जहां-जहां शिक्षा मंत्री जी को मौका मिला है वहां २ सीधे-सीधे इस तरह से प्रहार किया गया है आटोनोमी पर कि मैं कह नहीं सकता। अभी-अभी परसों हमारे पास एक पत्र आया जिसमें संकेत है, वह संकेत है फतेहपुर का। मैं इशारे के लिये कह देना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उन बातों को देखें। आज हम ईमानदार हैं, हम युनिवर्सिटी की आटोनोमी में हस्तक्षेप

[श्री राजनारायण]

नहीं करना चाहते। हम युनीवर्सिटी के अध्यापकों में पूरा विश्वास करते हैं। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा यदि वही भाव हैं तो आज की परिस्थिति में उन भावों को चरितार्थ होने के लिये विधेयक में शब्दों को रख देने में क्या हर्ज होगा। कुछ नहीं होगा। और मैं तो श्रीमन् इसको कल ही रखना चाहता था, मगर यदि यह देखा जाय और हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय शिक्षा मंत्री जी और तमाम प्रेस के जो भाई हैं या गैलरी में जो हैं, बाहर के लोग इस युनिवर्सिटी विधेयक को क्या समझते हैं, जरा उनके भावों को माननीय शिक्षा मंत्री जी समझें। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक का कार्टून बना करके एक काशी विश्वविद्यालय के पुराने छात्र रंगनाथ जो इलाहाबाद का रहने वाला है अभी ऐक्सप्रेस डिलिवरी से हमारे पास भेजा है। इसमें आचार्य नरेन्द्रदेव का जिक्र किया है कि हमें अफसोस है कि शिक्षा मंत्री जी ने आचार्य जी का रिफ़रेंस इस तरह से लिया जिस तरह से नहीं लेना चाहिये था। एक बात कार्टून में साबित की है कि The bill becomes an act and the bull becomes a fact वह कहते हैं कि जब यह ऐक्ट बिल हो जायगा तो निश्चित रूप से बिल बुल होगा और इस तरह से न तो वहां के विद्यार्थी ठीक से रह पायेंगे, न तो वहां के वाइस-चांसलर ठीक से रह पायेंगे और जितनी भी कमेंटियां होंगी, चाहे सेलेक्शन कमेटी हो या रिफ़रेंस कमेटी हो, वह सब बुल (सांड) के अधीन जायगा। आगे भी और धारायें आयेंगी उन पर बोलते समय माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मगर इस समय जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बिल को ऐक्ट समझ कर एक बुल (सांड) को फैक्ट (निश्चित) के रूप में मानना चाहें, उनकी भावना इस विधेयक में साथ हो सकती है। "अब लौं नसानी अब न नसैहौं।" जितना विधेयक बनचुका है उसको जाने दें मगर आगे जो धारायें आ रही हैं उनको इस तरह की जनतांत्रिक भावनाओं से ओत-प्रोत होकर शिक्षा मंत्री कबूल करें जिससे कि यह धारणा जो हानि-कारक है इसको न पैदा होने दें। एक बात श्रीमन्, मैं और निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने समय-समय पर इसकी चर्चा की है, वह जब भी कहते हैं, कहते हैं कि राजनारायण जब खड़े होते हैं तो मौलिक और बुनियादी बातों का जिक्र करते हैं हर समय। मैं यह निवेदन कर दूं कि बिना बुनियादी बातों को लिये हुए कोई चल कैसे सकता है। यह सही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस तर्क को मानते हैं कि मैं हर वक्त बुनियादी बातों को सामने रखता हूं और देखता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपिल कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि श्रीमन्, थियोरी और प्रैक्टिस में जो विभेद करते हैं। वह तो एक तरह से जो माया और छायावादी हैं वही उसको मान सकते हैं। मगर जो तथ्यवादी हैं जो वस्तु स्थिति का विश्लेषण करते हैं वह प्रैक्टिस और थियोरी में फर्क नहीं करते हैं। वह थियोरी, थियोरी नहीं है जो प्रेक्टिस में न आये। इतने दिनों तक गांधी जी की राजनीति में रहने पर श्रीमन्, अगर हमारे देश के शिक्षा मंत्री महोदय इस तरह की बात करें तो यह तो बुनियादी बात है इसको रखने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं कि बिना बुनियादी बातों को रख कर विधेयक आयगा कैसे? जिस तरह का चित्र बनाना चाहेंगे शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा के क्षेत्र का वैसा ही तो विधेयक लायेंगे। इसलिए हम आपको निश्चित रूप से बता दें कि बुनियादी तौर पर इसके हम विरोधी हैं। इसकी एक-एक धारा में हम हैं। हम आटोनामी का हनन पाते हैं, जनतन्त्र का हनन पाते हैं और जिस आजादी के लिए हम लड़े हैं, जिस भावना को लेकर लड़े हैं, उन तमाम भावनाओं का हनन पाते हैं। इसलिये हमें बुनियादी बातों को कहने की जरूरत पड़ा करती है। श्रीमन्, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस बोलने के दौरान में माननीय परिपूर्णानन्द जी भी यहां पर आ गये। मैंने उनकी भी राय जानने की कोशिश की थी और हमने बड़ा आश्चर्य भी किया था आज के दो चार दिन पहले श्रीमन कि अब तक इस सदन में जितने भी विधेयक आये

चाहे वह सेल्स टैक्स के रहे हों, चाहे वह मोटर ट्रांसपोर्ट के रहे हों या चाहे और कोई हों, उन सब पर माननीय परिपूर्णानन्द जी की सम्मति सुनने को इस सदन को मिली। मगर इतना इम्पार्टेंट विधेयक जो एजुकेशन से सम्बन्धित हो और जो हमारे भारत के कल्याण के लिये, स्वस्थ नागरिक पैदा करने के लिये बराबर एलान करता हो, उस इम्पार्टेंट और मशहूर विधेयक पर माननीय परिपूर्णानन्द जी न बोले, वह चुप रहें। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि यह विधेयक क्या है। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही श्रीमन्, बिल्कुल सत्य कही।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह तो नितान्त अनुचित बात है कि किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से बातें कही जायं और अगर मैं खड़ा होकर इससे इन्कार कर दूं कि मैंने यह नहीं कहा तो.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपस की बातों का जिक्र यहां न होना चाहिए।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं उनका मतलब समझ गया। वह चाहते हैं कि मैं यहां यह न कहता तो अच्छा था। मैं कबूल करता हूं उनके तर्क को, मगर वह झूठ न बोलें।

इन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक ही वाक्य में मैं कह दूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की इच्छा जो इस सदन में व्यक्त हुई है, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उसी के साथ-साथ सारे उत्तर प्रदेश और सारे भारत के शिक्षा जगत का सम्मान इसी में है यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को मान लें। यदि नहीं मानेंगे तो शिक्षा मंत्री जी बार-बार एलान करते रहें, मुक्त कंठ से सदन में, कि सरकार हस्तक्षेप करने की नीति पर नहीं चलेगी और चाहे वह आत्मसन्तोष कर लें श्रीमन्, जैसा कि कल उन्होंने एक तर्क को हमारे माना था एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अवसर पर कि जब राजनारायण या उनकी पार्टी की सरकार होगी और वह इतने निम्नस्तर पर जाकर के हस्तक्षेप करना चाहेगी तब वह हस्तक्षेप कर सकती है। इस बात को उन्होंने माना। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे वह और इससे तेज शब्दों में बोलें और और ज्यादा उत्तेजित हों, इस सदन में, मगर वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि विधेयक की धाराओं को साफ करने में ही भलाई है। जब तक विधेयक की धारायें साफ नहीं होंगी, उसमें धपला होगा। सरकार के हाथ में शक्ति का दुरुपयोग करने की गुंजाइश रहेगी तब तक सरकार शक्ति का दुरुपयोग यदि करेगी तो कानून इसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून सरकार ऐसा बनावे जिसमें रक्षा करने की जरूरत ही न पड़े, जिसमें तमाम लोग समझें कि सरकारी मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अब ट्रेजरर नहीं रह पायेंगे, अब वे कोषाध्यक्ष रह कर जो कुछ युनिवर्सिटी में करना चाहेंगे, वह नहीं कर पायेंगे। इसी इच्छा से मैं आज यह चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

***श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फरुखाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, जो तजवीज झारखंडेराय जी की तरफ से पेश हुई और जिस पर लीडर आफ दि अपोजीशन श्री राजनारायण सिंह जी ने अभी तकरीर की, उसको मैं बहुत गौर से सुनता रहा। जब राजनारायण जी अपनी तकरीर फरमा रहे थे तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि वह इस भवन के अन्दर तकरीर फरमा रहे हैं या अमीनुद्दौला पार्क में कोई तकरीर दे रहे हैं। बहरहाल अपनी तकरीर के बाद उन्होंने एक अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट में पेश किया। मुझे यह खौफ है कि अगर इस सूरत से अमेंडमेंट और आते रहे तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

झारखंडेराय जी ने जो एक अमेंडमेंट पेश किया है और जिसको वह अपनी जगह बिल्कुल सही समझते हैं उसका क्या हस्र होगा? उनके अमेंडमेंट में तो सिर्फ यह था कि कैबिनेट के मेम्बर्स को और सरकार मुलाजिमान को चाहे वह फुली पेड या पार्टली पेड इम्प्लाइज हों, उनको ट्रेजरर बनने से रोक दिया जाय। अब उनके तरमीम में उन्होंने यह तरमीम पेश की है कि डिप्टी मिनिस्टर को और पार्लियामेंटरी सेक्रेट्रीज को भी इससे रोक दिया जाय। हो सकता है कि उसके बाद एक तरमीम आवे कि असेम्बली की तरमीमों को रोक दिया जाय और मैं शायद यह तरमीम करने लगूं कि लीडर आफ अपोजीशन को या उनकी पार्टी को रोक दिया जाय। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस किस्म की तरमीमें आईं तो इनका हशर क्या होगा। एक तरफ तो हम इस बात की बराबर दुहाई देते रहे हैं कि युनिवर्सिटी में आटोनामी होनी चाहिये। जैसा कि हमारे दोस्त और बुजुर्ग राजनारायण सिंह जी कहते हैं कि यह बुनियादी बात है तो अगर मैं भी इस बुनियादी बात की तरफ उनका ध्यान दिलाऊं कि अगर हम युनिवर्सिटी की आटोनामी को मान लें तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि अगर हम यह प्राविजो लगा कर युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव के हाथ बांध दें तो यह कहां तक मुनासिब होगा और कहां तक आटोनामी के हक में होगा। हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में जो नुमाइन्दे आवेंगे उनमें टीचर्स और पब्लिक के नुमाइन्दे भी होंगे और और लोग भी होंगे और एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मामूली जमात नहीं होगी बल्कि वह इंटैलैक्चुअल्स की एक जमात होगी। इसलिये उनको इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह उन लोगों को अपने यहां मुखतलिफ पदों पर रख सकें। एक बात यह भी कही गयी कि अगर सरकारी मुलाजिम या डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर होगा ट्रेजरर, तो युनिवर्सिटी के अन्दर ज्यादा खराबियां आवेंगी। मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह लाजिम नहीं है कि किसी डिप्टी मिनिस्टर को या मिनिस्टर को ही ट्रेजरर बनाया जाय लेकिन मैं यह जरूर देखता हूं कि युनिवर्सिटी की आटोनामी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिये। एक बात यह भी कही गई कि इससे युनिवर्सिटी के इन्तजामात में खराबी होगी और लखनऊ युनिवर्सिटी के अन्दर जो हंगामे हुये उसकी वजह यही बतलाई गई कि ट्रेजरर की पोस्ट पर एक मंत्री थे। अगर बिल को देखा जाय तो पता चलेगा कि ट्रेजरर कोई एक्जीक्यूटिव आफीसर नहीं है। उसका काम तो सिर्फ फाइनेंसेज को और खर्चे को देखना है। सब सेक्शन (४) में लिखा है कि—

"The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the Budget) and statement of accounts, and so on.

एक बात और भी है कि कानून आम तौर पर जब बनाये जाते हैं जब कि जनता को उनकी जरूरत हो। बहुत से कानून हमारे सामने ऐसे बने जिनके ऊपर अमलदरामद नहीं हो सका और उसकी वजह यह थी कि जनता की नब्ज पर उंगली रख कर कानून नहीं बनाये गये जिसका नतीजा यह हुआ कि वह बिल्कुल हेडलैटर पड़े रहे, जैसे कंसालीडेशन का कानून हमने बनाया जो जारी नहीं हो सका और नया ऐक्ट शारदा ऐक्ट। और भी बहुत से ऐसे कानून हैं कानून बनाने का मंशा यह होता है कि जो प्राबलम्स हमारे सामने मास स्केल पर आ गई हैं अगर वे ऐसी हैं कि सोसायटी में उनसे खराबी पैदा होती है और उनकी रोकथाम करनी है तब हम कानून बनाया करते हैं। मेरे सामने जो मेरे दोस्त ने तकरीर की थी या इससे पहले जो तक़रीरें हुईं उनमें मैंने कहीं इस बात को नहीं सुना कि ट्रेजरर पर पाबन्दी न लगाने की वजह से ऐसी खराबियां पैदा हुईं और इसलिये यह जरूरी है कि वह कोई सरकारी ओहदेदार न हो। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई इस पर से मैं अर्ज करूंगा कि

जब कोई खास चीज हमारे सामने नहीं है तो इस वजह से ही महज इस वजह से कि यह चीज ज्यादा अच्छी मालूम हो और लोग इसको पढ़ें तो यह अंदाजा लगायें कि हाउस ने इस ऐक्ट में एक ऐसी दफा रखी जो दूसरी जगह नहीं थी, यह सही नहीं होगा। मेरा जहां तक ख्याल है, जहां तक मुझे याद है कि किसी दूसरी युनीवर्सिटी के ऐक्ट में भी ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है। जब ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है तो फिर इसको और पाबन्दियों में जकड़ना मुनासिब नहीं है बल्कि हम उन लोगों की अक्ल पर और उन लोगों की रहनुमाई पर छोड़ दें जिनके हाथ में युनीवर्सिटी का इन्तजाम है। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल मुनासिब समझें कि कोई बाहर का शख्स उसको मदद कर सकता है तो ऐसी सूरत में उसके चुने जाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल ऐसे किसी आदमी को नहीं चाहती है तो जाहिर है कि यूनीवर्सिटी का पूरा इन्तजाम उसके हाथ में है और कहीं दूसरी जगह से इस किस्म का शख्स युनीवर्सिटी के अन्दर ट्रेजरर या किसी और जगह पर नहीं लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त श्री राजनारायण जी इस बात को महसूस करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि वह इसको वापस ले लें क्योंकि यह अमेंडमेंट दूसरे का है लेकिन अगर वह अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें तो शायद इसके लिये रास्ता खुल जाय कि इस अमेंडमेंट के वापसी के मसले पर गौर किया जा सके। इन अल्फाज के साथ जो तरमीम हमारे सामने आई है मैं उसकी मुखालफत करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जोरावर जी वर्मा ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये कि जो भावनायें इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रगट की थीं और मंत्री जी ने भी बार-बार कहा है कि युनीवर्सिटियों में गवर्नमेंट का कोई ज्यादा हाथ नहीं होना चाहिये और न हमारा इरादा ही है कि हम उसके प्रबन्ध में अपना हाथ डालें। इस बात की पुष्टि हो जायगी, यदि माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। हमारी गवर्नमेंट में मंत्रियों, डिप्टी मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के पास बहुत बड़ा काम है और बहुत से विभाग हैं और हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा प्रान्त है। इसलिये उनका ज्यादातर समय न इसी में लगना चाहिये और युनीवर्सिटीज के मामलों में उनको दखल नहीं देना चाहिये और यदि ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि दूसरी युनीवर्सिटीज को यह हो जाती है कि उस युनीवर्सिटी के तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ट्रेजरर हैं इसलिये उनको रुपया ज्यादा मिलता है। उनकी बिल्डिंग भी बन जाती है और सब तरह से रुपया भी मिलता है और हमारा ट्रेजरर मिनिस्टर नहीं है इसलिये हमें रुपया नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनको वंचित नहीं किया जायगा तो जनता की यह आम शिकायत बनी रहेगी।

दूसरी चीज यह है कि ट्रेजरर का काम एक हद तक बहुत आवश्यक है, जरूरी है और महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ देखा जाय तो बड़ा भारी काम भी नहीं है।

The Treasurer shall have the duty :—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University.

यह तो आडीटर भी देख लेंगे कि अगर बजट के बाहर रुपया खर्च किया गया है। ऐसी मंशा है तो मंत्री जी जवाब देंगे। मैं तो अपनी बात पेश कर रहा हूं। कि क्या-क्या शिकायतें लोगों को हो सकती हैं। चाहे नासमझी से हों या सीरियसली हों। दूसरा यह है कि—

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यही काम मैं समझता हूं हमारे ट्रेजरर का है। अगर कहीं मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ट्रेजरर होने लगे तो और लोगों को तो बहुत कम मौका मिलेगा। हमारे इस सदन में ही माननीय शिवनारायण जी का इतना प्रयत्न हो रहा है लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पर्सनल नहीं होना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां, लेकिन मैं तो कुछ तरक्की की बात कर रहा हूं। सरकार सुनती ही नहीं है। अब तो उपाध्यक्ष महोदय, यह खबर मैंने सुनी है कि माननीय शिवनारायण जी गोरखपुर से पार्लियामेंट के लिये खड़े हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इस बात का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं तो इस हाउस को खबर दे रहा था और मैं समझता हूं कि उन्हें भी इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह यह रहा था कि अगर मिनिस्टर्स वगैरह ट्रेजरर होने लगे तो फिर और लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस छोटे से संशोधन को वह स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि यह अधिकार इस भवन में केवल हमारे विरोधी दल के नेता को ही मिला हुआ है क्योंकि इस संशोधन पर करीब-करीब एक घंटा उन्होंने ले लिया और फिर वही बुनियादी बातें जिनको सुनते-सुनते मैं तो श्रीमन् जरूर ऊब गया हूं, सुननी पड़ीं। इसलिये मैं अपने विचार केवल संशोधन तक ही सीमित रखूंगा। मूल विधेयक में इस सम्बन्ध में धारा सिर्फ यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ट्रेजरर चुन लेती है और चांसलर द्वारा वही ट्रेजरर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नियुक्त होगा। इसमें, श्रीमन् वहां की कार्यकारिणी को पूर्ण अधिकार है कि वह ट्रेजरर किस प्रकार का हो। ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि विधेयक में जो धारा रखी गयी है उसके द्वारा युनिवर्सिटी आटोनामी का बध किया जा रहा है। श्रीमन्, यह कहने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है कि अगर युनिवर्सिटी के पास कोई शरीर होता और वह इस भवन की गैलरी में बैठ कर श्री राजनारायण जी का भाषण सुने होती तो वह यही कहती कि God save me from my friends क्योंकि जहां हम विधेयक में यह कहते हैं कि कार्यकारिणी को पूरा अधिकार है तहां संशोधन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नहीं, आप एग्जीक्यूटिव के इन अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाइये और वह प्रतिबन्ध यह लगाइये कि कैबिनेट का कोई मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ट्रेजरर न हो तो एक ओर तो युनिवर्सिटी की आटोनोमी की दुहाई देकर उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, और प्रतिबन्ध क्या? श्री राजनारायण जी मुझे क्षमा करेंगे, उन्होंने प्रयत्न तो इस बात का किया कि वह अपने विचारों को सुन्दर शब्दों में रखें लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वह हमसे, आपसे, किसी से छिपी नहीं है। श्रीमन्, अगर पहले ही से यह होता तो ठीक बात थी, लेकिन श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि जब आचार्य नरेन्द्रदेव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे तब भी गुप्ता जी उसके ट्रेजरर थे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज यह शिकायत किस लिए जब कि आचार्य जी को यह शिकायत कभी नहीं हुई? हमारे देहात में श्रीमन्, एक किस्सा कहा जाता है और वह यह कि "मेरे घर में मालिक तो बाप थे जरूर, लेकिन जब से मैंने उनको पटक दिया और धकेल दिया और घर से निकाल दिया, तब से मालिक मैं ही हो गया"। तो ये ऐसे मालिक हो गये हैं और वही बात मुझे फिर दोहरानी पड़ रही है। आचार्य जी को कभी शिकायत नहीं हुई कि सरकार द्वारा बड़ा

हस्तक्षेप हो रहा है चूंकि गुप्ता जी इस युनिवर्सिटी के ट्रेजरर हैं और इस अवसर पर श्रीमन, म गुप्ता जी के प्रति अपने आदर का भाव प्रकट करना चाहता हूं। लखनऊ युनिवर्सिटी ऋणी रहेगी गुप्ता जी का। जितनी सेवाएं गुप्ता जी ने विश्वविद्यालय की, अगर हर एक विश्वविद्यालय के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिल जाय मैं तो समझता हूं कि यह उस विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव की बात होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, गुप्ता जी तो इस वक्त हैं नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—न हों, लेकिन यह असंगत नहीं है।

श्री हरगोविंदसिंह—श्रीमन्, तो संशोधन क्या है? संशोधन यह है कि कोई मिनिस्टर न रखा जाय। कारण उसका यह कि उसके द्वारा हस्तक्षेप होगा। श्रीमन्, जो मूल अधिनियम है और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने उस रोज कहा था, अभी तक दोनों विश्वविद्यालय की कोर्ट में यू० पी० के १२ या १३ मिनिस्टर उसके अपने प्रस्ताव के द्वारा उसके प्रतिनिधि हुआ करते थे। इस बिल में उसको हटा दिया गया। आज भी कोर्ट में एजूकेशन मिनिस्टर उसका मेम्बर है। लेकिन अगर उसको हस्तक्षेप करना होगा, अगर हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति से, उस भावना से वह ट्रेजरर बनना चाहेगा तो क्या कोर्ट की परिभाषा के जरिये उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकता?

और दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आई श्रीमन्, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ट्रेजरर मंत्री है। अगर लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना कुल खर्चा बरदाश्त नहीं करता है तो वह एक दिन भी चल नहीं सकता, तो जब कि उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है कुल रुपया देने का तो उससे यह कहा जाय कि रुपया तो तुम जरूर दो, लेकिन वहां का ट्रेजरर कोई मंत्री नहीं होना चाहिये, कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं होना चाहिये, कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं होना चाहिये। इस दलील के पीछे क्या न्याय है, क्या उचित है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आई।

ट्रेजरर की जो पावर्स है वह उसमें दी हुई है। वह एक पावर है और यह कि बजट के बाहर जिन खर्चों के लिए बजट में इन्तजाम नहीं है, प्रबन्ध नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई खर्चा यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती ट्रेजरर उसको बन्द कर देगा। बजट बनाने में ट्रेजरर का हाथ नहीं है। कमेटी आफ रिफरेंस बजट बनाती है। ट्रेजरर का कर्तव्य यह है कि वह यह देखे कि युनिवर्सिटी इससे अधिक खर्च नहीं कर सकती। मदन मोहन जी को गलतफहमी है कि आडिटर यह काम नहीं कर सकता। आडिटर जो खर्चा हो जाता है उसकी जांच करता है। आडिटर को यह अख्तियार नहीं होता कि वह पहले से ही यह कहे कि यह खर्चा नहीं हो सकता। श्रीमन्, आप इलाहाबाद युनीवर्सिटी के सम्बन्ध में जानते ही होंगे कि उसने २० लाख कर्ज ले लिया इसी कारण कि ट्रेजरर को यह अख्तियार नहीं था कि वह रोक सके। मैं फिर दोहराना चाहता हूं जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि वह कर्ज इसलिये नहीं लिया गया कि कोई सज्जा सामग्री का प्रबन्ध किया गया हो या विश्वविद्यालय में कोई भवन बनाया गया हो। मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—उस समय १५ लाख ७४ हजार रुपये का कर्ज हो चुका था—उसमें लिखा है कि १५ लाख ७४ हजार में से १४ लाख ६८ हजार खर्चा इसलिये किया गया कि डीयरनेस एलाउन्स टीचर्स ले लें, कास्ट आफ लिविंग एलाउन्स ले लें और जिनको इन दोनों में कुछ न मिलता था उनके लिये यह कह दिया कि पर्सनल पे दे दी जाय। लखनऊ यूनीवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि, चाहे इस सम्बन्ध में किसी के कुछ विचार हों, अगर किसी युनीवर्सिटी की कोर्ट की एक्जिक्यूटिव कौंसिल को यह सद्बुद्धि आती है कि वह कैबिनेट के एक मिनिस्टर को मजबूर करके अपने यहां ट्रेजरर रखती है तो शायद उसकी सब समस्याऐं अधिक सफलता के साथ सुलझाई जा सकती हैं। तो यह कहना कि उसमें तो कानून का रूप बिगाड़ा गया है यह ग़लत है। कहा

[श्री हरगोविन्दसिंह]

गया कि सरकार युनीवर्सिटी में हस्तक्षेप न करे। किस चीज में हस्तक्षेप न करे। इस बात को मैं कई दफा स्पष्ट कह चुका हूं कि इस बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती--उसके पठन-पाठन के कार्यक्रम में, वहां के टीचर्स की स्वतन्त्रता हो अपना कार्य करने के लिये लेकिन साथ ही साथ उस सरकार को सरकार कहलाने का हक नहीं है जो यह समझे कि यूनीवर्सिटी की चाहे जो पद्धति हो उसमें फस जाना नहीं चाहिये। अगर इसमें गड़बड़ी है, उसमें बच्चों का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें राष्ट्र का भविष्य खराब किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हर सरकार का फर्ज होना चाहिये कि वह युनिवर्सिटी को सुधारे। मुझे इसके कहने में लज्जा नहीं और न मुझे कोई दुःख है। मैं समझता हूं कि जिस महानुभाव ने मूथम कमेटी की रिपोर्ट आद्योपान्त पढ़ी है वे इसी नतीजे पर आयेंगे कि वह अवस्था आ गई है कि हमको हस्तक्षेप करना चाहिये लेकिन एक ही दृष्टि से, एक ही प्रेरणा से उसमें सुधार होना चाहिये। आखिर मान लिया थोड़ी देर के लिये सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है, युनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहती है तो क्यों ऐसा चाहती है, उसका क्या अभिप्राय है। कोई बाहर से लाई हुई सरकार तो है नहीं, ऊपर से गिरी हुई सरकार है नहीं, जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता की एक संस्था है और जनता का रुपया जाता है और फिर यह कहा जाय कि नहीं तुम अछूत हो, तुम न जाओ मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। जैसा कि मूथम साहब ने कहा कि यह ग़लत कहा जाता है कि ब्रिटिश युनिवर्सिटीज में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। इन सब यूनिवर्सिटी में सरकार का हस्तक्षेप होता है और प्रजातन्त्र में होना भी चाहिये लेकिन उसी दृष्टि से और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये वह होना चाहिये। आज मैं यह समझता था कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अगर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है उस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कम से कम मदन मोहन जी उपाध्याय इसकी आलोचना नहीं करेंगे। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि कभी-कभी इस बिल के सम्बन्ध में जब वह बोले हैं और उनके भाषण को मैंने सुना है तब उन्होंने अच्छी चीजें कही हैं और उनके भाषण को सुन कर मुझे खुशी हुयी है। मैं स्वयं चाहता हूं कि किसी तरह से इस बिल के सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाय और जो इसमें गलतियां हों उनको बतलाया जाय ताकि उनको सुलझाया जा सके। लेकिन आज उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और इस संशोधन को अच्छा बताया है। मैं यह समझता हूं कि इस भवन के तमाम सदस्यों को याद होगा कि जितने दिन से राजनारायण जी इस सदन के सदस्य हुये हैं उन्होंने सरकार के किसी भी काम की ताईद नहीं की है। उनकी निगाह में हम लोग सब काम गलत ही करते जाते हैं। यह उनका अपरोच है। मैं आपको बतलाऊं कि दो चीफ मिनिस्टर तो दो विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं और एक के प्राइम मिनिस्टर चांसलर हैं लेकिन यहां पर यह क्यों कहा जाता है कि एक ट्रेजरार मिनिस्टर नहीं हो सकता। अगर यह संशोधन होता कि कोई व्यक्ति जिसका राजनीति से सम्बन्ध हो, या राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखता हो तो वह युनिवर्सिटी में न जाय तो मैं समझता हूं कि मुझको 'न' कहने में बड़ी हिचक होती इसलिये कि हम हमेशा यह चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो हम अपने इन विश्वविद्यालयों को राजनीति से अलग रखें। लेकिन मैं पूंछता हूं कि यदि आप यह प्रतिबन्ध लगायें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस वाइस चांसलर के पद पर आ सकता हो और यह उसकी योग्यता हो तो मैं समझता हूं कि एक आदमी भी आपको शायद ही मिले जो 'न' कर सकता हो। आचार्य नरेन्द्रदेव जी की तारीफ होती है। अवश्य तारीफ होनी चाहिये लेकिन अगर राज-नारायण जी उनसे अकेले में जाकर पूंछें तो मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा दुःख किसी को नहीं होगा। मैं भी आचार्य जी के सम्पर्क में रहा हूं और मैं जानता हूं कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं और अगर हमारे देश में की यह परम्परा बनायी जाय कि कोई राजनीति से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति वाइस चांसलर न हो और युनिवर्सिटी की संस्था में न हो

और ट्रेजरर भी न हो और स्टूडेंट भी न हो तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परम्परा की नींव हम डाल सकते हैं और उससे वहां का कल्याण होगा तो हम जरूर इस प्रकार की नींव डाल सकते हैं लेकिन आज ऐसी दशा होना सम्भव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी अगर यह सम्भव हो सके। लेकिन एक आदमी आज इस पोजिशन में है कि यूनिवर्सिटी के ट्रेजरर हो सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं लेकिन वही आदमी कैबिनेट में आ जाता है तो उसको कलंक लग जाता है कि वह यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता है यह उचित नहीं मालूम होता है। इसलिये हम अपनी यूनिवर्सिटी की सेवा करना चाहते हैं और उसका और अधिक विस्तार चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि जो ज्ञान का समुचित भंडार है वह अधिक से अधिक लोगों को मिले। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि वे यह बतायें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी एक व्यक्ति ने इतना रुपया इकट्ठा किया हो जितना कि गुप्ता जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये चन्दे के रूप में इकट्ठा किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी का विस्तार अधिकांश में इस बात का ऋणी है कि वह सब गुप्ता जी के द्वारा रुपया इकट्ठा करके ही सम्भव हो सका है। जब उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है तो क्या हम उसके लिये उनकी तारीफ भी न करें, उसके लिये हम उनके ऋणी न बनें, उनके प्रति अपनी उदारता की भावना को प्रकट न करें और यह एक संशोधन लाया जाय कि ट्रेजरर कैबीनेट का मिनिस्टर न होना चाहिये। इस समय, श्रीमन् वह चले गये शायद परसों के बाद वह रहना भी नहीं चाहते। ठीक है चले गये तो अच्छा ही रहा क्योंकि उतने समय तक भवन का वातावरण स्वच्छ रहता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अन्दर पुलिस गयी। यह ऐसा विषयान्तर था कि मैं उसी समय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, आपसे अनुरोध करने वाला था कि आप उनको रोक दें और यदि वे होते तो शायद मुझे भी वह ग़लती जरूर करनी पड़ती। (किसी माननीय सदस्य के कहने पर कि उनको भूल जाइये) इतना बड़ा शरीर है कि उसको भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय जब कि उससे लोगों को अधिक उपयोगी सिद्ध होने का अवसर मिलता है, लेकिन वे कहते हैं कि इससे यूनिवर्सिटी की आटोनोमी कुंठित हो जायगी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इससे यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी कहां कुंठित होती है जब कि वह किसी ऐसे आदमी को अपना ट्रेजरर बनाती है जिससे उसकी तरक्की होती हो। यह कैसे सोचा जाता है कि यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों का चुनाव करेगी जो यूनिवर्सिटी के दुश्मन होंगे। और यदि वे एकमत से चुनते हैं, चाहे वह किसी भी पद पर हो, चाहे वह कैबीनेट का मिनिस्टर हो, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो, या लीडर आफ दी अपोजीशन हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी आदमी को ट्रेजरर नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के प्रति अन्याय होगा, उसके अधिकारों पर कुठाराघात होगा और जिन लोगों के हाथ में यूनिवर्सिटी का संचालन है, जो लोग उसकी भलाई सोच सकते हैं, उनके इस अधिकार पर नियंत्रण नहीं होना चाहिये। उनकी पूरी आजादी होनी चाहिये कि जिसको सबसे योग्य समझें उसको रखें क्योंकि ट्रेजर के पद के साथ कोई वेतन भी नहीं है, उस पद को तो वही आदमी स्वीकार करेगा जिसके भीतर यूनिवर्सिटी की सेवा की भावना होगी, जिसके अन्दर यह भावना नहीं होगी, जो अपना समय न दे सकेगा, वह इस पद के लिये नहीं जायगा। उसको कुछ अधिकार भी नहीं है। केवल एक अधिकार है कि रकम जो खर्च हो रही है वह बजट के अनुसार है या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो वह यूनिवर्सिटी के प्रति अन्याय होगा।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम मेरे नाम से थी और जिसको माननीय वर्मा जी ने पेश किया है उसी के सम्बन्ध में मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडे राय]

कुछ आपके सामने कहना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण को मैंने गौर से सुना लेकिन सुनने के बाद भी मैं उनके तर्कों से सन्तुष्ट नहीं हो सका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकार वे एक्जीक्यूटिव कौंसिल को देना चाहते हैं वह अधिकार और प्रतिबन्ध देखने में दोनों में विरोधाभास थोड़ा सा मालूम होता है लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाय तो अधिकार, आजादी और प्रतिबन्ध में सदैव एक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यह प्रतिबन्धहीन आजादी, उच्छृंखल आजादी में समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उचित नहीं समझते होंगे। इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सदिच्छा के ऊपर यह छोड़ देना ठीक नहीं मालूम होता है। उनका कहना है कि यह कैसे मान लिया जाय कि सभी लोग यूनिवर्सिटी आटोनामी के खिलाफ होंगे? ठीक है, यह बात हम भी महसूस करते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी आटोनामी के विरोधी नहीं होंगे लेकिन यह बात किसी की सदिच्छा पर छोड़ देने के बजाय क्यों नहीं उसमें इस तरह की चीज रख दी जाय जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे उसकी सदिच्छा हो या न हो, ऐसी परिस्थिति बना दी जाय और इस तरह के प्रतिबन्ध रख दिये जायं, ऐसी सीमाबन्दी रख दी जाय जिससे कोई आदमी, अगर उसकी सदिच्छा न भी हो तो भी मजबूर होकर उसी सीमा के भीतर सोचे और निर्णय करने को बाध्य हो। इसलिये यह बिल्कुल पाक व साफ का सवाल नहीं है, यह पवित्र भावनाओं का प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न है कि ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कि हम यूनिवर्सिटी को सरकारी कंट्रोल से और राजनीति से ऊपर दोनों को लेकर चला सकें।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दी, गोकि मैंने उनके भाषण को सुना और खास कर विधेयक को पेश करते हुए जो मुख्य भाषण उन्होंने दिया था उससे मैंने समझा कि वे भी इस बात को महसूस करते हैं और यूनिवर्सिटी को सरकारी कंट्रोल के ऊपर रखना चाहते हैं। उनकी कत्तई मंशा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के दैनिक कार्यों में सरकार हस्तक्षेप करे और न उनकी यही मंशा है कि किसी तरह से यूनिवर्सिटी में राजनैतिक दलबन्दी रहे। ये दो बातें मैंने उनकी समझी थीं लेकिन आज एक बात उन्होंने बड़ी सफाई से कही कि उनका मंशा कंट्रोल से ऊपर रखने का नहीं है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि उनको इस बात को कहने में कोई लज्जा नहीं है और उनको गर्व है कहने में कि अगर उनकी समझ में यूनिवर्सिटी अपने कर्तव्य से च्युत हो रही है, या वहां बच्चों के भविष्य को जो देश के भावी कर्णधार हैं, बिगाड़ा जा रहा है तो वे जरूर हस्तक्षेप करेंगे। वे इस चीज को यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मैं महसूस करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो हमारे स्टेट की सरकार और देश की सरकार सर्वसत्ता सम्पन्न है, देश के या प्रदेश के किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी अगर देखती है उसके दृष्टिकोण से भी उसमें हस्तक्षेप करना अनिवार्य है तो हस्तक्षेप कर सकती है यदि इस तरह की स्थिति हो। ऐसी हालत में यूनिवर्सिटी के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना असली टक्कर जो हम लोगों की समझ में उनकी समझ में है वह इसी में है। अगर वे इस बात को छोड़ दें..

श्री हरगोविन्दसिंह—दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की बिल्कुल मंशा नहीं है।

श्री झारखंडे राय—शिक्षा मंत्री जी जो बातें कहते हैं यही बात अगर कार्य के रूप में हो सके तो हमारी और उनकी कोई टक्कर ही नहीं होती। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से एक चीज को कहते हैं और साथ ही मामूली से मामूली तरमीम का विरोध करते चलते हैं उससे यह बात उनकी समझ में नहीं आती। प्रतिबन्ध यह है कि चांसलर को तो आपने बना दिया डिक्टेटर और वाइस चांसलर के तमाम अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—आप तो डिक्टेटर के पक्षपाती होंगे ?

श्री झारखंडे राय—खैर, मैं किस बात का पक्षपाती हूं उस पर आप बहस जरूर करवायें तो मैं जवाब दूंगा इस समय तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विधेयक के जरिये उसकी धाराओं के जरिये और तरमीमें उनके ऊपर पेश की जा रही हैं उनका विरोध करने के जरिये वह वास्तव में न राजनीति से ऊपर यूनिवर्सिटी को रख पायेंगे और न सरकारी कंट्रोल को ऐसे मामलों में जो दैनिक कार्यों से सम्बन्धित हैं उनको बचा पायेंगे और यही दो खतरे हैं जिनकी ओर मैं उनका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहता हूं। सचमुच अगर वह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की उन्नति हो और जितनी उन्नति उसमें हुई है उससे आगे बढ़े उसकी शिक्षा का विकास हो और उसमें देश के सच्चे भावी कर्णधार बनें और पनप सकें तो इन धाराओं पर फिर से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने माननीय गुप्ता जी की बात कही है मैं उसमें इस समय नहीं जानाचाहता क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक आयेगा और उसमें उस समय इन बातों पर कहने का काफी मौका मिलेगा। केवल इतना कहूंगा कि एक व्यक्ति लाख सेवा करे और उनकी सेवायें होंगी लेकिन अगर उसके व्यक्तित्व के कारण उसकी विशिष्ट राजनीति उस शिक्षा संस्था में प्रविष्ट करती है तो निश्चित है कि इस बात से एक एंटीथीसिस पैदा होगी। मैं पूछता हूं कि क्या यही वजह नहीं है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आये दिन टक्करें हुआ करती थीं और इस बात से वे कैसे इन्कार करेंगे कि माननीय गुप्ता जी या इस तरह के सत्तासम्पन्न लोग यदि ऐसी संस्थाओं में हाथ रखते हैं तो जिस बात के वास्ते वे इस प्रतिबन्ध का विरोध कर रहे हैं क्या वे नहीं होंगी, यहां पर टक्करें होंगी और फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ाई कम होगी, और सबका दिमाग़ उसी में लगता जायगा और फिर शिक्षा का स्तर नीचे गिरेगा और फिर ऐसा कार्य कारण सम्बन्ध शुरू हो जाता है कि जिसका अन्त नहीं होता है। इसलिये मैं बहुत अदब से उनसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इन बातों के ऊपर वे पुनः गौर करें और ऐसे प्रतिबन्ध को जिसमें कोई नुकसान नहीं है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करें। सरकार को तो पूरी पावर है, शिक्षा मंत्री या कैबिनेट का कोई सदस्य अगर किसी शिक्षा संस्था में न हो इसीलिये सरकार के वे अधिकार सीमित हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है। सरकार तो आल पावर—फुल है। वह किसी समय पर हस्तक्षेप कर सकती है, किसी मामले में हाथ डाल सकती है, और पूरे फंक्शन को स्टाप कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का भय है, जो भ्रम है या तो वे इस भ्रम को दूर करें या अपने भ्रम को दूर करें। दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करके वे यूनिवर्सिटी को पीछे हटायेंगे। उसमें राजनीति यदि एक ओर से घुसेगी तो फिर अन्य प्रकार के राजनीतिक लोग भी उसमें घुसेंगे और उनको भी घुसने का एक बहाना मिलेगा। हम जानते हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों की भी राजनीति है और जब हम इस बात को कहते हैं कि राजनीति से यूनिवर्सिटी को दूर रखा जाय तो उसको पूरा भी करना चाहिये। मैं चाहता हूं यदि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से इस बात की तरमीम पेश हो कि उसमें शिक्षा संस्थाओं में, किसी प्रकार के राजनीतिक विचार के लोग नहीं घुसने पायेंगे तो अच्छा होता। अगर वह समझते हैं कि कैबिनेट या डिप्टी मिनिस्टर, या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रखना एकांगी है या इससे एक मतलब पूरा होता है और दूसरा पूरा नहीं होता तो कोई संशोध लायें जिसमें वह मतलब पूरा होता हो। मैं यह चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री यानउनके साथ बैठने वाले जो सरकारी बेंचेज पर लोग हैं उनको इस विभेद को समझ लेना चाहिये कि माननीय शिक्षा मंत्री, किसी मंत्री और विरोधी पक्ष के मेम्बरों और दूसरे किसी आदमी में फर्क है। वह सत्तारूढ़ संस्था, सत्तारूढ़ दल के प्रमुख व्यक्ति के रूप में बैठे हुये है उनके हस्तक्षेप का मतलब उनकी खास कंट्रोलिंग वाडी के मेम्बर होने का मतलब है और उस दृष्टि से एक साधारण नागरिक में और उनमें फर्क हो जाता है। एक साधारण

[श्री झारखंडे राय]

नागरिक अगर यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल, एकेडेमिक कौंसिल और किसी कंट्रोलिंग संस्था का मेम्बर बनता है तो और अगर उसमें शिक्षा मंत्री महोदय या उनके साथ बैठने वाले लोग बनते हैं तो उन दोनों में गुणात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी सचमुच अपने उस एलान के प्रति वफादार हैं कि हम यूनिवर्सिटी को दलबन्दी से ऊपर रखना चाहते हैं तो यदि उनको यह तरमीम अपूर्ण, एकांगी या गलत मालूम पड़ती होगी तो वह इस आशय का कोई संशोधन खुद पेश करें जिससे यूनिवर्सिटी राजनीति से ऊपर रखी जा सकें और श्री राजनारायण की राजनीति सरकार की राजनीति या हमारी राजनीति यहां न घुस सके लेकिन हमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से डर है कि कहीं बिल और लम्बा चलता तो दो दिन में वह कह देते कि हम जो राजनीति लेकर चलते हैं या जो राजनीति महात्मा गांधी के नाम पर वह संचालित कर रहे हैं। वह राजनीति नहीं है और बाकी सब राजनीति है और हमें दूसरी किसी राजनीति पर विश्वास नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। इसलिए मैं आग्रह करूंगा और जोर दूंगा कि वह हमारी भावनाओं की कद्र करें और स्वयं कोशिश करें और वह पूर्ण रूप से ऐसी पद्धति लायें जिससे इस प्रकार की राजनीति से यनिवर्सिटी को ऊपर उठा सकें और इस प्रकार की धाराओं के रहने से जो सरकारी हस्तक्षेप संभव है उससे यूनिवर्सिटी बच सके, इतनी ही हमारी भावना इस संशोधन से है। इन शब्दों के साथ मैं फिर आग्रह करूंगा कि अगर संभव हो तो वह इस को मान लें।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप कि इजाजत से उस धारा को पढ़ना चहता हूं कि जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया है वह (1—A) इस प्रकार है:—

(I-A) The Executive Council shall so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor, the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer."

इसके बाद वह यह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहते हैं जो उन्होंने पेश किया है। इस पर मैं उन चारों सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस धारा को तो माना है और इसके लिये मैं उनके बुद्ध विभ्रम की प्रसंशा करता हूं। जो संशोधन है सरकार का उसका उन्होंने विरोध नहीं किया है, उसका राजनारायण जी ने विरोध नहीं किया, श्री मदन मोहन उपाध्याय ने विरोध नहीं किया, श्री झारखंडे राय ने उसको मंजूर किया और श्री जोरावर वर्मा ने उसको मंजूर किया। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी जो मन्शा है वह यह है और उनका कहना है कि "having an expert knowledge of Finance" लेकिन उन्होंने फाइनेंस की डेफिनिशन नहीं की .....

श्री जोरावर वर्मा—आखिर वह क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह संशोधन अब कहां चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, इसका उन्होंने विरोध नहीं किया है और एक्सेप्ट किया है। अब वह प्रस्ताव कर रहे हैं कि मिनिस्टर इस पद पर न रखे जायं। यह भी हुआ कि सदन में माननीय गुप्त जी का नाम लिया गया, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि हिन्दुस्तान भर में ट्रेजरर के पद पर रह कर जितना रुपया उन्होंने मांगकर यूनिवर्सिटी को दिया है और जिस तरह से यह सरकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला रही है वैसा कोई कर नहीं सकता।

मेरे दोस्त कहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में इन्टरफियर न करे और वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी पनपे, कांग्रेस खत्म हो जाय, सोशलिस्ट तो वहां त्रिशंकू की तरह बीच में लटके हैं। कहां प्रतिबन्ध लगाते हैं, किस पर लगाते हैं। (एक आवाज आप के कहने के बावजूद प्रतिबन्ध है।) वह मैंने नहीं लगाया, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यूनिवर्सिटी में अगर सरकार मदद करती है तो उसको यह भी ड्यूटी है कि वह देखे कि कहां करप्शन है, कहां बदनज्मी है और अगर है तो it is the duty of the Government to check the corruption." कंट्री की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कंधों पर है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है क्योंकि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि यह गवर्नमेंट जनता की, जनता के लिये और जनता के द्वारा है। डिक्टेटर शिप यहां नहीं है। डिक्टेटरशिप तो वहां है जहां से यह अमेंडमेंट आया है, पेश हुआ है। गवर्नमेंट ने कौन सा गुनाह कर दिया है कि इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा। एनी वन कैन बि देयर, कोई भी वहां हो सकता है, राजनारायण जी वहां हो सकते हैं, मदन मोहन जी वहां हो सकते हैं। हम आचार्य जी को इज्जत की नजर से देखते हैं। आप लोग तो कोई पहाड़ से आया है कोई बनारस से आया है, आचार्य जी ठीक हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने आचार्य जी के बारे में जो कहा था कि वहां उनके रहते हुये गड़बड़ी हुई तो वह उनकी सेम्पेथी में कहा था, उनके विरोध में नहीं कहा था। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भाई रामनारायण जी फैजाबाद से आये हैं लेकिन वहां वह आचार्य जी को जिता नहीं सके। वह इन बातों से नाराज हो जाते हैं। आचार्य जी की प्रतिष्ठा में दखल देने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हम तो उनकी इज्जत करते हैं और उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कि पंत जी या पं० जवाहरलाल नेहरू की। हमने देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और हम उसके लिये सोचते हैं, काम करते हैं, देश के लिये बदगुमानी नहीं सोचते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि श्री झारखंडेराय जी और श्री वर्मा जी इस संशोधन को वापस ले लें। यह रास्ता सब के लिये खुला हुआ है किसी के लिये रुकावट नहीं है। मैं हवाई बातें नहीं करना चाहता और मैं अपील करूंगा कि मंत्री जी भी हवाई बातों के फेर में न पड़ें। तुलसी दास जी ने भी कहा है

(बंदौं खल गन सुचिताई चेत न .....)

मैं मदनमोहन उपाध्याय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे भविष्य की एक बात कही। वह ब्राह्मण है इसलिये उनकी बात मैं सुनता भी हूं। बात फलीभूत भी हो सकती है, लेकिन जिस गोरखपुर का नकशा वह देख रहे हैं वहां हम लोग सो नहीं रहे हैं। अगले मैदान में वह भी जुटेंगे और हम भी, फिर देखना है कि क्या होता है।

मैं फिर कहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बताया गया कि १४ लाख रुपये का मिसयूज किया गया। ठीक है इसलिये कि रुपया खर्च होने के बाद आडीटर आता है और चेक करता है और आजादी होने के बाद अब तक हमने सिर्फ यही देखा है कि यह यूनिवर्सिटियां काले अंग्रेज पैदा कर रही हैं। वह नेकटाई, कालर और सूट पहन कर अभी सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उनको खद्दर पहनने वालों से नफरत है और वे हम सब पर जुमला कसते हैं। मैंने नैनीताल के बिरला मंदिर में इसकी जिन्दा मिसाल देखी। हम पांच सदस्य वहां गये थे खद्दर पहने हुये तो वहां उन्होंने साफ कह दिया था कि खद्दर पहन कर हम वहां नहीं जा सकते। माननीय मुख्य मंत्री जी निकले और उनको कहा कि यह सब भी वहां आयेंगे, लेकिन किसी ने कुछ परवाह नहीं की। यह व्यवहार है। यह आदर्शवादी लोग हैं। वहां के विद्यार्थी आज भी नेकटाई में फिरते हैं। कहा जाता है आटोनौमी में दखल न दें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—आप भी थे उसमें।

श्री शिवनारायण——आप ही लोगों के साथी हैं, बिरला जी। वहां नेक टाई कालर में विद्यार्थी निकलते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने जो इंटरवीन किया है, वह अनुचित नहीं है। हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी को पैसा देते हैं। पैसा तो हम दें और मालिक राजनारायण जी रहें। कौन ऐसी बेवकूफ गवर्नमेंट होगी कि पैसा वह दे और राजनारायण मालिक बने रहें। मुझे मालूम है कि लखनऊ में जब एजीटेशन हुआ था, लेकिन मैं उसके अन्दर नहीं जाना चाहता। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपक इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेंट आये हैं उधर से, उनकी बुद्धि के परिचायक हैं। गवर्नमेंट की बनायी हुई इस चीज को तो मानते हैं लेकिन उसमें दो एक शब्द जोड़ देने से जैसे "सूटेबिल और नौलिज आफ फाइनेंस" कोई फर्क नहीं पड़ता .....

श्री जोरावर वर्मा——उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहां बोल रहे हैं।

श्री शिवनारायण——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जब तक पाइंट आफ आर्डर न हो तब तक किसी को बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर करता हूं। जो मैंने पिछला संशोधन रखा था यह उसकी बात करते हैं और जो प्रस्तुत संशोधन है उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें।

श्री शिवनारायण——जी हां, अभी राजनारायण जी ने कहा कि उपमंत्री, शिक्षा मंत्री मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री जोड़ दिये जायं। तो मैंने उसी बीच में कहा था कि विरोधी दल का नेता भी जोड़ दिया जाय उसमें। मैं कहता हूं कि आटोनौमी यही लोग छीनते हैं, हम नहीं। मैं तो ईमानदारी से जहां पर हूं वहीं रहना चाहता हूं। मैं विश्वासघाती नहीं हूं, मैं मुनासिब बात कहना चाहता हूं क न खोल कर सुन लें उधर वाले सब लोग कि मैं अपने राइट्स और ड्यूटीज को अच्छी तरह से समझता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री सीताराम शुक्ल का नाम पुकारा)

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——मैं अब एक माननीय सदस्य को अवसर दे चुका हूं। अब इसके बाद प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यहां आया था तो मेरा विचार इस वक्त बोलने का नहीं था। लेकिन कुछ भाषणों के सुनने के बाद मुझे दुख हुआ और दुख के साथ मजबूर होना पड़ा कि चन्द शब्द में भी युनिवर्सिटी के बारे में व्यक्त करूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक यह बात थी कि ट्रेजरर उसको बनाया जाय जो प्रभावशाली हो, जिसको बनाने से कुछ पैसा, रुपया इकट्ठा हो और काम चल सके। हर एक संस्था यह कोशिश करती है कि ट्रेजरर उसको बनायें जो पैसा ला सके, प्रभावशाली हो। आज यह देख कर ताज्जुब हुआ कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि ट्रेजरर वह न बनाया जाय जो प्रभावशाली हो। अगर यह कहा जाता कि यह रीजन दिया जाता कि मिनिस्टर्स के पास ज्यादा काम रहता है, उन पर रहम करने के लिये जरूरत है कि उनसे यह काम न लिया जाय तब तो कुछ समझ में आने लायक और सिद्धांत की बात भी थी। मगर यहां तो यह कहा जा रहा है कि मिसयूज होगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुरुपयोग होगा, पारटीबाजी होगी, इसलिये इनको न आने दिया जाय। मैं आपके द्वारा विरोधी वृन्द से अर्ज करता हूं कि आज तो राजनीति बहुत दूर तक चली गई है। राजनीति से अलग होना बहुत मुश्किल हो रहा है। माफ कीजियेगा, जब तक राजनीति का असर नहीं होता है तब तक लड़के का नाम तक नहीं लिखा जाता है अस्पताल में भरती नहीं होती है। कहां तक भागियेगा राजनीति से। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि देखना यह चाहिये कि इनके होने से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर यह होता कि पैसा नहीं मिलेगा तो तब तो मैं कहता कि हां ठीक है, इ को नहीं रहना चाहिये। पक्ष और विपक्ष में केवल इतना ही बोलना है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपकी उदारता का दुरुपयोग कितना यहां होता है। मैं मानता हूं कि विरोधी वृन्द के चन्द साहबान अपना सन्तुलन खो बैठते हैं, प्वाइन्ट से बाहर, स्तर के नीचे बात करते हैं, लेकिन मुझे शिकायत है अपनी बेंच से, खल कहा जाय किसी माननीय मेम्बर को, इसी हाउस के और यह उम्मीद की जाय कि उधर से ऐसा नहीं कहा जाय, यह नामुनकिन है, मुझे शर्म है, मुझे लज्जा आती है। हमको अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिये। यह बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जोर बहुत है, हम जिधर चहेंगे उधर पास करा लेंगे। यह कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यह है कि विरोधी हमारे साथ हो जायं, वह हमारी बात समझ लें और उसे मान लें। हम उसको बतलायें कि तुम्हारा रास्ता गलत है। तुम भलाई करना चाहते हो और हम भी भलाई करना चाहते हैं। यह तभी होगा जब कि हमारे शब्द मीठे हों। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण---मैं माननीय सीताराम जी को बताना चाहता हूं कि खल शब्द मैंने इसलिये नहीं प्रयोग किया था, बल्कि मैंने तो कहा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि उनको बन्दना की जाती है, तो वह तो उनका कोटेशन था।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि जिस उद्देश्य से मैंने अपना संशोधन रखा था उस पर प्रकाश न डाल करके कुछ माननीय सदस्यों ने पार्टी पालिटिक्स में पड़कर दोनों ओर से संभवतः इस पर बहस की गई और इस संशोधन को छोड़ करके पार्टी पालिटिक्स का अखाड़ा इसकोब नाकर के न जाने कितनी गन्दी-गन्दी बातें कही गईं। मुझे उसका बड़ा अफसोस है। यद्यपि मैं उन बातों का, जो उधर से कही गई हैं, जवाब देना तो नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं उन बातों का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ अ.र बिलो डिगनिटी समझता हूं, मगर फिर भी जो बातें कई गईं उन पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिसका राजनीति से संबंध हो, इसका अर्थ यह है कि वह युनिवर्सिटी में जायगा ही नहीं। तो या तो वह यह चाहते हैं कि या तो उसमें वह जायं ही नहीं और अगर वहां जायं तो युनिवर्सिटी का गला दबाकर के, खुद मालिक बन बैठें। यह इस तरह से दोनों ओर चर्मसीमा की बातें मेरो कुछ समझ में नहीं आता है। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पढ़िये, मूथम कमेटी की रिपोर्ट पढ़िये, सब में यही है— फाइनेंसिंग डज नाट मीन स्टेट कंट्रोल (आर्थिक सहायता का अर्थ राज्य कंट्रोल नहीं है) अगर गवर्नमेंट हेल्प (मदद) करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह यूनिवर्सिटी पर पूरा कंट्रोल कर ले। उन्होंने फिर भी कहा कि पालिटिक्स राजनीति से कोई आजकल बच नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपनी बात को अपने आप ही काटते जाते हैं। इधर यह कहते हैं कि कोई पालिटिक्स से छूट। नहीं है और उधर यह भी कहते हैं कि टीचर पालिटीशियन जो हैं वह युनिवर्सिटी को खराब किये हुये हैं। इसीलिये हम (सरकार) यह संशोधन लाये हैं। ठीक है, मंत्री जी यह कह सकते हैं। क्योंकि सम थ को नहिं दोष गुसाईं। उनकी इस समय पोजीशन ऐसी ही है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि वे अगर युनिवर्सिटी में ट्रेजरर न बने तो हम कहां से आदमी लावें। उनके कहने का मतलब यह निकलता है कि इस वक्त जो आदमी गवर्नमेंट में हैं, जो शासन का आसन ग्रहण किये हुये हैं वही अच्छे हैं और बाकी सब अयोग्य हैं। मंत्री जी अच्छा तमगा सबको दे दिया। एक अच्छा सर्टीफिकेट दे दिया कि जो ग्रेनकेन प्रकारेण। गवर्नमेंट की कुरसी कर बैठ गये, किसी भी तरह कुरसी पर विराजमान

[श्री जोरावर वर्मा]

हो गये, वही तो सिर्फ अच्छे रह गये और बाकी जो ऐसा नहीं कर सके, वे सब बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, क्या बढ़िया दलील है। उन्होंने कहा उपाध्यक्ष महोदय कि मूथम कमेटी यह कहती है कि हमारा कंट्रोल यूनिवर्सिटी पर होना चाहिये मैं भी कहता हूं कि सरकार को उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहिये, लेकिन कहां तक मूथम कमेटी कहती है कि गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का संबंध पार्टनरशिप (साझादारी) का होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि उनको मास्टर और यूनिवर्सिटी को नौकर बना दिया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि जब श्रीमान् जी जावें और अगर वेलकम एड्रेस हो गया तो रुपया दे दिया और यदि वेलकम (स्वागत) न किया जाये तो जो कुछ मिल रहा है वह भी रोक दिया जाय। मूथम कमेटी ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के द्वारा ही यूनिवर्सिटीज को रुपया देना चाहिये। यह यूनिवर्सिटी और शिक्षा दोनों के लिये बड़ा निकृष्ट तरीका है कि किसी पदाधिकारी को वेलकम एड्रेस (मानपत्र) देकर हम रुपया लें। हमारे माननीय शुक्ल जी ने कहा है कि इससे क्या मतलब है कि मिनिस्टर हैं या पदाधिकारी, हमको तो रुपया लेने से मतलब है। तो यह उनका दोष नहीं है। उनका तो संबंध ही ऐसे वर्ग से जो यह समझता है कि रुपया ही सब कुछ है और उसी से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। राधाकृष्णन कमीशन ने साफ कहा है कि अभी तक यूनिवर्सिटी मसीनरी की तरह सरकार का काम करती थी। जैसा बृटिश सरकार चाहती थी कि उनको क्लर्क या आफिस में काम करने वाले मिल जावें, तो इस भावना को सभी विद्वान बदलना चाहते हैं। अब तो स्टेट को इन्टरमीडियरी बीच की, भावना को अख्तियार कर अपना लेना चाहिये न तो सरकार को यूनिवर्सिटीज की ओर से बिलकुल उदासीन ही होना चाहिये और न इतना कंट्रोल ही उन पर करना चाहिये कि विश्वविद्यालय के कार्यकर्त्ताओं का हगना मूतना ही बन्द हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह भी कहा है कि ओहदेदार होकर सेवा अच्छी अधिक हो सकती है। जिस समय स्टुडेंट मूवमेंट (विद्यार्थी आन्दोलन) पर बातचीत चली तो मैंने गुप्ता जी की बहुत तारीफ की थी और उन्होंने जो सेवायें लखनऊ यूनिवर्सिटी की हैं उनको डिनाई (इन्कार) नहीं किया जा सकता। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सेवा पदाधिकारी हो कर ही की जा सकती है। मैं आपकी आज्ञा से गांधी जी की ओर उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। माननीय पंत जी या गुप्ता जी या जो सज्जन यूनिवर्सिटी की सेवा करना चाहें वह हर सूरत से कर सकते हैं। शायद वे गांधी जी के परमअनुयायी होकर अब इस बात को भूल गये हैं कि गांधी जी कांग्रेस के ४ आना के मेम्बर भी नहीं थे लेकिन उन्होंने जो लीड (नेतृत्व) देश को दी वह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय गवर्नर जनरल और प्रधान मिनिस्टर आदि के तमाम पद गांधी जी के सामने थे, परन्तु उन्होंने एक को भी ग्रहण नहीं किया। तो क्या इसका यह मतलब है कि जो कुछ गांधी जी ने किया वह सब मटियामेट हो गया? क्या अब यही है कि अगर हमें कुछ पद मिल जाय तभी हम यूनिवरसिटी में जावेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज को पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठने का अवसर दिया जाय। अगर पार्टी पालिटिक्स को इस संशोधन में न लाया गया होता तो शायद मैं अपने संशोधन को ही वापस ले लेता। उनके कोआपरेशन के और भी तरीके हो सकते हैं। मैं आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन कमीशन के सामने जिन लोगों ने गवाही दी है उसका कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं। श्री प्रद्युमन जोशी जी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिये रास्ता बन्द नहीं है। लेकिन एनकेन प्रकारेण उसमें जबरदस्ती टांग अड़ाना, वहां जाकर अपनी पोलिटिक्स को ठूंस देना या दूर की कौड़ी फेंकना यूनिवर्सिटीज के हक में ठीक नहीं है। यद्यपि वह सेवा करना चाहते हैं तो उसके अनेक रास्ते हैं और हो सकते हैं मैं आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के वाल्यूम सैकिंड, भाग १ में से यह पढ़ देना चाहता जैसा कि जोशी जी ने कहा है

"We need not deny that there are and may be public men whose association with the universities might prove of considerable advantage but the

invitation should be from the universities rather than a result of their own ambitions. To me it is a matter of great regret that in some cases at least it appears that men holding positions outside the university life whose association, is welcome in other ways have been actually making a cat's paw of the differences that exist among the body of teachers."

उपाध्यक्ष महोदय, जिनको सेवा करना है उनके लिये मार्ग खुला हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं बतला रहा हूं। हमारे पूज्य बापू ने अपने जीवन का बलिदान कर यही आदर्श उपस्थित किया है लेकिन कोई पद ग्रहण नहीं किया। यह उन्होंने अनूठा आदर्श उपस्थित किया है। यदि वह (मंत्री या पदाधिकारी) सेवा करना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह कोई पद ही ग्रहण करें। ट्रेजरर हो जायं या वाइस-चांसलर हो जायं तभी वह सेवा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई पदाधिकारी हो तभी रुपया दिया जायगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

अन्त में मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय हाइएस्ट स्टैंडर्ड मेन्टेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब राजनारायण जी बोलते हैं तो वह समझते हैं कि उसी स्टैंडर्ड के साथ वह भी आगे हो जायं और इस बहती गंगा में किसी न किसी प्रकार हाथ धो लें ताकि वह राजनारायण जी से पीछे न रह जायं। मैं उनसे कहता हूं कि आप स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हैं। आप तो अपने उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिये। जिसकी रोज दोहाई देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही छोटा सा संशोधन था। लेकिन जिह तरह से पार्टी पोलिटिक्स की बात को लाकर बहस को बढ़ाया गया है वह ठीक नहीं जंचा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इसका अर्थ तो बहुत ही स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि उनके संशोधन पर जो संशोधन माननीय राज नारायण जी ने पेश किया वह उन्हें स्वीकार है या नहीं?

श्री जोरावर वर्मा—अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करें तो मैं उनके संशोधन को स्वीकार करूं। अगर वह मेरे संशोधन को स्वीकार न करें तो मेरे स्वीकार करने से लाभ ही क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मुझे पहले माननीय राज नारायण जी का संशोधन पेश करना होगा क्योंकि माननीय सदस्य ने उसको स्वीकार नहीं किया है।

प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नई धारा 13 की उपधारा (1) के भाग (1—A) में श्री जोरावर वर्मा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के साथ यह शब्द जोड़ दिये जायं:—

"Or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नई धारा की 12 उपधारा (1) के भाग (1—A) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:—

"Provided that he shall not be a fully or partly paid employee of the Government or a member of the Cabinet".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित नई धारा 13 की उपधारा (1) के भाग (1—c) की पंक्ति ४ के अंतिम शब्द 'may' के स्थान पर शब्द 'shall' रख दिया जाय।

* वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

श्रीमन्, इस नई धारा १३ में ट्रेजरर के अपाइंटमेंट के बारे में प्राविजन्स हैं और यह कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नाम या तीन से कम चांसलर के पास भेजेगी और उनमें से चांसलर किसी एक को नियुक्त कर देंगे यानी यह कोई प्राविजन नहीं है कि यदि चांसलर ने अगर उनमें से किसी को नियुक्त नहीं किया तो फिर क्या स्टैप लिया जायगा। इसका कोई जिक्र इस विधेयक में नहीं है। इसके पहले खंड ८ में जो प्रस्तावित नयी धारा ११ है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि अगर पहली दफा ३ नाम आने पर उनमें से किसी को भी चांसलर महोदय नियुक्त करना मुनासिब नहीं समझते तो वह पुनः वापस लौटा देंगे उन तीनों नामों को ताकि उन पर विचार कर के फिर से एक्जीक्यूटिव कौंसिल भेजे। इसलिये पहले जो शब्दावली है उसमें 'मे' का शब्द है। नयी धारा ११ की उपधारा (६) इस तरह से है

"On receipt of the recommendation under clause (b) of sub-section 5 the Chancellor may in his discretion (*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council."

लेकिन अगर वह उनमें से किसी को भी नियुक्त करना नहीं चाहता तो वह वापस कर देगा और दोबारा जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नाम भेजती है तो उस वक्त उसके लिये अनिवार्य हो जाता है कि उन्हीं तीन नामों में से किसी को नियुक्त करे जैसा उपधारा (७) के क्लाज (B) में है।

"To recommend to the Chancellor in case it is unable to decide unanimously the name of any person the names previously recommended by it or any names not exceeding three in number decided in the manner laid down in sub-section (5) and the Chancellor shall appoint any one out of the names so recommended."

तो अगर 'मे' का शब्द लाकर उनको कोई डिस्क्रीशन दिया जाय तो उस सूरत में क्या होगा। इसलिये यहां पर "शैल" का शब्द रखा गया है। अब आप देखेंगे कि जो खंड हमारे सामने है धारा १३ इसमें जो बात कही गयी है उसमें सिर्फ इतनी बात है कि तीन नाम ट्रेजरर के लिये चांसलर के पास भेजे जायगे और उनमें से किसी न किसी को उन्हें नियुक्त करना है। लेकिन अगर वह किसी को भी नियुक्त नहीं करते तो फिर कौन सा स्टैप लिया जायगा इसके लिये यह विधेयक बिल्कुल खामोश है। इसलिये इसके माने यह समझे जा सकते हैं कि उन्हीं तीन में से वह नियुक्त करे। इसलिये यहां पर "शैल" शब्द का रखना बिल्कुल उचित है।

श्री हरगोविंदसिंह—मुझे इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 'मे' का भी मतलब "शैल" ही है लेकिन अगर वह "शैल" लाना चाहें तो बदल दें लेकिन उस सूरत में "शब्द" एनी जो बाद में आया है वह निकल जायगा। यानी जो कांसीक्वेन्शल अमेंडमेंट शब्दावली में करना आवश्यक होगा वह भी होगा। वैसे ला में मे और शैल का जहां इस्तेमाल होता है और जहां डिस्क्रीशन एक्सरसाइज करने की बात होती है वहां 'मे' हो तो डिस्क्रीशनरी होता है और जहां ऐसी बात नहीं होती है वहां 'मे' के माने "शैल" होते हैं। इसी वजह से यहां 'मे' रखा गया है लेकिन अगर वह "शैल" चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तो कहा नहीं।

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने बहुत स्पष्ट कहा। मैंने कहा कि अगर "शैल" होगा तो उसके साथ ही साथ पीछे वाली शब्दावली को भी बदलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (1) के भाग (1—C) की पंक्ति ४ के अंतिम शब्द 'may' के स्थान पर शब्द, 'shall' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल मुईज खां—उपाध्यक्ष महोदय इसमें एक शाब्दिक संशोधन और मूव कर दूं कि उसमें से "any" शब्द निकाल दिया जाय ।

यह शाब्दिक संशोधन, किसी किस्म का मौलिक परिवर्तन नहीं है इसकी लैंगुएज ठीक हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नई धारा 13 की उपधारा (1) के उपखंड (I-c) की पांचवी पंक्ति में से शब्द "any" निकाल दिया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :

खंड १० में प्रस्तावित नई धारा 13 की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द "years" के बाद से पंक्ति ४ में शब्द "appointed" तक के कुल शब्दों के स्थान पर शब्द " but he shall not be eligible for re-election " रख दिये जायं ।

मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि चूंकि वाइसचांसलर के लिये भी समय नियत हो चुका है कि वह ५ साल से अधिक नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि ट्रेजरर (कोषाध्यक्ष) के लिये भी समय निर्धारित कर दिया जाय क्योंकि, जैसी लोगों की ऐसी धारणा है और जैसा कि मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का कोटेशन (उद्धरण) देकर जो उन्होंने राधाकृष्णन कमीशन के सामने अपना वक्तव्य दिया था, उसको पढ़ कर सुनाया था, तो मैं यह समझता हूं कि उससे लोगों को ऐसी संभावना है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर इसमें टाइम लिमिट न किया जाय तो किसी विशेष व्यक्ति की युनिवर्सिटी मोनोपोली न हो जाय ट्रैजररशिप के द्वारा ? कहीं वह अपनी महंती का ढंग न कर ले, महन्त बन कर न बैठ जाय, जोकि डेमोक्रेसी के प्रतिकूल होगा ।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि जहां वाइस-चांसलर के लिये समय निर्धारित है, वहां मेरा यह संशोधन भी मान लिया जाय कि ट्रैजरर ६ साल के लिये ही होगा । उसका रिएलेक्शन नहीं होगा, दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे छोटे से संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर के लिये समय सीमित करने का उद्देश्य यही था कि दुबारा चुनाव होने पर व्यक्तिगत आधार पर यूनिवर्सिटी में पार्टी-बन्दी होने का अन्देशा है । इसलिये किसी व्यक्ति विशेष पर कोई लांछन या इशारा न करते हुए हमें वही सिद्धांत ट्रेजरर के चुनाव में लागू करना चाहिये । मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर ट्रेजर और वाइस-चांसलर के बीच में इस प्रकार एक असंगत सा व्यवहार करना कहां तक उचित है विशेषतया जब कि हम यह चाहते हैं इस संशोधक विधेयक के द्वारा कि कोषाध्यक्ष की ताकत को बढ़ा दिया जाय, उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी जाय, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सेटअप में उसे एक महत्व का स्थान दिया जाय और साथ ही साथ उसे आर्थिक शक्ति भी दी जाय और एक प्रकार से बजट के ऊपर उसका कंट्रोल होगा । आप जानते हैं श्रीमन् कि किसी विश्व-विद्यालय की आर्थिक समस्या कितने महत्व की होती है और उसका नेतृत्व कोषाध्यक्ष करेगा । तो उसके लिये ऐसा कोषाध्यक्ष होना चाहिये जो दलबन्दी की भावना से पक्षातीत हो । एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिये कोषाध्यक्ष का चुनाव जहां कि वह समझते हैं कि दलबन्दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है वहां ट्रेजरर को ६ साल से अधिक का समय दिया जाना या रिएप्वाइंट होने की गुंजाइश होना इस बात को अवसर देता है, भले ही वाइस चांसलर दलबन्दी न करे कि कोई भी ट्रेजरर अगर चाहे तो वह पार्टीबन्दी में पड़ सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी को फाइनेन्शियल आटोनामी की रक्षा के लिये या यूनीवर्सिटी की आटोनामी की रक्षा के लिये जो सिद्धांत वाइस-चांसलर के चुनाव में स्वीकार किया गया है उसी को ट्रेजरर के चुनाव में भी अंगीकार किया जाना चाहिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मुझे इस संशोधन का विरोध करना है। उसका कारण यह है कि ट्रेजरर का जो पद है वह अवैतनिक है और इस कारण मैं समझता हूं जब कि वह प्योरली सर्विस के ख्याल से वह नियुक्ति होगी तो ट्रेजरर पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाना गलत होगा और इस कारण से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया यह ठीक है कि ट्रेजरर अवैतनिक है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इसी तरह का एक संशोधन मेरा आगे जाने वाला है और मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ट्रेजरर की नियुक्ति ६ साल से अधिक नहीं होनी चाहिये। मेरा यह कहने का जो विशेष अर्थ है वह यह है कि जहां तक मैं समझ सका हूं और जैसा मुझे मालूम भी हुआ है किसी एक व्यक्ति का वहां ६ साल से अधिक रहना उचित न होगा। वाइस-चांसलर की अवधि ५ वर्ष इसीलिये कर दी गयी है और रिइलेक्शन उसका इसलिये न हो सकेगा कि जो एक बार वहां यूनिवर्सिटी में अधिकार प्राप्त कर लेता था वह उस अधिकार को बनाये रखने के लिये वहां पर पार्टी पालिटिक्स इंट्रोड्यूस (राजनीति का श्रीगणेश) कर देता था। अब और अधिक न कहकर ट्रेजरर के लिये भी मैं यही बात कह सकता हूं कि वहां अधिक समय तक रहने पर वह इस प्रकार की पार्टी पालिटिक्स ला सकता है जो यूनिवर्सिटी के लिये भी लाभदायक न होगी फिर एक ही आदमी का वहां जमा रहना प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ भी है। एक आदमी जब तक जिन्दा है, तब तक वहां डटा रहे और दूसरे आदमी को सेवा करने का अवसर भी न मिले और इससे यह समझ लिया जाय कि वही सर्वश्रेष्ठ आदमी है। तो यह भी प्रजातांत्रिक उसूलों के खिलाफ है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन जो इन्नोसेंट है और प्रजातांत्रिक उसूलों के अनुकूल है, स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्दसिंह—मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। जैसा मैंने कहा कि यह अवैतनिक है, इसलिये स्थानीय आदमी ही ट्रेजरर हो सकता है। कोई आदमी बाहर से जाकर वहां रहकर अपने घर से खर्चा करके ट्रेजररशिप नहीं करेगा। तो स्थानीय आदमी ही अपने ऊपर ऐसा कार्य ले सकता है। तो उसके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना कि वह दोबारा रिइलेक्शन में न आ सके यह ठीक न होगा! इसी कारण मुझे इसका विरोध है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द 'years' के बाद से पंक्ति ४ में शब्द 'appointed' तक के कुल शब्दों के स्थान पर शब्द 'but he shall not be eligible for re-election' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (2) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'as may be prescribed by the statutes' के स्थान पर शब्द 'as the Executive Council shall deem fit' रख दिये जायं।

श्रीमान्, जो शब्द मैं इस संशोधन के जरिये रख रहा हूं वही शब्द पुराने ऐक्ट में भी रखे हुए हैं। अगर इन शब्दों को यहां से नहीं हटाया जाता है तो स्टेट्यूट में जो भी प्राविजन होगा वही मान लिया जायगा। इससे कुछ लोगों को आशंका हो सकती है क्योंकि वह अनलिमिटेड समय के लिये है उसे किस प्रकार से अलाउन्स वगैरा उनको दिया जायगा। यह बहुत कम लोगों को मालूम हो सकेगा कि उनको क्या दिया जायगा इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा पुराने ऐक्ट में है वही मानने की कपा करें।

श्री हरगोवन्दसिंह—मुझे इस संशोधन से विरोध है।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, मैं तो पुनः उनसे निवेदन ही करूंगा कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (2) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'as may be prescribed by the statutes' के स्थान पर शब्द 'as the Executive Council shall deem fit' रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा 13 की उपधारा (4) की पंक्ति २ के शब्द 'shall' और शब्द 'manage' के बीच में शब्द 'subject to the control of the Executive Council जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, यह शब्द इतने आवश्यक हैं कि उस पुराने विधेयक में थे और वहां पर यह लिखा हुआ था कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को पावर है और उसकी आज्ञा के बिना कोई काम ऐसा न होगा और जितनी भी जायदाद यूनिवर्सिटी की है उस सब पर सारा नियंत्रण एक्जिक्यूटिव कौंसिल का होगा। एक्जिक्यूटिव कौंसिल ही सारी सम्पत्ति जो यूनिवर्सिटी की होती है उसको कंट्रोल करती है। यह पुराने ऐक्ट में भी लिखा हुआ है कि 'subject to the control of the executive council' इसलिये यहां पर ट्रेजरर को अगर हम एक्जिक्यूटिव कौंसिल की ही एक बाडी बना देंगे कि इन दोनों को अधिकार रहे तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल को भी अधिकार रहेगा और ट्रेजरार को भी अधिकार रहेगा तो इस असंगत को दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन यहां पर पेश किया है और मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां पर इस विधेयक में एक्जिक्यूटिव कौंसिल की पावर का विवरण है वहां पर आगे चलकर हम एक संशोधन इस प्रकार का स्वीकार कर रहे हैं। जिससे यह भेद नहीं रह जायगा और न कोई दिक्कत ही रह जायगी। अगर यहां पर मैनेज शब्द रह जाता है तो इससे दोनों का विरोध हो जायगा और इससे दिक्कत पैदा हो सकती है इसलिये धारा १५ में हम यह कर रहे हैं कि उसको जनरल डाइरेक्टिव्ज इश्यू करने की पावर्स होंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी मुझे यह समझा दें कि यह संशोधन जो रक्खा गया है उसके अनुसार ट्रेजरर एक्जीक्यूटिव के मातहत होगा या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—आप अगर धारा १५ के संशोधनों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें हम इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं।

"to hold and control the property and funds of the university and issue any general directives in that behalf"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री तेजप्रतापसिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं---

'खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (i) को निकाल दिया जाय ।'

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा का अभी जिक्र किया है वह इस प्रकार है---

"To ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment".

आगे चलकर खंड १५ में जो एक्जीक्यूटिव की पावर्स दी गयी हैं, उसके क्लाज ३ को भी पढ़ देना चाहता हूं, वह इस प्रकार है---

"The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the 7/8Committee of Reference."

जबकि एक्जीक्यूटिव को पावर्स दी गयी हैं वहां यह रखना कि ट्रेजरर एन्श्योर करे, यह गैर-जरूरी है । इसलिये इसको हटा देना ही उचित है ।

श्री हरगोविंदसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है क्योंकि जो रुपया खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी ट्रेजरर की होगी । मान लीजिये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी रकम को पास कर देती है और बजट के प्राविजन से ज्यादा खर्च करना चाहे तो ट्रेजरर को यह अधिकार होगा कि वह उसको पास न करे ।

श्री तेजप्रतापसिंह---जब एक्जीक्यूटिव पर प्रतिबन्ध है तब भी अगर वह उसको डिफाई कर देगी तो ट्रेजरर भी डिफाई कर सकता है । इस प्रकार से तो ट्रेजरर के बाद इसका अधिकार वाइस-चांसलर को भी होना चाहिये और क्योंकि वाइस-चांसलर भी डिफाई कर सकता है । इसलिये चांसलर को भी ऐसा अधिकार होना चाहिये । जब आप एक्जीक्यूटिव को अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही ढाल रहे हैं तो फिर उसके ऊपर पहले से ही अविश्वास करना मेरी समझ में नहीं आता । एक्जीक्यूटिव अगर डिफाई कर सकती है तो कोई भी कर सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि उस पर आप विश्वास करें क्योंकि जैसा कि अभी उसका जिक्र आयेगा आप एक्जीक्यूटिव को रिकांस्टीट्यूट कर रहे हैं ।

श्री हरगोविंदसिंह---मैं समझता हूं कि शायद मैं अपने को स्पष्ट नहीं कर पाया । अभी तक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अनुभव यही है कि उन्होंने २० लाख रुपया ऐसा खर्च कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिये था ।

इस विधेयक में इस बात का प्रबन्ध है कि जो कोई इस तरह का अनुचित खर्च करेगा उससे रुपया वसूल किया जा सकता है । एक्जीक्यूटिव कौंसिल में २०,२५ मेम्बर होंगे । वहां मेजारिटी के भी होंगे, माइनारिटी के भी होंगे, फिर प्रश्न पैदा होगा कि किससे रुपया वसूल किया जाय और किससे न वसूल किया जाय । यह पावर ट्रेजरर को इसलिये दिया गया है कि अगर ट्रेजरर बजट प्राविजन से अलग जाकर रुपया खर्च करता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और वह उससे लिया जा सकेगा । इस विधेयक में आगे चलकर एक धारा है । लेकिन अगर यहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल को भी रखा जाय तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल से लेना मुश्किल होगा । उसमें किसी ने वोट दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा । इस कारण से यह आवश्यक है कि यहां यह रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---(श्री तेजप्रतापसिंह से) क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहत हैं ?

श्री तेजप्रतापसिंह---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (i) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री तेजप्रताप सिंह ---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :---

खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (ii) की पंक्ति १ में शब्द "to disallow any expenditure" के स्थान पर शब्द "to draw the attention of the Executive Council to any intended expenditure" रख दिये जायं ।

यह खंड १० के उपखंड (५) के भाग (ii) में इस प्रकार से फिट हो जायगी :

"to draw the attention of the Executive Council to any intended expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

जो विधेयक प्रस्तुत है उसके अनुसार ट्रेजरर किसी भी खर्चे को नामंजूर कर देगा जो कि स्टेट्यूट के एगेन्स्ट जायगा या आर्डिनेंस के खिलाफ जायगा । इस विधेयक के क्लाज ३० का जो उपखंड (२) है उसमें यह रखा गया है :---

"The account when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government."

वहां ऐसा सेफगार्ड रखा गया है कि अगर किन्हीं स्टेट्यूट या आर्डिनेंस के विरुद्ध कोई खर्च होता है तो वह नोटिस में आ सकता है कोर्ट के भी और गवर्नमेंट के भी । तब यह अनावश्यक हो जाता है । दूसरे इस विधेयक के द्वारा ट्रेजरार को जो पावर दिया गया है जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में भी कहा था कि इससे डायर्की क्रिएट हो जायगी । एक्जीक्यूटिव का कुछ फैसला हो या उनके कोर्ट का कुछ फैसला हो तो उसको वह डिसएलाऊ कर सकता है । खर्च के मसले में ऐसा विश्वास करना कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल स्टेट्यूट के विरुद्ध जा सकते हैं यह सोचना अनुचित है । एक्जीक्यूटिव के लिये ट्रेजरार को एक सहायक होना चाहिये । वह एक यूनिवर्सिटी अथारिटी है । अगर वह कहे कि ऐसा खर्चा स्टेट्यूट के प्रतिकूल है तो उसकी नोटिस में लाकर वह चीज दुरुस्त करे । मेरी समझ में यह कहना कि .....

श्री हरगोविंदसिंह---खर्चा अगर हो गया है तो रुपया कहां से आवे ?

श्री तेजप्रतापसिंह---खर्चा कैसे होगा ?

श्री हरगोविंदसिंह---जैसे हो गया २० लाख ।

श्री तेजप्रतापसिंह---इसको तो आप तरमीम कर रहे हैं । इस तरीके को अगर न माना जाय, एक्जीक्यूटिव कौंसिल जैसी की बनी थी तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती थी । एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सारे मेम्बर थे, एग्जीक्यटिव कौंसिल के दूसरे बहुत से पदाधिकारी थे, इन्टरनल और एक्सटरनल मेम्बर्स का कोई प्रोपोरशन नहीं था और अब आप उसे नये सिद्धांतों पर रिकांस्टीट्यूट कर रहे हैं ताकि वह और सफलता से काम कर सके, उसमें

[श्री तेजप्रतापसिंह]

चांसलर के नामिनीज भी हैं। अगर कोई गड़बड़ी होगी और खर्च हो जायगा तो आप ने उस के लिये तो यह प्राविजन भी रखा है कि जो गलत खर्च कर जायेंगे उन से आप खर्च वसूल भी कर लेंगे। इसलिये यह सब देखते हुए ट्रेजरर को इतना पावरफुल बनाना यूनिवर्सिटी के लिये घातक होगा और यह ठीक सिद्ध नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव कौंसिल का खयाल होगा कि हम स्टेचूट के मुआफिक यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिये खर्च करने जा रहे हैं और ट्रेजरर ने सोचा कि इसको डिसएलाऊ करना चाहिये तो वह उसे डिसएलाऊ कर सकेगा। इस तरह से बड़ी मुश्किल हो जायगी और यूनिवर्सिटी का कार्य ठीक से न चल सकेगा। अगर इस तरह का विरोधाभास हुआ तो कोई सामंजस्य संचालन में नहीं रह जायगा और इस तरह से अथारिटीज की आपस के विरोध से बिना सामंजस्य के काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये मेरे संशोधन के रूप में अगर रखा जाय कि ट्रेजरर देखे कि खर्च कैसे होता है और एक्जिक्यूटिव कौंसिल के बिना नोटिस में लाये उसे डिसएलाऊ नहीं करे तब काम अच्छा चलने वाला है। आशा है कि मेरे तर्क को स्वीकार करके मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविंदसिंह—मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (ii) की पंक्ति १ में शब्द "to disallow any expenditure." के स्थान पर शब्द "to draw the attention of the Executive Council to any intended expenditure." रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नीचे लिखी तरमीम पेश करना चाहता हूं :—

खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (ii) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप में जोड़ दिया जाय :—

(iii) to attend his office regulerly in the University.

अध्यक्ष महोदय, यह तरमीम बिलकुल साफ है और सरल है। मेरा ख्याल है कि इसको मानने में माननीय शिक्षा मंत्री जी को कोई अड़चन नहीं होना चाहिये। एक साधारण सी बात है कि जो इतने बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रखा जाय वह उस आफिस को नियमित रूप से अटेन्ड करे और यूनिवर्सिटी की परिधि में रह कर काम करे न कि बहुत दूर रहकर उस को कंट्रोल करें। मैं समझता हूं कि बहुत सीधी सी यह बात है और इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि मंत्री जी इसे मानने की कृपा करें।

श्री हरगोविंदसिंह—यह तरमीम बहुत टेढ़ी है इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—(श्री झारखंडे राय के खड़े होने पर) वह टेढ़ी कहते हैं तो आप फिर सीधी कह दीजिये।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने पहले कहा था उसमें और बहुत कुछ जोड़ना नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतने इन्नोसेंट अमेंडमेंट को, इतनी बेगुनाह तरमीम को मंत्री जी ने नहीं माना। इसलिये मैं आप के द्वारा फिर मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इस तरमीम को मान लें तो अच्छा है।

श्री हरगोविंदसिंह—नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा 13 की उपधारा (5) के भाग (ii) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप में जोड़ दिया जाय :—

(iii) to attend his office regularly in the University.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १४ का संशोधन ।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Registrar 14. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor; and

(iii) the Chairman of the Public Sercive Commission Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and Common seal of the University. He shall be *ex-offfcio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference. and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

(श्री रामनरेश शुक्ल तथा श्री व्रज भूषण मिश्र के प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिये श्री शांति प्रपन्न शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या इसे उपस्थित करने की आपको रामनरेश शुक्ल जी की तरफ से इजाजत है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—जी हां, । मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 14 की उपधारा (3) की पंक्ति ५ में शब्द 'Finance Committee' तथा शब्द 'and' के बीच में शब्द 'the Selection Committee' जोड़ दिये जायं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 14 की उपधारा (3) की पंक्ति ५ में शब्द 'Finance Committee' तथा शब्द 'and' के बीच में शब्द "the selection Committee" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १६ का संशोधन ।

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) मद v के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"V. The Boards of Faculties."

(२) निम्नलिखित मद vi के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"VI. Selection Committees for the appointment of teachers"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १७ का संशोधन ।

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"the Court.

17. (1) The court shall consist of the following persons, namely:

Class I—Ex-officio members:

(i) the Chancellor,
(ii) the Vice-Chancellor,
(iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,
(iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,
(v) the Treasurer,
(v-*a*) The Director of Education,
(vi) the members of the Executive Council,
(vii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,
(viii) All Heads of Departments of teaching in the University and all Professors of the University who are not Heads of Departments,
(ix) such other persons with reference to offices held by them as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(x) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number shall at no time be more than four:

(xi) All individuals who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University.

Cass III—Other members :

(xii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic-bodies and interest as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiii) Persons nominated by associations, individuals or bodies of individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes.

(xiv) Two members of the Legislative Council of the State to be elected by it.

(xv) Five members of the Legislative Assembly of the State to be elected by it.

(xvi) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xvii) Representatives of donors other than those included in items (xi) and (xiii) .

(xviii) Representatives of teachers of the University (other than teachers included in Class I), the Wa'rdens, the Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes.

(xix) Not more than seven persons to be appointed by the Chancellor.

(2) The total number of members including the *ex-officio* but excludig the life members shall not exceed 125.

(3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.

(4) The number of membrs referred to in items (xii) to (xix) of sub-section (1), the manner of their appointment, election and nomination andtheir tenure shall, save as otherwise provided

in this section, be prescribed by the Statutes.

(5) The Court may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस बड़े संशोधन को पढ़िये नहीं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसको वैसे ही उपस्थित किया माना जाय ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

*"*The Court*. 17. (1) The Court shall consist of the following persons namely:

Internal Members

Class I—Ex-Officio members

(i) The Chancellor.
(ii) The Vice-Chancellor.
(iii) The Treasurer.
(iv) The Deans:

Provided that in case there are more an four Deans, membership shall be four by rotatio in the manner prescribed by the Statutes.

(v) Heads of Departments other than Deans.

Provided that in case there are more than seventeen Heads of Departments, membership shall be seventeen by rotation in the manner prescribed by the Statutes.

(vi) Librarian.
(vii) The Dean of students.
(viii) Principals of Colleges and Associated Colleges.

Provided that in case there are more Colleges and Associated Colleges, membership shall be six by rotation in the manner prescribed by the statutes.

(ix) The Warden of the Sarojini Naidu Hostel:

Provided that in case at any time there are more than one women's hostels, membership shall be one by rotation in the manner prescribed by the Statutes.

(x) A Warden by the University hostels by rotation.
(xi) A Warden of the approved hostels by rotation.
(xii) The Chairman of the Delegacy.

Class II—Other members

(xiii) Twenty-one teachers other than the Heads of Departments from each department by rotation for one year.

External Members

Class III—Ex-Officio members

(xiv) The Vice-Chancellors of other Universities in the Uttar Pradesh.
(xv) The Director of Education, Uttar Pradesh.
(xvi) The Director of Agriculture, Uttar Pradesh.
(xvii) The Assistant Directress of Women's Education, Uttar Pradesh.
(xviii) The Chairman, Public Service Commission, Uttar Pradesh.

---

*श्री अध्यक्ष की आज्ञा से संशोधन सदन में नहीं पढ़ा गया था ।

(xix) The Advocate-General, Uttar Predesh.

(xx) The Accountant-General, Uttar Pradesh.

(xxi) The Bishops, Lucknow and Allahabad by rotation.

(xxii) The Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad.

Class IV—Life Members

(xxiii) Such members as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number shall at no time be more than three.

(xxiv) Five existing persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purpose of the University.

Class V —Other Members

(xxv) Fifteen representatives of the Registered Graduates of the University elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(xxvi) Three persons nominated by learned societies and technical institutions as may be prescribed by Statute, including—

(*a*) The Drug Research Institute, Lucknow.

(*b*) The Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur.

(*c*) The Scientific Research Committee, Uttar-Pradesh.

(xxvii) Three persons nominated by industrial and commercial bodies as may be prescribed by Statute, including—

(*a*) The Uttar Pradesh Chamber of Commerce

(*b*) The Upper India Chamber of Commerce,

(*c*) The Merchants Chamber of Commerce.

(xxviii) Not more than five representatives of donors elected from their own number.

(xxix) Seven nominees of the Chancellor:

Provided that the Chancellor will, in the exercise of his discretion, secure on the Court the representation of minorities not otherwise represented.

(2) Members except *ex-officio* members and where otherwise stated, should hold office for three years."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह पढ़ा नहीं जायगा तो शायद इसको कुछ लोग समझ न पायें। शायद यह प्रोसीडिंग्स में भी नहीं चढ़ेगा। (ट्रेजरी बेंचेज से आवाजें—इसको पढ़ा हुआ समझ लिया जाय।)

श्री अध्यक्ष—प्रोसीडिंग्ज में तो आ ही जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—तो फिर मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो अभी मत लेने के समय पढ़ ही दूंगा ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह कंस्ट्रक्शन आफ दि कोर्ट से संबंधित है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि अगर इस बिल को देखा जाय तो मूथम कमेटी रिपोर्ट ही इसकी आधारशिला है । वही इसका उद्गम स्थान है इसकी माईबाप या जो चाहे कहिये वही है । यह जो संशोधन है उसमें मैंने बहुत थोड़ी मेहनत की है। क्योंकि मूथम कमेटी रिपोर्ट के पेज १६० से १६१ तथा १६२ तक भी कुछ पहुंच गया है उसमें इसी प्रकार की बात रखी गयी है केवल थोड़ा सा मैंने तरमीम किया है । ऐसा मैंने क्यों किया है वही मैं बताना चाहूंगा इस भवन के सामने रखूं । हमारी सरकार भी और उधर के मेम्बर्स भी यही कहते हैं कि मूथम कमेटी और राधाकृष्णन् कमीशन के आधार पर ही यह संशोधन किया गया है पता नहीं अध्यक्ष महोदय, इधर के लोग क्यों उनको दोष देते हैं । यह तो मूथम कमेटी ने भी माना है कि १०५ आदमी कोर्ट में होने चाहिये । दूसरे पैरिटी का भी प्रश्न है । जिसे हमें ध्यान में रखना है यानी एक्सटर्नल और इंटर्नल मेम्बर्स जो हैं उनका इस तरह से डिवीजन होना चाहिये कि इनटर्नल मेम्बर्स जो हैं वह कोर्ट में कुछ ज्यादा होना चाहिये और एक्सटर्नल मेम्बर्स कुछ कम होने चाहिये इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के पेज ४२४ पर इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:—

"46. Senate (Court) . The total number should not exceed 100. Our witnesses are practically unanimous that a body larger than 100 cannot fulfil its proper function. The Senate should be more or less equally divided between internal and external members. The best way for a university to determine the size of its Senate is (i) to decide how many members of the staff there are who should be given seats by virtue of their position and (ii) to prescribe an approximately equal number of external members.

यह राधाकृष्णन् कमीशन की राय है कि सिनेट का कांस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिये । इंटरनल और एक्सटरनल (भीतरी और बाहरी) मेम्बर्स करीब करीब बराबर होने चाहिये । अगर माननीय मंत्री जी के संशोधन को हम देखें और पुराने ऐक्ट को साथ में ले लिया जाय तो उनके हिसाब से पहले के कोर्ट में १७५ सदस्य होते थे और उसमें उनके अनुसार घपलेबाजी होती थी । उनका कहना है कि पहले ज्यादातर टीचर्स वहां आते थे और टीचर पालिटिशियन्स को वहां अच्छा पार्ट प्ले करने का मौका मिल जाता था । मूथम कमेटी रिपोर्ट में कोर्ट के बारे में कहा है कि मेम्बरों की तादाद १०५ होनी चाहिये । राधाकृष्णन् कमीशन की राय है कि कुल सदस्यों की संख्या १०० होनी चाहिये । इस संशोधित अमेंडिंग बिल में कहा गया है कि मेम्बर्स की तादाद १२५ होनी चाहिये । लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर इसको ठीक से देखा जाय तो इसकी तादाद करोड़ों तक पहुंच सकती है । लास्ट में इसको आप पढ़ें तो दिया है कि :

"The total number of membrs including the *ex-officio* but excluding the life members shall not exceed 125."

अध्यक्ष महोदय, इससे यह बिलकुल साफ है कि यह लाइफ मेम्बर्स को छोड़ कर और सब सदस्यों की संख्या १२५ होगी । लाइफ मेम्बर्स के बारे में खंड १३ की १७ धारा के प्रथम खंड का १० इस प्रकार है ।

"Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number (in the Court) shall at no time be more than four."

यह तो शिक्षा शास्त्रियों के लिये है जो ठीक रहा। अब दूसरा खंड ११ देखिये।

"All (persons) individuals who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University."

इसमें यह जो बात, दानदाताओं की अपार संख्या, आ गयी है इसी से मुझे परेशानी है। क्योंकि अगर भगवान भी आना चाहें तो उनको भी इसमें अपना दान देकर नाम लिखाने में सरलता पड़ जायगी। मंत्री जी ने दिखाने के लिये तो यह रख दिया कि कोर्ट में १२५ से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस हिसाब से आप हर एक से २०,००० रुपया तो दिलवा ही देंगे।

श्री जोरावर वर्मा—जी हां, यह तो ठीक है लेकिन मैं इसी के लिये इसका विरोध करना चाहता हूं। राधाकृष्णन कमीशन तथा और देश के जितने विद्वान् लोग हैं वे समझते हैं कि संसार में रुपया ही सब कुछ नहीं है। रुपये के बल पर यूनिवर्सिटी पर नाजायज रूप से कब्जा कर लें या उस पर अपने हाथ जमा लें यह अधिक उपयुक्त नहीं है। दानदाता इसको परचेज न कर लें, इसको मोल न ले लें और उसमें अपनी मनमानी न करने लगें यह मेरे संशोधन की भावना है। राधाकृष्णन कमीशन ने साफ कहा है कि डोनर्स दान दाताओं की संख्या ५ रहनी चाहिये। मैं डोनर्स के बारे में उनकी राय पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"(*b*) The donors should elect from among their own members not more than five.

NOTE :—The donor even of the largest sum should not have the right as an individual to a seat on the Senate, still less should he have the right to nominate some one else to a seat. Without doubt a conspicuously generous donor and friend of a university would be placed on the Senate, either by the donors or by co-option or as a nominee of the Chancellor. But there is danger, if donations of a certain size, carry with them an automatic seat on the Senate, that the balance of Senate membership may be distorted, or in extreme cases that a group could buy up the control of a university. The sum entitling donors to a vote at some universities has become under present conditions much too small. Only donations of two thousand rupees or more should entitle to a vote for the donor's constituency. Donors of one lakh or more should become Honorary Fellows of the University."

यह राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि अगर इसकी लिमिट न की गई, जैसी की मंत्री जी ने कोई सीमा नहीं की, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि जो डीनर्स हैं वह यूनिवर्सिटी को परचेज (खरीद) कर सकते हैं और वास्तव में जो हमारी गवर्नमेंट की पालिसी (नीति) होगी वह उसमें कैरी आउट (पूर्ण) नहीं होगी, क्योंकि उनका वहां पर कंट्रोल होगा जैसा कि ट्रैजरर के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय मैं, आपकी आज्ञा से मूथम कमेटी की राय पढ़ देना चाहता हूं:—

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री जोरावर वर्मा—मैं डीनर्स के बारे में बता रहा था जैसा कि मूथम कमेटी ने कहा है:—

"But that no donor, however large his gift, should ipso-facto be entitled to be a member of the court." यह मूथम कमेटी की राय हुई। उनके कथनानुसार वह इप्सो-फैक्टो मेम्बर उसके न हों। अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मैंने इस लिये पढ़ी कि मैं मंत्री जी के मुकाबिले में बहुत छोटा आदमी हूं। जो कुछ कहता हूं

[श्री जोरावर वर्मा]

अपनी विद्याबुद्धि के अनुसार कहता हूं। लेकिन ये उदाहरण यहां इस लिये रख दिये कि मंत्री जी ने जिनको आधार माने हैं उनकी क्या राय है। मैं पैरिटी के बारे में भी बता चुका हूं। मूथम कमेटी ने कहा है कि इलाहाबाद और लखनऊ के बिशप नहीं होने चाहिये। यह हम सभी जानते हैं कि चर्च ने क्या सेवा शिक्षा में की है, उससे सभी परिचित हैं। इसलिये मैंने इतना संशोधन कर दिया है कि एक ही बिशप बाई रोटेशन रहे। बजाय दो के जैसा मूथम कमेटी ने प्रस्तावित किया है। अध्यक्ष महोदय, एक और संशोधन है उसमें एक बात है वह यह कि लेजिस्लेटर्स मेरी राय में कोर्ट न हों। अभी तक जितने लोगों के भाषण हुए उनसे यही प्रकट होता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट एतकेन प्रकारेण यूनिवर्सिटी में अपना आधिपत्य करके उसमें कुछ गड़बड़ करना चाहती है और इसलिये लोगों का कहना है कि अगर लेजिस्लेटर्स यूनिवर्सिटी में होंगे तो वह वही होंगे जिनका दल यहां बहुमत में होगा, यानी सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसलिये मैं अपने लेजिस्लेटर्स से चाहूंगा कि वह भी नामिनेशन्स के द्वारा न जायं। बल्कि अगर वे यूनिवर्सिटी की कुछ सेवा करना चाहते हैं तो वे किसी दूसरी तरह से सेवा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लाइफ़ (आजीवन) मेम्बर्स के बारे में मैंने कुछ प्रोवीजन रखा है जो मूथम कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है और वह इसलिये रखा है कि स्टेटस कोआ बना रहे। जो पुराना ऐक्ट है उसमें कुछ मेम्बर्स ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी ने आलरेडी ऐसा मान लिया है कि यह सदस्य लाइफ़ मेम्बर्स होंगे। तीन वे हैं जो एकेडेशियन्स हैं और पांच वे हैं जो डीनर्स हैं। मैंने इस लिये इनको रखा है कि हम कोई ऐसा ऐक्ट नहीं लाना चाहते हैं कि जिसके पुराने अधिनियम अधिकार दिये हुये हैं उसमें कुछ विशेष फर्क पड़ जाय जिनमें हम उनको उन अधिकारों से वंचित कर दें तो मैं इतनी हद तक मूथम कमेटी से डिफ़र किये हूं और इतने मेम्बर बढ़ा दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जिस समय मैंने संशोधन पेश किया था कि हरिजनों के लिये माइनारिटीज के क्लाज में जैसा प्रोवीजन था वह रखा जाय तो सरकारी दल की ओर से उसका विरोध किया गया। आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में से मैंने पेज ५१–५२ को पढ़ कर सुनाया था। उन्होंने इस बात को माना है कि एजूकेशन में शेडयूल कास्ट (परिगणित जातियों) का रिप्रजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिये। मूथम कमेटी ने भी १६१ पेज के आखीर में लिखा है कि नामीनेशन्स बाई दी चांसलर जो होंगे वह माइनारिटीज के होंगे। आपकी आज्ञा से मैं क्लाज सेवेन्थ-नामिनीज आफ दी चांसलर पढ़ देना चाहता हूं।

"We assume that the Chancellor will, in the exercise of his discretion, secure on the court the representation of minorities not otherwise represented."

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको सिर्फ इसलिये रखा है कि मूथम कमेटी को हमारी सरकार ने आधार माना है और वही चीज मैंने ज्यों की त्यों रख दी है। इससे पहले मैंने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी थी और संविधान से उस धारा को पढ़ कर बताया था कि वहां इनको इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि मेरा जो संशोधन है उसे माननीय मंत्री जी मान लेंगे क्योंकि वह बिलकुल मूथम कमेटी के ही आधार पर निर्भर है। थोड़ा सा जैसा कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं जो स्टेट्स कोआ है उसको मैंने मेन्टेन करने की कोशिश की है। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि १०० के आस-पास मेम्बर होने चाहिये, १११ मैंने रखा है। मूथम कमेटी ने १०५ माना है। अध्यक्ष महोदय, मैं उतना ही रखता लेकिन पुराने ऐक्ट में कुछ लोगों को ऐसा अधिकार प्राप्त हो चुका है और जिसको कि मैंने भी माना है कि होना चाहिये। इसलिये मैंने कोर्ट के सदस्यों की संख्या १११ रखा है। इन शब्दों के साथ मैं सदन का अधिक समय न लेकर माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हरगोविंदसिंह—मुझे यह मंजूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--(श्री राज नारायण के खड़े होने पर) अब दस मिनट ही कुल रह गया है इसलिये आप केवल दस मिनट में ही बोल लें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, कल .....

श्री अध्यक्ष--कल इस पर सिर्फ वोटिंग होगी, बहस नहीं होगी।

श्री राजनारायण--तो श्रीमन्, एक शब्द ही मैं कहना चाहता हूं। कोर्ट के कंस्ट्रक्शन में पेज १४ पर यह दिया हुआ है:--

"The total number of members including the *ex-Officio* but excluding the life members shall not exceed 125.

The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.

और इसके अतिरिक्त जिस तरीके से कोर्ट के पहले का कंस्ट्रक्शन है, इन तमाम बातों पर हमारा स्पष्ट मतभेद है और जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी कोर्ट का निर्माण करके युनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि वह शिक्षा व्यवस्था में प्रगति नहीं लायेगी, बल्कि उससे शिक्षा व्यवस्था पीछे जा रही है। इससे सही माने में न तो वहां के कोर्ट के ऊपर जो जिम्मेदारी है और जो आकांक्षा है, वह पूरी हो पायेगी, न तो वह कोर्ट विद्यार्थियों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर पायेगी, न टीचर्स के प्रति और न एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रति ही वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर पायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की धारा का सख्त विरोध करते हुये यह उनसे निवेदन करूंगा कि उसमें कुछ संशोधन जो आगे चल कर आये हैं, उन पर वह ख्याल करेंगे। मैं दो शब्द जोरावर वर्मा जी के संशोधन पर जरूर कहना चाहता था मगर चूंकि समय बहुत कम है और आप की आज्ञा है कि १० मिनट के अन्दर ही बातचीत हो, आगे नारायणदत्त जी का भी संशोधन आया है, शायद उसको भी आप कहें कि आज ही खत्म किया जाय तो यह तो बिलकुल ही असम्भव सा हो गया है, इसलिये इसपर कुछ न कहना ही अच्छा है। केवल इतना ही कह दूं, रामायण में एक स्थल है जहां लंका से हनुमान लौट करके आये थे तो उनसे सीता के कष्ट के बारे में राम ने पूछा था तो हनुमान ने यही कहा था कि:

सीता कर दुख विपत्ति विशाला।

बिनहिं कहे भल दीन दयाला ।।

तो इसी तरह यह अमेंडमेंट्स यूनिवर्सिटी ऐक्ट में माननीय मंत्री जी जो ला रहे हैं उससे यूनिवर्सिटी को वह किस दशा में पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से वह इन विद्या-मन्दिरों को अविद्यामन्दिर बनाने में सचेष्ट हैं, उसको अब न कहना ही इस सदन में ज्यादा अच्छा है।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। ठीक ही है क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मेरा जो संशोधन है, वह ९९ फीसदी यह जो मूथम कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे उन्होंने अपना आधार अब तक बनाया है और सम्भवतः आगे भी बनायें, उसी पर बेस्ड है और मैंने उसी तरह से उसे रख दिया था और मैं यह आशा करता था कि शायद वह इसको मान लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूथम कमेटी को ही माननीय मंत्री जी ने आधार माना है और समय नहीं है नहीं तो मैं पढ़ कर बतलाता कि मैंने भी उसके ही आधार पर यह संशोधन रखा है। बल्कि मंत्री जी ने भी २ या ३ जगह बदल कर ऐसा ही रखा है। उन्होंने यह भी बतलाना उचित नहीं समझा कि वह मेरे

[श्री जोरावर वर्मा]

संशोधन को क्यों नहीं मानते हैं। तो जैसी कहावत है कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तो हमें उनके अमेंडिंग बिल को मानना ही पड़ेगा। उस समय उन्होंने कहा था कि जो क्लाज मैंने हरिजनों के रिप्रेजेंटेशन के बारे में रखा था उस पर बड़ी बहस हुई। मूथम कमेटी ने बिलकुल साफ रखा है और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने मूथम कमेटी की रिपोर्ट को बिल-कुल इगनोर (अवहेलना) कर दिया है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने वही नीति अख्तियार की है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप्प। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में जो मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिये था वह मन्त्री जी ने नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्दसिंह--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"*The Court* . 17. (1) The Court shall consist of the following persons namely:

Internal Members

Class I —Ex-Officio members

(i) The Chancellor.

(ii) The Vice-Chancellor.

(iii) The Treasurer.

(iv) The Deans:

Provided that in case there are more than four Deans, membership shall be four by rotation in the manner prescribed by the Statutes.

(v) Heads of Departments other than Deans.

Provided that in case there are more than seventeen Heads of Departments, membership shall be seventeen by rotation in the manner prescribed by the Statutes.

(vi) Librarian.

(vii) The Dean of students.

(viii) Principals of Colleges and Associated Colleges:

Provided that in case there are more Colleges and Associated Colleges, membership shall be six by rotation in the manner prescribed by the statutes.

(ix) The Warden of the Sarojini Naidu Hostel.

Provided that in case at any time there are more than one women's hostels, membership shall be one by rotation in the manner prescribed by the Statutes.

(x) A Warden by the University hostels by rotation.

(xi) A Warden of the approved hostels by rotation.

(xii) The Chairman of the Delegacy.

Class II—Other members

(xiii) Twenty-one teachers other than the Heads of Departments from each department by rotation for one year.

External Members

Class III—Ex-Officio members

(xiv) The Vice-Chancellors of other Universities in The Uttar Pradesh.

(xv) The Director of Education, Uttar Pradesh.

(xvi) The Director of Agriculture, Uttar Pradesh.

(xvii) The Assistant Directress of Women's Education, Uttar Pradesh.

(xviii) The Chairman, Public Service Commission, Uttar Predesh.

(xix) The Advocate-General, Uttar Predesh.

(xx) The Accountant-General, Uttar Pradesh.

(xxi) The Bishops, Lucknow and Allahabad by rotation.

(xxii) The Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad.

Class IV—Life Members

(xxiii) Such members as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number shall at no time be more than three.

(xxiv) Five existing persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purpose of the University.

Class V —Other Members

(xxv) Fifteen representatives of the Registered Graduates of the University elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(xxvi) Three persons nominated by learned societies and technical institutions as may be prescribed by Statute, including :

(*a*) The Drug Research Institute, Lucknow.
(*b*) The Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur.
(*c*) The Scientific Research Committee, Uttar-Predesh.

(xxvii) Three persons nominated by industrial and commercial bodies as may be prescribed by Statute, including:

(*a*) The Uttar Pradesh Chamber of Commerce,
(*b*) The Upper India Chamber of Commerce,
(*c*) The Merchants Chamber of Commerce.

[श्री अध्यक्ष]

(xxviii) Not more than five representatives of donors elected from their own number.

(xxix) Seven nominees of the Chancellor.

Provided that the Chancellor will, in the exercise of his discretion, secure on the Court the representation of minorities not otherwise represented.

(2) Members except *ex-officio* members and where otherwise stated, should hold office for three years."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

दर्शक दीर्घा प्रदर्शन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब एक ही मिनट बाक़ी रह गया है । मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि २३ अगस्त को दीर्घा में प्रदर्शन हुआ था उसके सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी हुई है । उसकी रिपोर्ट के लिये २२ अक्तूबर तक का समय मैंने निर्धारित किया था । लेकिन क्योंकि इस कमेटी के कुछ सदस्य ही लिमिटेशन कमेटी की बैठक में गये हैं और विशेषकर श्री मलखान सिंह जो वापस नहीं आये हैं तो समिति के अध्यक्ष ने प्रार्थना की है कि १५ दिसम्बर तक इसका समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---इसको तो दो साल का समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---१५ दिसम्बर तक समय बढ़ाया जाता है और उस समय तक इसकी रिपोर्ट आनी चाहिये ।

स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से सम्बद्ध २४ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न २४ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष---अब शिक्षा संचालक द्वारा स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित श्री राम नारायण त्रिपाठी द्वारा २४-९-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत, विवाद जारी हो ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हमेशा से बहुत अनियमित सा रहा है । भूतकाल में इसके बारे में काफी छीछालेदर अखबारों में भी हुई थी और मुझे आशा थी कि वर्तमान मंत्रिमंडल ने जब से माननीय मंत्री जी को इसका भार दिया तो इसमें काफी सुधार होगा । लेकिन मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यवस्था पहले थी उससे भी ज्यादा अनियमितता इस साल बरती गई । २४ सितम्बर को जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका माननीय मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज करना चाहता हूं । इसके ठीक होने और गैर ठीक होने के सम्बन्ध में माननीय हाई कोर्ट में प्रश्न उठ चुका था और उस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है तो क्या उसके फैसले के बाद भी श्री राम नारायण त्रिपाठी जी कह सकते हैं कि अनियमितता बरती गई ।

श्री अध्यक्ष---अनियमितता की तो नहीं, लेकिन यह कहा कि उत्तर ठीक नहीं दिया और यह वह कह सकते हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल––उन्होंने कहा कि अनियमितता बरती गई।

श्री अध्यक्ष––यह देखना है कि वह हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में आती है या नहीं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)––अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आपत्ति है कि उस रोज का प्रश्न और उत्तर देख लें कि यह कहना कि मैंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया आपने कहा कि कितनी किताबें छपी हैं वह मैंने बतला दिया। आपने पूछा कि टेंडर लिये गये, मैंने कहा कि हां।

श्री अध्यक्ष––माननीय सदस्य नयम ४२ के अन्तर्गत कुछ कहना चाहते हैं। उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ है। उनके भाषण समाप्त होने के बाद आप जवाब देंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह––उन्होंने कहा कि अनियमितता बरती गई।

श्री अध्यक्ष––वही मैं जानना चाहता हूं। हाई कोर्ट के डसीशन के खिलाफ माननीय सदस्य कुछ न कहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––अध्यक्ष महोदय, मेरा वादविवाद तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुकूल है, शिक्षा मंत्री जी ही उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। १९५४ के फरवरी मास में टेंडर मांगे गये थे और जिस समय यह टेंडर खोले गये तो मेरी निजी जानकारी तो यह है कि यह ठीक समय पर यानी ११ बजे नहीं खोले गये। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष जो ऐफीडेविट दाखिल हुआ था उस पर हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है। उसे मैं यहां पर पेश करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि––

The Petitioners, in their affidavit alleged that they had waited at the proper time and place and that the tenders had not been opened in their presence. The statement contained in the affidavit of the Officer on Special Duty in denial of this is more or less evasive and is certainly not such a clear statement as one would expect from a public Officer. Nothing was easier than for the Officer concerned to state specifically that at the time of opening of the tenders, a certain number (whatever number it might be) of the tenders were present and saw the tenders actually being opened. It is possible for persons sitting in a verandah to see that something is happening in a room, but until information is conveyed to them it is impossible for them to say what that something is and whether they have any interest in it. In view of the clear cut statement contained in the affidavit accompanying the petition and the evasive reply it must be held that although specified they were opened in the absence of tenderers which was a highly undesirable proceeding likely to give rise to suspicion.

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष––मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––तो यह हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। अध्यक्ष महोदय, और मुझे ताज्जुब हुआ इस बात का कि माननीय शिक्षा मंत्री ने हिम्मत की २४ तारीख को यह बात कहने की कि हाई कोर्ट ने कोई स्ट्रक्चर्स पास नहीं किये। टेन्डर्स मांगे गये और जो अनियमितता बरती गयी वह हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स से साबित है। टेन्डर्स में यह साफ़ था

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि २५ हजार और ५० हजार के लाट में टेन्डर्स दिये जायं लेकिन बाद में वह व्यवस्था भी तोड़ दी गयी और उस रिट एप्लीकेशन के पहले सिर्फ १३ बड़े-बड़े पब्लिशर्स को पुस्तकों को छापने का भार दिया गया। जब रिट एप्लीकेशन दाखिल हुई तब माननीय मंत्री जी ने समझा कि यह तो रहस्योद्घाटन होने वाला है इसलिये उसके बाद ७३ या कुछ और लोगों को पुस्तकों का प्रकाशन दे कर हाई कोर्ट में यह बयान दाखिल करा गया। लेकिन आज भी यह अपनी जगह सही है कि १३ में तो आधा हिस्सा दिया गया और बाक़ी आधे में ७३ या आज ८० हो सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि जिन लोगों ने टेन्डर नहीं दिया था उनको दो-दो, चार-चार लाख पुस्तकों का पब्लिकेशन दिया गया। इसके अलावा एक सब से बड़े रहस्य को बात मेरे समझ में नहीं आयी कि जब टेंडर्स दिये गये उसमें ७ व्यक्तियों ने १५ परसेंट रायलटी का आफ़र किया था लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री के रेकार्डों से भी साबित होगा कि जब पब्लिशर्स १५ परसेंट गवर्नमेंट को रायलटी देने के लिये तैयार थे जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा आमदनी होती, कोई ऐसा टेंडर नहीं है जिसको १५ परसेंट रायलटी पर दिया गया हो बल्कि सब को १२ १/२ प्रतिशत रायलटी पर दिया गया। एक तो यही अजीब बात है कि १३५ पब्लिशर्स की रोजी छीन कर १३ आदमियों को दे दी गयी और उसके बाद १५ परसेंट के बजाय साढ़े बारह प्रतिशत प्रकाशन पर दिया गया। मेरी निजी जानकारी यह है कि अगर सरकारी अफ़सर उस विभाग के अपनी इच्छा से काम करते तो यह धांधली न होती लेकिन हर तफ़सील में माननीय शिक्षा मंत्री ने दखल दिया है और उन्हीं की सलाह से यह सब हुआ है। दो दर्जन के टेन्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई टेन्डर ही नहीं दिया और उसके बाद दर्जनों ऐसे हैं जिनके पास मशीन तक नहीं है। मैं तो अपनी सीट रिजाइन करने के लिये तैयार हूं अगर आप की अध्यक्षता में एक कमेटी माननीय शिक्षा मंत्री मुकर्रर कर दें और हमको साधन उपलब्ध किये जायं तो मैं लखनऊ में ही यह साबित कर सकता हूं कि कितने टेन्डर्स के पास मशीन तक नहीं थी। हाई कोर्ट में जब यह मामला गया तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारे सामने हैं इसलिये हम बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वह मैंने पढ़ कर सुना दिया। इसके अलावा जो टेन्डर काल किये गये थे उनके अनुसार वितरण भी नहीं हुआ। ऐसे भी केसेज हैं अध्यक्ष महोदय कि जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट में होता था कि परमिट अपने नाम में ले ली और बाद में उसको दूसरे के हाथ बेच दी वैसे ही इसमें भी हुआ कि न तो उनके पास मशीन है, न प्रेस है, परमिट ले ली और दूसरे को बेंच दिया। न जाने कितना शोर मचा कि समय पर बाजार में टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलीं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि समय के अन्दर, जुलाई में टेक्स्ट बुक्स आ गयी थीं। यह बात बिल्कुल सत्य से परे है और ६० लाख जो पुस्तकों का प्रकाशन है उसमें से अभी ४८ ही लाख छपी हैं। तो १२ लाख जो नहीं छपीं, वह सबूत है कि इन टाइम टेक्स्ट बुक्स नहीं आयी थीं और जो पुस्तकें छपी हैं उनकी छपाई वगैरह को अगर आप देखें तो आप स्वयं यह निर्णय करेंगे कि ये ऐसे अयोग्य लोगों ने छापी हैं जिनको उस काम का भान नहीं था और न ज्ञान था।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, योग्य और अयोग्य को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस सम्बन्ध में जिस प्रकार से यह किताबें दी गयीं उनका वितरण मैं संक्षेप से भवन के सामने रखे दे रहा हूं।

ये बेसिक रीडर्स इस साल दर्जा १ से लेकर ५ तक कुल बदल गयीं। जो इससे पहले बेसिक रीडर्स थीं, वह न रख कर के नयी रखी गयीं, क्योंकि जो रिओरियंटेशन स्कीम जूनियर हाई स्कूल से लागू की गयी है उसकी लाइन में आने के लिये यह जरूरी था कि प्राइमरी स्कूल से ही आरम्भ कर दें और इसलिये आवश्यक हुआ कि जूनियर हाई स्कूल स्टेज पर हम उसके पठन-पाठन में कुछ बदलाव कर लें, तो जो छोटे लड़के क्लास

१ से चले जाते हैं उनको भी उसका ज्ञान शुरू से ही आरम्भ करा देना चाहिये। तो इसलिये यह आवश्यक हुआ कि सब किताबें नई रख दी जायं। वह नयी लिखायी गयीं और उनमें दुश्वारियां भी थीं। एक यहां मीटिंग बुलाई गई जिसमें मैं भी था और सेक्रेटरीज थे, हमारे सेक्रेटरी एजूकेशन थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, सुपरिन्टेन्डेंट गवर्नमेंट प्रेस थे और यह सोचा गया कि क्या यह सम्भव हो सकेगा कि जितनी किताबें हमें छापनी हैं वह सब गवर्नमेंट प्रेस छाप कर दे सकता है या नहीं। गवर्नमेंट प्रेस ने इससे इन्कार किया कि हम किताबें तो नहीं छाप सकते, कवर्स छाप सकते हैं, वह छाप देंगे। इसलिये श्रीमन्, यह आवश्यक हो गया कि जिस तरह से किताबें अभी तक छापी जाती थीं उसी तरह से छपें, लेकिन यह दिक्कत हुई कि हमारे पास हर एक किताब को मैनुस्क्रिप्ट एक थी और उसमें दुश्वारियां भी बनी हुई थीं। हर साल तो बेसिक रीडर हमारे पास होती थी, छपी होती थी। जितनी हमको प्रतियां बेसिक रीडर्स की हर एक क्लास के लिये चाहिये थीं वह छपा ली जाती थीं, लेकिन इस साल यह आवश्यक हुआ कि पहले उस मैनुस्क्रिप्ट से किताब छाप कर के तब और लोगों को दी जा सकती हैं। गवर्नमेंट प्रेस ने इन्कार कर दिया कि हमारे पास तो शक्ति नहीं है। हम लोगों का अनुमान था कि करीब ६०–६५ लाख किताबें हमें छापनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट प्रेस ने कहा कि हम केवल उनका कवर छाप देंगे, उससे कास्ट बचेगी। कास्ट जो उन्होंने निर्धारित की वह हमारे दृष्टि में बहुत कम थी और मैंने यह समझा कि इस कास्ट पर कोई किताब बाहर का आदमी, बाहर वाला, छाप नहीं सकता। तो इस लिये यह आवश्यक हुआ कि टेंडर मांगा जाय। रायलटी के बेसिस पर टेंडर मांगे गये। अगर हर एक पब्लिशर अपना टेंडर देता तब तो एक बात थी, लेकिन पब्लिशर लोगों ने क्या किया कि उन्होंने आपस में गुट-बंदियां कीं और चार-पांच पब्लिशर्स, जिसमें छोटे पब्लिशर्स सौ सवा सौ के होंगे–उसमें समय लगेगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जैसा एक पब्लिशर असोसिएशन बनारस, पब्लिशर असोसिएशन इलाहाबाद, इस तरह उनके अपने मेम्बर्स थे। अब उन्होंने सम्मिलित एक टेंडर दिया और वह टेंडर ८ परसेंट रायलटी पर था। तो क्योंकि पब्लिशर उस टेंडर के पीछे थे, उन्होंने यह कहा कि आप किताब हम को दे दीजिये, हम आपस में खुद हमारे जो सदस्य हैं, हमारे मेम्बर हैं उनको बांट कर के इन किताबों को छपा लेंगे। किताबें हमारी नयी थीं, नयी दुश्वारियां थीं। अगर हम एक टेंडर को दे देते तो फिर उसके बाद उस किताब का भविष्य क्या होता? मुझे मिलती या नहीं मिलती, मैं नहीं कह सकता था और न उस पर कोई विश्वास कर सकता था। इसके अतिरिक्त जो टेन्डर्स थे उनके अतिरिक्त पब्लिशर्स का एक बड़ा भारी डेपूटेशन मेरे पास आया। छोटे-छोटे जो पब्लिशर थे उन्होंने कहा कि हमको काम नहीं मिलेगा। और बड़े-बड़े प्रेस जिस रेट पर टेन्डर कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं हम पिस जायेंगे और फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हमको भी काम मिले और हमेशा उनको काम मिलता रहा है। बड़े प्रेस वालों ने टेंडर ८ परसेन्ट पर दिया था और इन लोगों ने १० परसेंट पर दिया था। इससे पहले की किताबों पर १०.५ प्रतिशत के हिसाब से रायलटी दी गयी। तो उन्होंने १०.५ पर दिया सिर्फ बेसिक रीडर के लिये और जो इसके अलावा किताबें थीं उसके लिये १५ परसेंट दिया। और भी कुछ किताबें थीं जैसे जूनियर हाई स्कूल के लिये एग्रीकल्चर की किताब थी उसके लिये भी उन्होंने १५ परसेंट पर दिया और बेसिक रीडर का १० परसेंट पर। पहले वालों ने ८ परसेंट पर दिया था और १० पर दिया था। तो जो उनका टेंडर ८ पर था उसके लिये हम निश्चित इस बात के लिये थे कि इससे गवर्नमेंट को नुक्सान होगा अगर ज्यादा का टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है। तो उनकी एक कमेटी बनायी गयी और उनसे कहा गया कि आप लोग आपस में मिल कर हमें बताओ कि कितने में यह काम हो सकता है। मैंने उनसे स्पष्ट यह भी कहा कि छाप कर बेचने में कितना फायदा होता है उसकी ५० फीसदी रायल्टी सरकार को दे दो और ५० फीसदी तुम खुद ले लो। उन्होंने आपस में एक कमेटी तीन आदमियों की बनायी और वह हमारे

[श्री हरगोविन्दसिंह]

सेक्रेटरी से मिले और उन्होंने निश्चय यह किया कि हम साढ़े बारह और साढ़े दस परसेन्ट के हिसाब से दो रायल्टी सरकार को देंगे। जो डबल कलर के थे उनके लिये साढ़े बारह और सिंगिल कलर के लिये साढ़े दस परसेंट दिया था। अब प्रश्न यह हुआ कि एक मैनिस्क्रिप्ट हर एक किताब का था और उनकी तस्वीर बनाने में भी देर हुयी। आर्टिस्ट जो हमारे विभाग का था उसने तस्वीर जल्दी नहीं बनायी । तो वह एक मैनिस्क्रिप्ट सब के पास भेजा जा नहीं सकता था। हम चाहते थे कि जुलाई में कम से कम इतनी किताबें बाजार में आ जायं जिससे कहीं पर उसका टोटा न हो जाय। इसके अतिरिक्त दर्जा १ और दर्जा २ की लिपि बदलनी थी। जो लिपि हमारे यहां संशोधित की गयी है उसको दर्जा १ और दो में प्रवेश करना था इसलिये वह सोचा गया कि इसमें से जितनी किताबें छपनी हैं वह बड़े-बड़े प्रेस को काफी बड़ी संख्या में किताबें दी जायं ताकि वह जल्दी से उनको छाप सकें और छाप कर स्कूल खुलते-खुलते कम से कम ५० प्रतिशत की संख्या में किताबें बाजार में पहुंच जायं। जब वह किताबें छप जायंगी तो वही स्पैसिमैन दे कर दूसरे प्रेसेज से छपवा लेंगे। इस तरह से बाजार में एक क्रम स्थापित हो जायगा। तो इस तरह से हमने १३ प्रेसेज को कई लाख किताबें शायद २५ लाख दे दी गयीं। उसमें शायद ४ लाख ३ प्रेस को दी गयी जो नई लिपि वाली थी। वह किताबें इस तरह से दी गयीं जिससे वह किताबें छप जायं। और छप जाने पर यह स्पेसिमैन जो होगा दूसरे प्रेस को दे दिया जायगा। इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल हो गया और वहां से स्टे हुआ और फिर डिसमिस उसके होने पर वह और को दे दी गयीं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जो आप ने यह हाई कोर्ट की बात कही यहां पर उसकी क्या आवश्यकता थी। यह जरूर हाई कोर्ट ने लिखा है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने यह लिखा कि टेंडर टेंडररर के सामने नहीं खोला गया। करीब ७००,८०० टेंडर थे तो हमने अपने एफिडैविट में यही लिखा था कि हमारे लिये यह कोई अनिवार्य नहीं था कि सब के सामने टेंडर खोला जाय और टेंडर में यह शर्त भी नहीं थी कि टेंडर उसके सामने खोला जायगा। टेंडर उसी दिन निश्चित समय पर खोला गया। जब टेंडर ८ परसेंट का देखा गया तो उससे हमने यह समझा कि इससे सरकार को नुक्सान होगा इसलिये वे टेन्डर नामंजूर कर दिये गये। इसलिये हाई कोर्ट के लिये यह कोई आवश्यक नहीं था कि वह ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स पास करते और फिर टेंडर्स में यह शर्त भी नहीं थी। (श्री अध्यक्ष के पूंछने पर) ऐसे स्ट्रक्चर्स पास करना बिलकुल अनावश्यक था। मैं इस समय उन कारणों में नहीं जाना चाहता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने उसको साफ़ कर दिया है यानी जो प्रश्न सामने था उसके अलावा स्ट्रक्चर्स हुए हैं, वे हाई कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं।

श्री हरगोविंदसिंह---जजमेंट में भी लिखा है कि टेंडर में यह शर्त न थी कि टेंडर सामने खोले जायंगे लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न में जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी इस रीति से १२०--१२५ प्रेसेज को काम दिया गया जो कि पूर्व वर्षों में दिया गया। यह जरूर हुआ कि पहले वे लोग ८ प्रतिशत देते थे और अब साढ़े दस प्रतिशत और साढ़े बारह प्रतिशत किताबों पर हमें रायल्टी मिली। यह तो निश्चित ही है कि जितने आदमी टेंडर करते हैं उन सबको किताबें नहीं मिल सकतीं। हमारे पास पुस्तकों की एक संख्या है और जिसको चाहें उसको दें। यह कदापि नहीं हो सकता कि किसी के टेंडर देने की वजह से यह अधिकार हो जाय कि उसको किताबें मिलनी ही चाहिये। जितने आदमी टेंडर देते हैं उन सब को किताबें नहीं दी जा सकतीं और जिन लोगों को किताबें नहीं मिलेंगी उनको शिकायत तो होगी ही। इतना अवश्य है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई।

टेंडर खोले गये, उनको स्वीकार नहीं किया गया फिर जिन लोगों ने साढ़े दस और साढ़े बारह प्रतिशत दिया उनको वह काम दिया गया। पहले तो लोग समझते थे कि हम लोग उनको ८ प्रतिशत ही देने को मजबूर हो जायंगे लेकिन जब उनके टेन्डर्स को हटा कर साढ़े दस और साढ़े बारह देने वाले लोगों को काम दे दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दिया। क्योंकि इस प्रकार से हमने सरकार की रायल्टी बढ़ाई है इसलिये इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री रामननरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जिन लोगों को किताबें छापने को नहीं मिलीं वे लोग विधान सभा के सदस्यों के पास दौड़-दौड़ कर गये हैं?

अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामनरायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब टेंडर खोले गये तो उसमें रायल्टी का परसेंटेज इस प्रकार था कि ३ पर तो ७ या ८ प्रतिशत और बाक़ी पर १० से १५ प्रतिशत था।

श्री हरगोविंदसिंह---जी नहीं, बेसिक रीडर्स पर ७-८ प्रतिशत और उनके अलावा एक पर १५ प्रतिशत था जिसको अभी तक नहीं छपाया गया है वह केवल एग्रीकल्चर की एक किताब है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि जिन लोगों ने टेन्डर्स पहले दिये थे उनको काम न दिया जाकर दूसरे लोगों को भी काम दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मुमकिन है क्योंकि जब सब टेंडर रिजेक्ट कर दिये गये थे तो फिर उसके बाद टेंडर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जब सरकार ने पहले सब टेंडरों को नामंजूर कर दिया था तो दोबारा क्यों नहीं टेंडर मांगे गये। बिना टेंडर मांगे हुये ही काम क्यों दे दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसलिये वे लोग ८ से अधिक बढ़ते ही नहीं थे और हमने यह साफ़ कह दिया था कि १० से १२ प्रतिशत से हम कम नहीं देंगे फिर हमें किताबों की जल्दी थी इसलिये जो लोग साढ़े दस और साढ़े बारह प्रतिशत में तैयार हुए उनको किताबें दे दी गयीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जिन प्रकाशकों को पुस्तकें दी गयीं क्या माननीय मंत्री जी ने उन प्रकाशकों के बारे में यह भी जांच करायी कि उनके पास साधन भी हैं या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह---जिन १३ को पहले पुस्तकें दी गयी थीं उनके बारे में जांच की गयी थी उनके पास लाट छापने के लिये पर्याप्त साधन है, बकिया लोग वही थे जिनको हमेशा पहले किताबें दी जाती थीं इसलिये उनके बारे में कोई इन्क्वायरी नहीं करायी गयी और इस सब के लिये मेरे पास साधन भी नहीं है। यह जरूर सोचा गया था कि जिनके पास सिलेन्डर मशीन हों उन्हीं को यह काम दिया जाय।

श्री राजनारायण---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रेसेज को काम दिये गये जो अस्तित्व में हैं ही नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, यह बिलकुल ग़लत है। क्योंकि प्रेसेज को ही नहीं दिये गये उसमें बोनाफाइड प्रिंटर्स और पब्लिशर्स भी थे। तो वे पब्लिशर रहे होंगे जिनको दिये गये।

श्री गेंदासिंह—आखिरी फैसला पब्लिशर लोगों को किताबों को छापने के लिए देने का कब हुआ और वे किताबें बाजार में कब पहुंचीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—पहले पहल तो टेन्डर मांगा गया था उसी टेंडर में ही प्रिंटर और पब्लिशर्स दोनों से मांगा गया था।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आजमगढ़ में कोई रोहतास प्रकाशन प्रेस है जिसको किताबें छापने के लिये दी गयीं और यदि है, तो उसका आफिस कहां है?

श्री हरगोविन्दसिंह—शायद आजमगढ़ के किसी प्रेस को दिया गया था जो अवश्य होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन व्यक्तियों को किताबें छपने को दी गयीं उन्होंने समय पर छाप कर दे दिया?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, इसकी कोई शिकायत नहीं आयी कि किसी ने किताबें नहीं छापी।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप उत्तर दे दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्वेश्चन के रूप में ही मैं खतम कर देना चाहता हूं। कोई विवाद की जरूरत नहीं है।

(कुछ ठहर कर) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट अप्लीकेशन दाखिल किये थे उनको छापने के लिये किताबें इसलिये नहीं दी गयीं, क्योंकि माननीय मंत्री जी उनसे नाराज हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—चूंकि उन्होंने ऐसे आक्षेप किये जिससे उनको किताबें छापने के लिये नहीं दी गयीं और आइन्दा भी नहीं दी जायंगी।

श्री गेंदासिंह—क्या अब भी ऐसी पुस्तकों की कमी है जिनको छापने के लिये पब्लिशर्स को दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, कुछ खास रीडर्स की कमी है जिनको छापने के लिये सप्लीमेंटरी दिया गया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जिन लोगों ने टेंडर दिये थे उन लोगों से टेंडर के साथ कुछ फीस भी ली गयी थी?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिनको छापने के लिये किताबें दी जाती हैं उनसे फीस ली जाती है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, शिक्षा मंत्री जी ने अभी बतलाया कि जो लोग हाईकोर्ट में रिट एप्लीकेशन दाखिल किये थे उनको आइन्दा भी किताबें छापने के लिये नहीं दी जायंगी, तो क्या यह सरकार की कोई पालिसी है कि जो सरकार की ग़लती के बारे में हाईकोर्ट में जाय उसे कोई किताब छापने के लिये न दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह जरा स्पष्ट नहीं है। मैंने तो यह सुना कि उन्होंने यह कहा कि उनके ऊपर कुछ ऐसे आक्षेप किये गये हैं। तो मैंने यह समझा कि माननीय मंत्री जी के ऊपर आक्षेप किये गये। तो उसको आप (शिक्षा मंत्री से) स्पष्ट करदें।

श्री हरगोविंद सिंह—उन्होंने यह आक्षेप किये थे कि डिपार्टमेंट में मेलिससली किताबों को छापने के लिये दी है। उन्होंने डिपार्टमेंट की इंटेगरिटी पर आक्षेप किया इसलिये उनको किताब छापने के लिये नहीं दी गयीं। वे हमारे ब्लैक लिस्ट में हैं। इसलिये उनको आइन्दा भी नहीं दी जायंगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जितने प्रकाशन कार्य थे वे टेंडर बेसिस पर नहीं दिये गये, तो क्या जो फीस उन्होंने जमा की थी वह वापस हो जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जो ठीक कायदे में होगा वह होगा।

श्री राजनारायण—माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट तरीके से जिन लोगों ने पेटीशन दिया था उनके मत को माना है कि टेन्डर्स में गड़बड़ी हुई है, तो क्या वह कह सकते हैं कि आक्षेप अनर्गल था.....

श्री अध्यक्ष—यह तो विवाद है, प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि किस आधार पर मंत्री जी कहते हैं कि उनकी आपत्ति गलत थी और क्या यही वजह थी कि वह आपत्ति ले कर गये, इसीलिये वह ब्लैक लिस्ट पर चढ़ गये.....

श्री अध्यक्ष—यह कैसे कहते हैं कि मेलिससली और बेईमानी करके किया है ऐसा कोई फैसला है क्या ?

श्री राजनारायण—हाई कोर्ट ने कहा है.....

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरी बात है।

श्री राजनारायण—वह कह रहे हैं, श्रीमन्, कि मेलिससली और बेईमानी कर के लिया है...

श्री अध्यक्ष—यह आक्षेप है, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—जिन्होंने हाईकोर्ट में पेटिशन दिया था क्या उन्होंने कोई लिखित आपत्ति की है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर मंत्री जी रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—एक रिट पेटीशन दी थी और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के पास उसकी कापी है।

श्री राजनारायण—माननीय शिक्षा मंत्री के जवाब से स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट में पहले आपत्ति पेश की, उनके ऊपर आक्षेप किया और इसलिये यह किया गया, अभी जो उन्होंने फर्माया कि वह ऐसा न कहते तो ज्यादा अच्छा था, वह धमका रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष---यह तो विवाद है, अब समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२० अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३ पर।)

३० जून, १९५४ के टी० बी० सील की बिक्री के चार नियमित कार्यक्रमों में प्राप्त धनराशि का लेखा

जिला	वसूल की हुई धनराशि				
	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	जोड़
१	२	३	४	५	६
१—आगरा	८,९४९	९,१३७	३,२२०६	११,८४५	३३,१५७
२—इलाहाबाद	६,२००	२,८१५	४,१०७	२७१	१३,३९३
३—अलीगढ़	४,३६२	२,८७४	३,६२२	९८६	११,८४४
४—अल्मोड़ा	४,१२३	१,८९२	१,२०३	५८०	७,७९८
५—आजमगढ़	३,००१	२,४६२	१,४७७	१,५५९	८,४९९
६—बहराइच	७,२८५	३,६७७	१,२७९	५४४	१२,७८५
७—बलिया	३,३३०	२,३७९	२,५०४	९०९	९,१२२
८—बनारस	७,४२१	१४,८७४	४,११२	३,८२७	३०,२४१
९—बांदा	१,८६८	१,६१२	२,०५४	१,१२५	६,६५९
१०—बाराबंकी	२,२९७	३,०९५	१,७२६	१,९४०	९,०५८
११—बरेली	३,३०६	२,७११	३,६५१	२,०४६	११,७१४
१२—बस्ती	३,६४३	१,६७१	१,४५७	१,८०१	८,५७२
१३—बिजनौर	२,०४४	२,३७३	१,४३१	४६५	६,३१३
१४—बदायूं	१,६३०	२,०५९	३,०१०	२,१८०	८,८७९
१५—बुलन्दशहर	५,७७८	५,३१९	१,७२९	..	१२,८२६
१६—देहरादून	३,५०९	३,४५३	९००	२,०९२	९,९५४
१७—देवरिया	४,५४७	२,९००	१,०९४	..	८,५४१
१८—एटा	१,०५६	१,०१२	१,०२३	८८२	३,९७३
१९—इटावा	३,८३७	९,३७४	७,०७३	४,१५७	२४,४४१
२०—फैजाबाद	९,६३६	३,१६७	२,२९०	४०७	९,५००
२१—फर्रुखाबाद	९,९५०	२,००२	१,७२१	५,०९८	१८,७७१
२२—फतेहपुर	२,५९०	३,६७४	१,९५३	५२८	८,७४५
२३—गढ़वाल	३,१७१	३,२२६	३,०३१	..	९,४२८
२४—गाजीपुर	५,०२५	५,२८५	..	१,७५६	१२,००६
२५—गोंडा	१,१५७	५३८	२६	१०	१,७३१
२६—गोरखपुर	५,५२७	२,६४३	३५३	२,१०८	१०,६३१
२७—हमीरपुर	३,३४३	२६७	३,३३३	२,४५९	९,४०२
२८—हरदोई	२,५४३	२,६४३	३,५२५	१,०८८	९,७९८
२९—जालौन	७,९६२	१,२०८	७०९	२,३४४	१२,२२३
३०—जौनपुर	३,२२८	२,२५५	३४३	१,५९६	७,२२२
३१—झांसी	४,२०४	२,९८६	२,६५९	१,०२१	१०,८७०
३२—कानपुर	२२,७१५	१५,५७८	५,२८४	२०	४३,५९७
३३—लखीमपुर	२,९७२	२,५४१	२,०४६	१,०३२	८,५९१

जिला	वसूल की हुई धनराशि				
	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	जोड़
१	२	३	४	५	६
३४—लखनऊ	७,५०८	३,०६७	२,२३५	६,६४७	१९,४५७
३५—मैनपुरी	११,१७१	४,५५१	२,१९०	३,१२४	२१,०३६
३६—मथुरा	२,९७७	२,३४५	४५७	६५	५,८४४
३७—मेरठ	६,३१२	१६,३५०	५,८८९	३,८०८	३२,३५९
३८—मिर्जापुर	७,५२२	२,४४५	१,५७५	१,२६४	१२,८०६
३९—मुरादाबाद	६,६७३	६,११८	१,९६६	४५१	१५,२०८
४०—मुज़फ़्फ़र-नगर	१३,६०२	२१,७३७	२३,२०९	५,८४५	६४,३९३
४१—नैनीताल	८७८	१,९४५	१,११२	१,१२४	५,०५९
४२—प्रतापगढ़	५,२२१	२,८८०	१,८२०	४२	९,९६३
४३—पीलीभीत	७,६००	४,४४८	८०१	२,५४७	१५,३९६
४४—रायबरेली	१,८८१	..	२,६०२	..	४,४८३
४५—रामपुर	३,४०५	३,१२५	१,४८९	२,३००	१०,३१९
४६—सहारनपुर	४,४२९	६,१४७	२,६८३	३,१६७	१६,४२६
४७—शाहजहांपुर	७,०५३	४,२७३	२,५३३	१,३२७	१५,१८६
४८—सीतापुर	७,४३१	५,१०८	१,८८४	९४२	१५,३६५
४९—सुल्तानपुर	५,७४०	४,५०१	१,२११	१,६००	१३,०५२
५०—टेहरी	६१८	१,३१०	७३१	१,०१३	३,६७२
५१—उन्नाव	२,९६८	२,६२०	८८५	१,२५०	७,७२३
जोड़ ..	२,५८,९९८	२,१६,६७१	१,२९,२३०	९३,१९२	६,९८,०९१

स्टेटमेंट (ख)

टी० बी० सील फण्ड से दी गई सहायता

जिले का नाम	कितना रुपया दिया गया	किस कार्य के लिये दिया गया
१	२	३
१—इलाहाबाद	२५,०००	१०,००० नये टी० बी० अस्पताल के छत बनाने के लिये, १५,००० नये टी० बी० अस्पताल में बिजली लगाने के लिये।
२—अलीगढ़	५,०००	टी० बी० क्लीनिक के सालाना व्यय के लिये।
३—अल्मोड़ा	५,०००	टी० बी० क्लीनिक के सालाना व्यय के लिये।
४—आजमगढ़	८,९१९	टी० बी० क्लीनिक को फिर चालू करने के लिये।
५—बनारस	८,२५०	आयुर्वेद प्रणाली की टी० बी० क्लीनिक खोलने के लिये।
६—बरेली	१६,८००	१५,००० डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में १२ शय्याओं का टी० बी० वार्ड बनाने के लिये। १८,००० हेल्थ विजिटर के एक वर्ष के वेतन के लिये।
७—बस्ती	१३,८७०	१२,१७० अस्पताल को सज्जित करने के के लिये, १,००० दवाइयों के लिये। ७,००० दरियों तथा कम्बलों आदि के लिये।
८—बदायूं	२,०००	दवाइयां तथा खाने आदि के लिये।
९—बुलन्दशहर	१०,०००	कार्य सुधार के लिये।
१०—देहरादून	४,८००	२०,००० एक्सरे फिल्म और दवाइयों के लिये। १,८०० हेल्थ विजिटर के एक वर्ष के वेतन के लिये। १,००० डाकपाथर सैनीटोरियम में किताबें तथा खेल-कूद के सामान खरीदने के लिये।
११—देवरिया	१०,०००	टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये।
१२—इटावा	२६,२००	२५,००० टी० बी० अस्पताल बनाने के लिये। १,२०० साल भर खाने के खर्च के लिये।
१३—फर्रुखाबाद	१२,४००	१०,००० सुसज्जित करने के लिये। २,४०० निर्धन मरीजों को दो साल तक खाना खिलाने के लिये।
१४—फतेहगढ़	१०,०००	टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये।

जिले का नाम	कितना रुपया गया गया	किस कार्य के लिये दिया गया
१	२	३
१५—गढ़वाल	१०,०००	६ शय्याओं का टी० बी० बोर्ड बनाने के लिये।
१६—गाजीपुर	८,०००	टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये ।
१७—गोरखपुर	२,८००	१,००० एक्सरे फिल्म्स के लिये। १,८०० हेल्थ विजिटर के १ वर्ष के वेतन के लिये।
१८—हमीरपुर	१०,०००	टी० बी० क्लीनिक खोलने के लिये।
१९—हरदोई	१०,९४१	१०,००० टी० बी० क्लीनिक बढ़ाने के लिये, ९४१ सुसज्जित करने के लिये।
२०—जालौन	१०,०००	टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये।
२१—कानपुर	५३,०००	२०,००० लाला लाजपत राय अस्पताल के टी० बी० वार्ड को बढ़ाने के लिये। ५,००० टी० बी० क्लीनिक में दवाओं के लिये। ३,००० लाला लाजपत राय अस्पताल के टी० बी० वार्ड में औजारों के लिये। २५,००० टी० बी० क्लीनिक में १८ बेड्स बढ़ाने के लिये ।
२२—लखीमपुर-खीरी	१३,०००	टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये ।
२३—लखनऊ	५७,७४०	७,२०० लखनऊ में Fellow ship देने के लिये। ६,७०० कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक में Mass Radiography के लिये । ४,००० एन्टी टी० बी० लीग को। ११,८४० एक साल की हेल्थ विजिटर स्कीम के लिये। २५,००० कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक के आउट पेशेन्ट विभाग के लिये ।
२४—मैनपुरी	१०,०००	टी० बी० वार्ड के लिये ।
२५—मथुरा	१९,९३४	९,९३४ मरम्मत और औजारों तथा कपड़े आदि के लिये । १०,००० वज सेवा समिति टी० बी० सैनीटोरियम आपरेशन कमरा बनाने के लिये।
२६—मुरादाबाद ..	१५,६००	८,००० एक्सरे आदि के लिये। ४,८०० सालवेशन आर्मी अस्पताल में निर्धन मरीजों के दो साल तक खाना खिलाने के लिये।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	कितना रुपया दिया गया	किस कार्य के लिये दिया गया
१	२	३	४
			१,८०० एक वर्ष तक हेल्थ विजिटर के वेतन के लिये।
			१,००० दवाइयों के लिये।
२७	मिर्ज़ापुर	५,५००	सुसज्जित करने के लिये।
२८	मेरठ	१,३७०	खाने के खर्च का बकाया रुपया देने के लिये।
२९	मुज़फ़्फ़रनगर	४८,०००	८,००० कम्पाउन्डरों के क्वार्टर तथा पानी आदि के लिये।
			४०,००० टी० बी० वार्ड बनाने के लिये।
३०	नैनीताल	१४,५००	१०,००० हलद्वानी में टी० बी० क्लीनिक बनाने के लिये।
			२,५००भुवाली के Rehabilitation Cant के लिये। २,००० भुवाली में किताबें तथा खेल-कूद का सामान खरीदने के लिये।
३१	प्रतापगढ़	१२,०००	टी० बी० वार्ड बनाने के लिये।
३२	रायबरेली	१,७२२	एक साल की दवाओं आदि के लिये।
३३	सहारनपुर	८,०००	फर्नीचर आदि के लिये।
३४	सीतापुर	८,०००	६,००० परिवर्तन और परिवर्द्धन के लिये।
			२,००० सुसज्जित करने के लिये।
३५	सुल्तानपुर	१०,०००	टी० बी० वार्ड बनाने के लिये।
३६	टेहरी-गढ़वाल	१२,०००	टी० बी० वार्ड के लिये।
३७	विविध कामों के लिये	१७,५००	
	कुल जोड़ . .	५,१८,८३६	रुपया

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

चिकित्सा (ख) विभाग

लखनऊ, २५ जून, १९५४ ई०

सं० ३५२- बी० एच०/५—११८६-५३, उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५२ ई०) की धारायें ३१, ३२, ३३ और धारा ५६ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में होमियोपैथी के मेडिकल चिकित्सकों की रजिस्ट्री से संबद्ध निम्नांकित नियम, जो कि उक्त अधिनियम की धारा ५७ के अनुसार सरकारी विज्ञप्ति सं० ९२, बी० एच०/५—११८६-५३, दिनांक २ जुलाई, १९५३ ई० के अधीन पहले प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाते हैं और यह भी आदेश देते हैं कि ये नियम सरकारी गजट में इस विज्ञप्ति के छपने के दिनांक से प्रचलित होंगे।

उत्तर प्रदेश में होमियोपैथिक मेडिकल चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन के लिये नियम

होमियोपैथों का रजिस्टर—

१—अधिनियम की धारा २९ (२) के अधीन रजिस्टर उस फार्म में रक्खा जायगा, जो अनुसूची 'क' में प्रदत्त है।

रजिस्ट्रेशन के निमित प्रार्थना-पत्र—

२—होमियोपैथिक मेडिकल चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रेशन के निमित्त प्रार्थना-पत्र उस फार्म में होगा जो अनुसूची 'ख' में प्रदत्त है।

रजिस्ट्रेशन के लिये शुल्क—

३—रजिस्ट्रेशन के निमित्त प्रत्येक प्रार्थी द्वारा दिये जाने वाला शुल्क २० रु० (केवल बीस रुपया) होगा।

४—कोई भी प्रार्थना-पत्र तब तक न लिया जायेगा जब तक उसके साथ उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ के रजिस्ट्रार के नाम धारा ३ में नियत धनराशि के मनीआर्डर की रसीद अथवा पोस्टल आर्डर साथ में न हो।

५—कोई व्यक्ति तब तक रजिस्ट्रेशन के योग्य नहीं समझा जायगा जब तक वह पूरे समय होमियोपैथी चिकित्सा न करे और रजिस्ट्रेशन के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ इस आशय की घोषणा सम्बद्ध होगी।

६—नियम ५ के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड किया गया हो यदि वह सम्पूर्ण समय होमियोपैथी की चिकित्सा में न लगा रहता हो तो रजिस्ट्रार यथोचित नोटिस दे कर उसका नाम अलग कर सकता है।

७—यदि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि प्रार्थी उक्त अनिधियम तथा नियमों के अधीन होमियोपैथिक चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिये योग्य है तो उसका नाम होमियोपैथिकों के रजिस्टर में दर्ज किया जायगा और उसको रजिस्ट्रेशन का एक ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जैसा कि अनुसूची 'ग' में प्रदत्त है।

८—यदि कोई रजिस्टर्ड होमियोपैथ रजिस्ट्रार को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि उसका मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र खो गया है, नष्ट हो गया है अथवा बुरी तरह विकृत हो गया है तो केवल २ रु० (दो रुपया) शुल्क देने पर उसे प्रमाण-पत्र की प्रति जारी की जा सकती है। किसी उपाधि (डिग्री) सम्बन्धी लेख (entry) में परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन के लिये शुल्क—

९—किसी पदवी, उपाधि अथवा योग्यता के, जिसे बोर्ड ने मान्यता दी हो, प्रतिस्थापन (Substitution), परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन के लिये प्रत्येक अवसर पर केवल १० रु० (दस रुपये) शुल्क लगेगा।

अधिनियम की धारा ३१ (२) के अधीन अपील की सुवाई करने की प्रक्रिया—

१०—(क) बोर्ड प्रत्येक कलेन्डर वर्ष की प्रथम बैठक में ऐसी अपीलों पर, जो बोर्ड के सामने प्रथम बार की जाये, विचार करने के लिये और अपनी इन सिफारिशों को निर्णयार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निमित्त तीन व्यक्तियों की एक उपसमिति नियुक्त करेगा।

(ख) उप-समिति की कार्यविधि (term) एक वर्ष की होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तब तक कार्य करती रहेगी जब तक बोर्ड अगले कलेंडर वर्ष की अपनी पहली बैठक में इस प्रयोजन से नई उपसमिति नियुक्त न करे।

टिप्पणी—यह आवश्यक नहीं है कि उपसमिति के तीनों व्यक्ति बोर्ड के ही सदस्य हों। बोर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर से उपसमिति में अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है जिसे न्याय सम्बन्धी अनुभव हो, (उदाहरणार्थ अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा मैजिस्ट्रेट इत्यादि।)

११—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपील करता है, अपील के साथ केवल १० रु० (दस रुपया) शुल्क देना होगा, जो लौटाया न जायगा।

१२—अपने प्रतिवाद (Defence) के सम्बन्ध में अपीलकर्ता (appellant) को सुनवाई का अधिकार होगा और वह स्वयं अथवा कौंसल (Counsel), वकील, प्लीडर अथवा अटार्नी (मुख्तार) द्वारा उपस्थित हो सकता है।

१३—प्रत्येक अपील प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से यथासंभव ६ मास के भीतर निस्तारित कर दी जायेगी।

१४—रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र देने के दिन प्रार्थी—

(१) वयस्क होना चाहिये,

(२) स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिये,

(३) दिवालिया करार न दिया गया हो, तथा

(४) किसी समर्थ आपराधिक न्यायालय नें नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध के दोष में अपराधी न ठहराया हो।

होमियो पैथ

१५—अधिनियम के संलग्न अनुसूची के परिच्छेद ३ में "होमियोपैथ" शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अधिनियम पारित होने के दिनांक, अर्थात् ५ मई, १९५२ ई० को होमियोपैथी चिकित्सा करता था और इस दिनांक से पूर्व कम से कम ५ वर्ष से यह कार्य करता था।

(टिप्पणी— ५ वर्ष की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी जोड़ ली जायगी जिसमें प्रार्थी ने अपने फालत् समय में होमियोपैथिक चिकित्सा की हो।)

पांच वर्ष के चिकित्सा कार्य के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र का फार्म—

१६—अधिनियम में संलग्न अनुसूची (Schedule) के पैराग्राफ ३ के प्रयोजनों के निमित्त प्रमाण-पत्र निम्नलिखित फार्म में होगा।

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....
पुत्र / पत्नी / पुत्री .....दिनांक .....
से होमियोपैथिक के रूप में चिकित्सा कार्य करते आये हैं/ करती आई हैं और होमियोपैथ रजिस्टर्ड होने के लिये उपयुक्त हैं।"

.....

दिनांक..... .....

परिशिष्ट (क)

उत्तर प्रदेश में होमियोपैथों के रजिस्टर का फार्म

नाम	पिता या पति का नाम	पता	अर्हता Qualification	शुल्क नियम ३ के अधीन	शुल्क नियम ९ के अधीन	अवस्था (Age)	स्थान जहां चिकित्सा-कार्य करता हो	रजिस्ट्रेशन का दिनांक और स्थान	अभ्युक्ति	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट (ख)

होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र

१—नाम (श्री/ श्रीमती/ कुमारी).....

२—पता (जिसे रजिस्टर्ड करना है).....

३—जन्म दिनांक..... .....आगामी १ जनवरी को अवस्था.....
प्रमाण दे दिया गया है, नत्थी.....देखिये।

४—घर का पता..... ....

५—पिता/ पति का नाम तथा पता.....

६—चिकित्सा कार्य की अवधि..... .... प्रमाण दिया गया है, नत्थी
....देखिये।

७—अर्हतायें..... .....प्रमाण दिया गया है, नत्थी.....देखिये।

८—दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के (जो सम्बन्धी न हों) नाम, व्यवसाय तथा वर्तमान पते, जिनसे आचरण के प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हों :—

१—..... .....

.....

२—.....

.....

एतद्द्वारा मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि ऊपर जो सूचना दी गई है यह मेरी जानकारी में सत्य है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियमों, विनियमों, उपविधियों का, जैसी कि समय-समय पर संशोधित तथा प्रचारित की जायंगी, पालन करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ (१९५२ ई० का यू० पी० अधिनियम संख्या ८) के अन्तर्गत होमियोपैथिक चिकित्सक के रूप में रजिस्टर्ड किया जाय। आगे यह घोषणा करता हूं कि मैं सम्पूर्ण समय होमियोपैथी चिकित्सा-कार्य करने में लगा रहूंगा।

रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिये २० रु० (बीस रु०) की धनराशि मनीआर्डर / पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जा रही है। देखिये मनीआर्डर / पोस्टल आर्डर रसीद संख्या.....
दिनांक..... ....

दिनांक..... .....

.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(टिप्पणी--उक्त प्रार्थना-पत्र भरने के सम्बन्ध में इस पृष्ठ की दूसरी ओर दिये गये अनुदेशों को देखिये।)

रजिस्ट्री का प्रार्थना-पत्र भरने के लिये अनुदेश

मद सं० (३).....उम्र.....अवस्था के प्रमाण स्वरूप हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की एक यथाविधि प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिये। यदि उक्त प्रमाण-पत्र में जन्म दिनांक न दिया हुआ हो या यदि प्रार्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा न पास की हो तो उसे चाहिये कि वह या तो (१) उस मान्यता प्राप्त संस्था के, जिसमें वह सब से बाद में पढ़ा / पढ़ी हो, प्रमाण-पत्र की एक ऐसी प्रतिलिपि जिसमें जन्म दिनाँक, जैसा कि उक्त संस्था में प्रवेश करते समय दर्ज किया गया हो, दिया हो, भेजे, या (२) बपतिस्मे (baptsmal) का या जन्म की रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र भेजें। इस मद के समर्थन में गजट से उद्धरण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे गजटेड सरकारी पदाधिकारी द्वारा, जो नौकरी में हो, प्रमाणित होना चाहिये और उक्त पदाधिकारी को चाहिये कि प्रमाण-पत्र में दिये हुये दिनांक को शब्दों में स्वयं अपने हाथ से लिख दें।

मद संख्या ५--विवाहित स्त्री प्रार्थियों को अपने पति का विवरण देना चाहिये। अन्य स्त्री प्रार्थियों को अपने पिता का विवरण देना चाहिये।

मद संख्या ६--चिकित्सा कार्य की अवधि--इसके प्रमाण में वही प्रार्थना-पत्र दिया जाना चाहिये, जो नियमों के नियम १६ द्वारा अपेक्षित है।

मद संख्या ७--अर्हतायें--प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित डिप्लोमा या डिग्रियों की एक ऐसी प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिये जो किसी ऐसे गजटेड सरकारी पदाधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गई हो, जो नौकरी में हो। इस मद के समर्थन में गजट के उद्धरण स्वीकार नहीं किये जायंगे।

मद सं० ८--आचरण का प्रमाण-पत्र--आचरण का प्रमाण-पत्र निम्नलिखित फार्म में किसी ऐसे गजटेड सरकारी पदाधिकारी से, जो नौकरी में हो या होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य से या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से या संसद के सदस्य से प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे प्रार्थी के सम्बन्धी न हों और प्रार्थी के निजी जीवन से भलीभांति परिचित हों।

(ख) प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के दिनांक से ६ महीने से अधिक पहले का न होना चाहिये।

"मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्री/पत्नी/पुत्री..... .....निवासी.....को.....वर्ष से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उसका नैतिक आचरण अच्छा है।"

दिनांक.....

.....

.....

.....

(पद नाम)

परिशिष्ट "ग"

होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या..... लखनऊ, दिनांक..... ....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... .....निवासी..... ....ने होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस बात से संतुष्ट कर दिया है कि वह होमियोपैथिक चिकित्सा की हैसियत से रजिस्ट्रेशन के लिये उपयुक्त है और तद्नुसार उनका इस हैसियत से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिसके प्रमाण-स्वरूप निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता ने अपने हस्ताक्षर किये हैं और इस कार्यालय की मुद्रा अंकित की है।

....

रजिस्ट्रार।

आज्ञा से,

बी० पी० जोशी,

सेक्रेटरी।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१९९ एल० ए०-१९५४-८५०।